भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

आरबीआई/2012-13/15
मास्टर परिपत्र सं. 15/2012-13 02 जुलाई 2012

सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- I बैंक

महोदया /महोदय,

भारत में विदेशी निवेश संबंधी मास्टर परिपत्र

भारत में विदेशी निवेश, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 6 की उप-धारा (3) द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। विनियामक ढांचे और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है। निहित परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची परिशिष्ट में दी गई है। इसके अलावा, इस मास्टर परिपत्र में **साझेदारी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान की पूंजी में निवेश** क्षेत्र भी शामिल हैं, जिसे 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 24/2000-आरबी के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 47 की उपधारा 2(एच) के अनुसार विनियमित किया जाता है।

2. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए ("सनसेट खंड" के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई 2013 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

भाग I	
भारत में विदेशी निवेश- रूपरेखा निरूपण	
खंड- I: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	
1.	भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
2.	भारत में निवेश हेतु प्रवेश मार्ग
3.	भारत में निवेश के लिए पात्रता
4.	लिखतों के प्रकार
5.	कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश
6.	भुगतान के प्रकार
7.	विदेशी निवेश की सीमाएं, प्रतिबंधित क्षेत्र और माइक्रो और लघु उद्यमों में निवेश
8.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजनाओं के अंतर्गत निवेश के प्रकार
8ए.	कंपनी द्वारा नए शेयर जारी करना
8बी.	भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा मौजूदा शेयरों का अंतरण के मार्फत अर्जन
8सी.	राइट्स/बोनस शेयर जारी करना
8डी.	कर्मचारी स्टाक आप्शन योजना (इएसओपी) के मार्फत शेयर जारी करना
8ई.	बाह्य वाणिज्यिक उधार/ एकमुश्त फीस/रायल्टी/ विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा पूंजीगत माल के आयातों का ईक्विटी/आयात भुगतान/निगमन पूर्व व्यय में परिवर्तन
8एफ.	एडीआर/जीडीआर के तहत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयरों का निर्गम/को जारी करना
8जी.	किसी अनिवासी को तेल क्षेत्रों में 'सहभागिता इंटरेस्ट/अधिकार (राइट)' के निर्गम/अंतरण द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
9.	विदेशी मुद्रा खाता और एस्क्रो खाता
10.	विलयन / समामेलन योजना के तहत शेयरों का अधिग्रहण /अर्जन
11.	बिक्रीगत प्राप्तियों का विप्रेषण
12.	कंपनियों के समापन / परिसमापन पर विप्रेषण
13.	शेयरों को गिरवी रखना
खंड-II : विदेशी संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना के तहत निवेश	
1.	कंपनियां/एंटिटीज़
2.	सूचीबध्द भारतीय कंपनियों में निवेश
3.	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों में खाते

4.	एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाएं
5.	विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति
6.	विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अधिबिक्री
7.	विदेशी संस्थागत निवेशों के पास निजी नियोजन
8.	निजी(प्राइवेट) प्रबंध के तहत पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत अर्जित/अधिग्रहीत शेयरों का अंतरण
9.	भारतीय रिज़र्व बैंक तथा प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा निवेश की स्थिति पर निगरानी
10. 11.	भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्व सूचना देना सतर्कता सूची
12.	प्रतिबंधित सूची
खण्ड- III- विदेशी उद्यम पूंजी निवेश (FVCI)	
विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों द्वारा निवेश	
खण्ड- IV-अन्य विदेशी निवेश	
1.	अनिवासी भारतीयों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद
2.	भारतीय निक्षेपागार रसीदें
3.	विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद
4.	बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा निवेश
5.	भारत में बैंकों द्वारा जारी टियर-I तथा टियर-II लिखतों में विदेशी निवेश
खण्ड- V- खंड I और खंड II के अनुसार भारत में किए गए विदेशी निवेशों के संबंध में रिपोर्ट करने संबंधी दिशा-निर्देश	
1. 2. 3. 4. 5.	शेयरों के नए निर्गमों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना शेयरों के अंतरण के मार्फत हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग बाह्य वाणिज्यिक उधार के ईक्विटी में परिवर्तन पर रिपोर्टिंग कर्माचारी विकल्प योजना के तहत ईक्विटी शेयरों के आबंटन पर रिपोर्टिंग एडीआर/जीडीआर इश्यू पर रिपोर्टिंग संविभाग निवेश योजना के तहत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेश की रिपोर्टिंग संविभाग निवेश योजना के तहत अनिवासी भारतियों द्वारा किए गए निवेश की रिपोर्टिंग
भाग II साझेदारी फर्मों / प्रोप्राइटरी संस्थानों में निवेश	
1.	साझेदारी फर्मों / प्रोप्राइटरी संस्थानों में निवेश
2.	प्रत्यावर्तन सुविधाओंवाले निवेश
3.	अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर अनिवासी द्वारा निवेश
4.	निषेध

संलग्नक- -1
संलग्नक -2
संलग्नक -3
संलग्नक- 4
संलग्नक-5
संलग्नक-6
संलग्नक-7
संलग्नक-8
संलग्नक-9-I
संलग्नक-9-II
संलग्नक-10
संलग्नक-11
संलग्नक-12
परिशिष्ट

भाग - I

भारत में विदेशी निवेश - संक्षिप्त निरूपण :

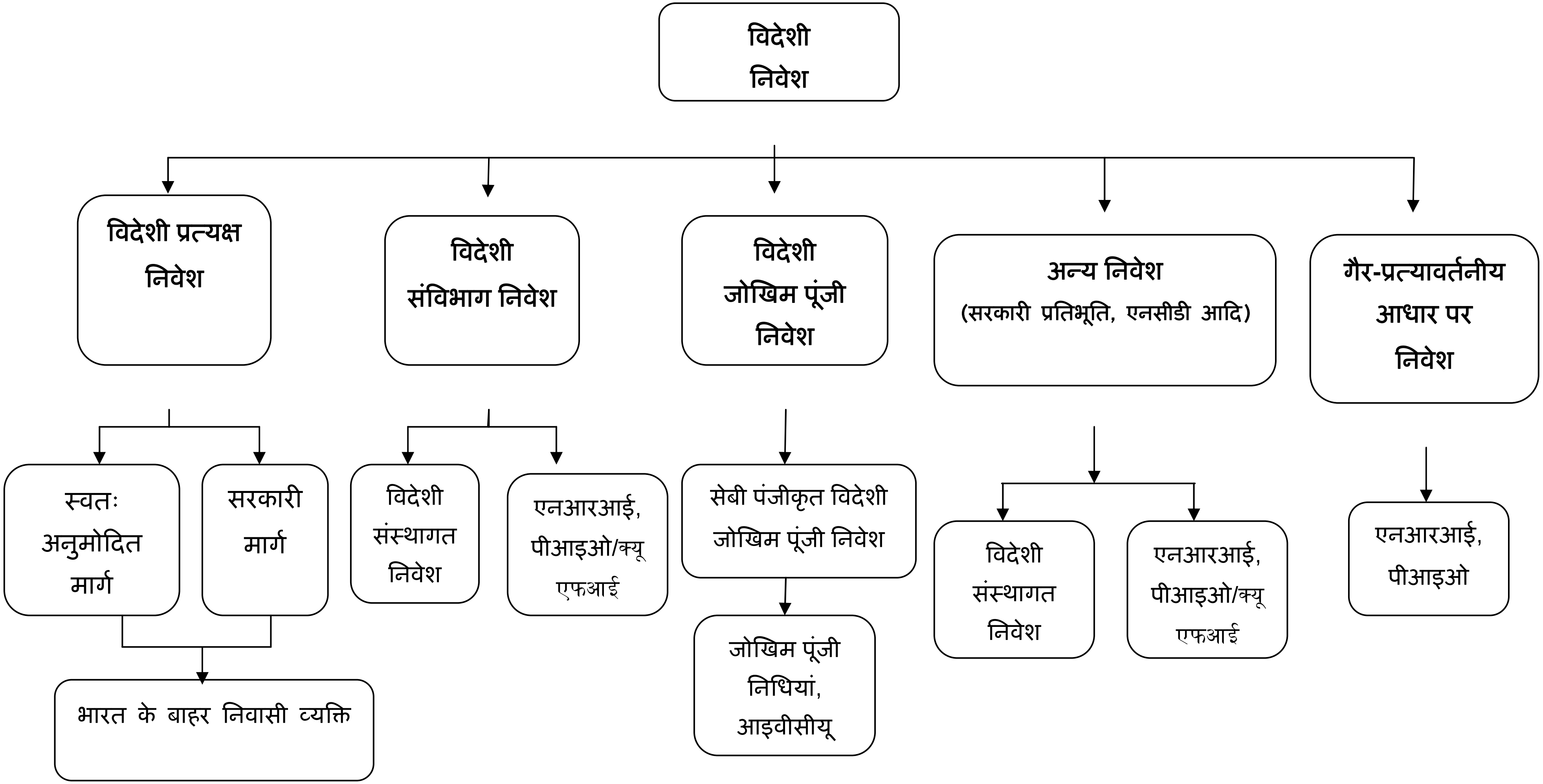

खंड-I: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश :

भारत सरकार द्वारा निरुपित एवं घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार होता है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में (वर्ष 2010 से) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त वर्ष के आधार पर भारत में समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति पर परिपत्र जारी करता है, जिसमें भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा प्रक्रिया को विस्तार से दिया जाता है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संबंध में नवीनतम परिपत्र 10 अप्रैल 2012 का है जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की वेबसाइट http://www.dipp.nic.in/English/Policies/FDI Circular_01_2012. pdf. (सार्वजनिक डोमेन) पर उपलब्ध है और उसे वहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। यह नीति विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के उपबंधों से विनियमित होती है। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के अंतर्गत जारी विनियमावली में निवेशों के प्रकार/स्वरूप अर्थात् शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों और अधिमानी शेयरों का निर्गम या अर्जन करने, निधियों की प्राप्ति के तरीके, कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों तथा निवेश के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपार्ट करने की प्रणाली विनिर्दिष्ट है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी जारी की है, जिसमें इससे संबंधित विनियम दिए गए हैं। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया गया है।

2. भारत में निवेश के लिए प्रवेश मार्ग

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति योजना के अंतर्गत किसी अनिवासी द्वारा किसी भारतीय कंपनी के शेयरों में, अनिवार्यत: एवं पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचरों में एवं अनिवार्यत: तथा पूर्णत: परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों[1] में निवेश निम्नलिखित दो मार्गों से किए जा सकते है:

- **स्वत: अनुमोदित मार्ग:** स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेशी निवेशक अथवा भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा भारत सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है।
- **सरकारी मार्ग**: सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेशक या भारतीय कंपनी को निवेश के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की पूर्वानुमति प्राप्त करनी अपेक्षित है ।

3. भारत में निवेश करने के लिए पात्रता

(i) भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति [2] (पाकिस्तान के नागरिकों को छोड़कर) या भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी (पाकिस्तान में निगमित किसी कंपनी को छोड़कर) भारत सरकार की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के

---

[1] इस मास्टर परिपत्र में शेयर का अर्थ ईक्विटी शेयर, परिवर्तनीय डिबेंचर का अर्थ पूर्णत: और अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर और अधिमानी शेयर का अर्थ पूर्णत: और अनिवार्य रूप से अधिमानी शेयर है (08 जून 2007 के एपी(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.73 और 74 देखें)

अधीन भारत में निवेश कर सकता /सकती है। कोई व्यक्ति जो कि बांगलादेश का नागरिक हो अथवा कोई कंपनी जो कि बांगलादेश में निगमित हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति से भारत में निवेश कर सकता/सकती है ।

(ii) नेपाल और भूटान में निवासी अनिवासी भारतीयों और नेपाल और भूटान के नागरिकों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों में प्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश करने की अनुमति है बशर्ते ऐसे निवेशों की प्रतिफल राशि का भुगतान **मुक्त विदेशी मुद्रा** में आवक प्रेषणों के तौर पर सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से किया जाएगा।

[2]" भारत में निवासी व्यक्ति" का अर्थ- [फेमा की धारा 2 (v) के अनुसार]

(i) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिनों से अधिक दिन भारत में निवास करनेवाला व्यक्ति है लेकिन इसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं-

(ए) एक व्यक्ति जो भारत से बाहर गया है अथवा भारत के बाहर रहता है, किसी भी एक मामले में

- (ए) भारत से बाहर रोजगार के लिए अथवा रोजगार करने के लिए, अथवा
- (बी) भारत से बाहर कारोबार चलाने अथवा भारत से बाहर व्यवसाय(vocation) करने, अथवा
- (सी) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो भारत से बाहर अनिश्चित समय के लिए रहने का उनका उद्देश्य दर्शाता हो;

(बी) भारत में आये या रहनेवाले किसी व्यक्ति, किसी भी एक मामले में, निम्नलिखित को छोड़कर

- (ए) भारत में रोजगार के लिए अथवा रोजगार करने के लिए, अथवा
- (बी) भारत में कारोबार करने अथवा भारत में व्यवसाय करने, अथवा
- (सी) किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ऐसी परिस्थितियों में जो भारत में अनिश्चित समय के लिए रहने के उनके उद्देश्य को दर्शाता हो;

(ii) भारत में पंजीकृत अथवा निगमित कोई व्यक्ति अथवा निगमित निकाय,

iii) भारत के बाहर निवासी व्यक्ति के मालियत अथवा नियंत्रण में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी,

(iv) भारत में निवासी व्यक्ति के मालियत अथवा नियंत्रण में कोई कार्यालय, शाखा अथवा एजेंसी;

- " भारत के बाहर निवासी व्यक्ति " का अर्थ भारत में निवास न करनेवाला व्यक्ति है;[फेमा की धारा 2(w) के अनुसार]

(iii) समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) की निवेशकों के वर्ग के रूप में मान्यता 16 सितंबर 2003 से समाप्त कर दी गई है। पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय, जो भारत के बाहर निगमित हो गए हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिकूल नोटिस के अंतर्गत नहीं है उन्हें निगमित अनिवासी कंपनियों (इंटिटीज़) के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत यदि निवेश सरकारी मार्ग के तहत है तो भारत सरकार और यदि स्वत: अनुमोदित मार्ग के तहत है तो भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से भारत में नये निवेश करने की अनुमति है । तथापि, पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत नए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने से पूर्व अपने प्राधिकृत व्यापारी बैंक के मार्फत भारतीय रिज़र्व बैंक से एक मुश्त प्रमाणपत्र लेना चाहिए कि उनका नाम भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिकूल सूची में नहीं है।

प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि समुद्रपारीय निगमित निकाय (ओसीबी) 16 सितंबर 2003 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.14 में दिए गए अनुदेशों के अनुरूप अनिवासी सामान्य चालू खाते (NRO A/c) के अतिरिक्त कोई अन्य खाता न रख सकें । इसके अलावा यह अनिवासी सामान्य खाता भारत में नए निवेशों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए पिछले निवेशों को समाप्त (नकद) करने के लिए अनिवासी सामान्य चालू खाते खोलने संबंधी नए आवेदन प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को अग्रसारित किए जाएं। हालांकि, प्राधिकृत व्यापारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रतिकूल सूची में शामिल समुद्रपारीय निगमित निकायों के लिए रखे गए अन्य श्रेणी के खातों (एनआरई/एफसीएनआर/एनआरओ) को बंद न करें । प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा ये खाते निष्क्रिय (फ्रोजेन) स्थिति में बनाए रखे जाने हैं ।

4. लिखतों के प्रकार

(i) भारतीय कंपनियां फेमा विनियमावली के तहत, कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों/ निर्धारित मूल्यांकन मानदण्डों और अन्य अपेक्षाओं में रिपोर्टिंग अपेक्षा की शर्तों के अधीन ईक्विटी शेयरों, पूर्णत: व अनिवार्यत: परिवर्तनीय डिबेंचरों और पूर्णत: व अनिवार्यत: अधिमानी शेयरों का निर्गम कर सकती हैं।

(ii) अन्य प्रकार के निर्गम जैसे कि अपरिवर्तनीय, वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय शेयरों को बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए लागू दिशा-निर्देशों की भाँति ही जारी करना है ।

(iii) जहाँ तक डिबेंचर्स का प्रश्न है, जो एक विशिष्ट अवधि के भीतर पूर्णत: और अनिवार्य रूप से ईक्विटी में परिवर्तनीय हैं, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन ईक्विटी के भाग के रूप में माने जाएंगे।

5. कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देश[3]

- **नए शेयर जारी करना:** भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत जारी नए शेयरों की कीमत निम्नवत होगी :
- o सूचीबध्द कंपनियों के मामले में सेबी के दिशा-निर्देशों के अनुसार।
- o सेबी के पास रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर या गैर-सूचीबध्द कंपनियों के मामले में सनदी लेखाकार द्वारा बट्टाकृत मुक्त नकदी प्रवाह प्रणाली (DCF) के माध्यम से निर्धारित उचित मूल्य से शेयर की कीमत कम नहीं होगी।

शेयरों के कीमत निर्धारण संबंधी उल्लिखित दिशा-निर्देश तकनीकी जानकारी के शुल्क (फीस) के रूप में एकमुश्त भुगतान/रायल्टी या बाह्य वाणिज्यिक उधार को ईक्विटी में बदलने या निगमन पूर्व व्यय/आयात भुगतानों के पूँजीकरण (भारत सरकार की पूर्वानुमति के तहत) के संबंध में जारी शेयरों की कीमत निर्धारण पर भी लागू होंगे।

- **अधिमानी आबंटन:** अधिमानी आबंटन के तहत शेयर जारी करने के मामले में शेयरों की कीमत निवासी व्यक्तियों के शेयरों को अनिवासी व्यक्ति को अंतरित करने के लिए लागू कीमत से कम नहीं होगी।
- **विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) द्वारा पूंजीगत माल के आयात के बदले शेयर जारी करना:** इस मामले में शेयरों की कीमत एक समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी जो विकास आयुक्त और जो उचित स्तर के सीमाशुल्क अधिकारियों के शामिल होने से बनेगी।
- **राइट शेयर:** भारतीय कंपनी द्वारा अनिवासी शेयरधारकों को राइट आधार पर शेयरों की कीमत का प्रस्ताव निम्नवत होगा;

  i) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में **सूचीबध्द** कंपनी के शेयरों के मामले में कंपनी द्वारा निर्धारित कीमत पर ऐसे शेयर प्रस्ताव किए जाएंगे।

  ii) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में **गैरसूचीबध्द** कंपनी के ऐसे शेयर निवासी शेयरधारकों को प्रस्तावित कीमत से कम कीमत पर नहीं दिये जाएंगे।
- **मौजूदा शेयरों (निजी प्रबंध के तहत) का अर्जन[4]/अंतरण**: निवासियों से अनिवासियों (अर्थात् पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय, विदेशी राष्ट्रिक, अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक से भिन्न) को मौजूदा शेयरों का अर्जन निम्नवत होगा;

  (ए) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में सूचीबध्द कंपनियों के शेयरों की समझौतेगत कीमत उस कीमत से कम नहीं होगी जो सेबी के लागू दिशा-निर्देशों के तहत शेयरों के अधिमानी आबंटन की कीमत है बशर्ते वह उस अवधि के लिए हो जैसाकि तत्संबंध में संबंधित तारीख से पूर्व की तारीख के लिए हो जो शेयरों की खरीद या बिक्री की तारीख से पूर्व की तारीख हो सकती है। प्रति शेयर आकलित कीमत सेबी के पास रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर या किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित की गयी हो।

  (बी) भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंज में गैर सूचीबध्द कंपनियों के शेयरों की समझौतेगत कीमत

---

[3] 7 अप्रैल 2010 की अधिसूचना सं.फेमा. 205/2010-आरबी के अनुसार

[4] 4 मई 2010 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.49

सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर द्वारा निर्धारित उचित मूल्य या किसी सनदी लेखाकार द्वारा बट्टाकृत मुक्त नकदी प्रवाह (DCF) प्रणाली के मार्फत आकलित कीमत से कम नहीं होगी ।

इसके अलावा अनिवासी (अर्थात निगमित अनिवासी कंपनी (एंटिटी), पूर्वर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय, विदेशी राष्ट्रिक, अनिवासी भारतीय, विदेशी संस्थागत निवेशक) द्वारा किसी निवासी व्यक्ति को मौजूदा शेयरों के अंतरण की कीमत किसी निवासी व्यक्ति द्वारा किसी अनिवासी, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, को शेयरों के अंतरण करने की न्यूनतम कीमत से अधिक नहीं होगी ।

- शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/ अधिमानी शेयरों की कीमत लिखतों का निर्गम करने से पूर्व निर्धारित की जानी चाहिए। परिवर्तनीय लिखतों की कीमत भी परिवर्तन करने के सिध्दांतों (फार्मूले) के आधार पर पहले से निर्धारित/निश्चित की जानी चाहिए। तथापि, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम की मौजूदा विनियमावली के अनुसार परिवर्तन के समय इनकी कीमत उनके जारी होने के समय आकलित उचित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए ।

6. भुगतान का तरीका

किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत से बाहर के किसी निवासी को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों को जारी करने के प्रतिफल स्वरूप ऐसे शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की राशि निम्नवत प्राप्त की जाएगी :

(i) आवक विप्रेषण सामान्य बैंकिंग चैनल से।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के साथ रखे गये किसी व्यक्ति के एनआरई/एफसीएनआर खाते को नामे करके ।

(iii) भुगतान के लिए देय रायल्टी/एकमुश्त/तकनीकी जानकारी शुल्क का परिवर्तन या बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन को शेयर जारी करने के प्रतिफल स्वरूप प्राप्य राशि माना जाएगा ।

(iv) आयातगत भुगतान योग्य राशि के परिवर्तन/निगमन पूर्व व्यय/शेयरों के स्वाप को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के अधीन शेयरों को जारी होने पर प्रतिफल स्वरूप प्राप्य राशि माना जाएगा ।

(v) शेयरों की खरीद के प्रतिफल स्वरूप निवासियों अथवा अनिवासियों द्वारा भुगतान के लिए भारत में भारतीय रुपये में रखे गये ब्याज रहित एस्क्रो खाते[5] को नामे करके ।

यदि आवक प्रेषण की प्राप्ति या एनआरई/एफसीएनआर(बी)/एस्क्रो खाते को डेबिट करने की तारिख से 180 दिनों के भीतर शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर जारी नहीं कर दिये जाते हैं, तो प्राप्त प्रतिफल राशि लौटा दी जाएगी । इसके अलावा यदि प्रतिभूति जारी करने के लिए प्राप्त प्रतिफल राशि 180 दिनों से अधिक के लिए बकाया रहती है तो आवेदन करने और पर्याप्त कारणों के होने पर रिज़र्व बैंक भारतीय कंपनी को प्रतिफल राशि लौटाने/के बदले शेयर आबंटित करने की अनुमति दे सकता है ।

7. विदेशी निवेश संबंधी सीमाएं, प्रतिबंधित क्षेत्र एवं माइक्रो तथा लघु उद्यमों में निवेश

[5] 2 मई 2011 का ए.पी.डीआईआर सीरीज़ परिपत्र सं.58 देखें, जिसमें सूचित किया गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेनों को सुगम बनाने के लिए उल्लिखित परिपत्र में दी गयी शर्तों के तहत प्रतिफल राशि की प्राप्ति के लिए एस्क्रो खाते का भी उपयोग किया जा सकता है।एस्क्रो खाता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक या सेबी द्वारा प्राधिकृत डिपाजिटरी सहभागी के पास रखा जा सकता है । इस परिपत्र में जारी दिशा-निर्देश नए शेयरों के साथ-साथ मौजूदा शेयरो के अंतरण पर लागू होंगे ।

ए) विदेशी निवेश संबंधी सीमाएं

किसी भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश के लिए लागू प्रवेश मार्ग और अनुमत अधिकतम सीमा/क्षेत्रगत सीमा (सेक्टोरल कैप) का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि अमुक कंपनी किस क्षेत्र में कार्यरत है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए विदेशी मुद्रा के प्रवेश मार्ग के साथ ही साथ क्षेत्रगत सीमा संलग्नक 1 में दी गई है ।

बी) माइक्रो एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में निवेश

ऐसी कंपनी जिसकी गणना निर्यातोन्मुख इकाई अथवा मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा निर्यात प्रोसेसिंग जोन की अथवा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की इकाई कंपनियों सहित माइक्रो, लघु, तथा मझोले उद्यम विकास (एमएसएमइडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार माइक्रो तथा लघु उद्यमों (पहले लघु उद्योग इकाई) के रूप में की जाती है और जो संलग्नक 2 में उल्लिखित किसी कार्यकलाप/क्षेत्र में कार्यरत नहीं है, वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किये अनुसार प्रवेश मार्ग तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए निर्धारित सीमाओं के अधीन भारत के बाहर निवासी व्यक्ति (अनुमोदन मार्ग के तहत पाकिस्तान के निवासी तथा बांगलादेश के निवासी को छोड़कर) को शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला अथवा बिना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला कोई औद्योगिक उपक्रम जो कि माइक्रो तथा लघु उद्यम नहीं है और जिसके पास माइक्रो तथा लघु उद्यमों द्वारा विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों हेतु विनिर्माण करने के लिए औद्योगिक (विकास तथा विनियम) अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अधीन औद्योगिक लाइसेंस है वह अपनी प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक या क्षेत्रगत सीमा, में से जो भी कम हो, के शेयर भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के तहत पाकिस्तान के निवासी/एंटिटी तथा बांगलादेश के निवासी/एंटिटी को छोड़कर) को जारी कर सकता है। प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक के शेयर जारी करने के लिए भारत सरकार के विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक होगा तथा वह ऐसे अनुमोदन की शर्तों के अनुपालनाधीन होगा।

सी)

(i) **भारत में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध**

निम्नलिखित कार्यकलाप करनेवाली या करने का इरादा रखनेवाली किसी कंपनी अथवा साझेदारी फर्म अथवा स्वामित्व प्रतिष्ठान अथवा किसी कंपनी चाहे वह निगमित हो या नहीं (जैसे कि ट्रस्ट), में **किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश** पर निषेध है [6] :

(ए) चिट फंड के कारोबार, अथवा

(बी) निधि कंपनी, अथवा

(सी) कृषि अथवा बागान कार्यकलापों, अथवा

(डी) स्थावर संपदा कारोबार अथवा फार्म हाउस का निर्माण, अथवा

(ई) अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआर) के व्यापार में ।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि "स्थावर संपदा कारोबार" का अर्थ भूमि एवं अचल संपत्ति के ऐसे सौदे करने से जिसका अभिप्राय लाभ या आय का अर्जन करना हो किंतु जिसमें टाऊनशिप का विकास, रिहायशी/ वाणिज्यि

परिसर, सड़क अथवा पुल, शैक्षणिक संस्थाएं, मनोरंजन सुविधाएं, शहर तथा स्थानीय (रीजनल) स्तर बुनियादी सुविधाएं , टाउनशिप का विनिर्माण शामिल नहीं है।

आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि फेमा विनियमों के अनुसार निवेशवाली भागीदारी फर्मों/ स्वामि प्रतिष्ठानों को प्रिंट मीडिया क्षेत्र में कार्य करने की अनुमति नहीं है।

(iii) उपर्युक्त के अलावा, कतिपय क्षेत्रों में **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में** विदेशी निवेश निषिद्ध है, जैसे (संलग्न 2)[7]

(ए) खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार को छोड़कर)

(बी) सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार

(सी) केसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी, आदि

(डी) चिट फंड का कारोबार

(ई) निधि कंपनी

(एफ) अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकार का कारोबार (TDRs)

(जी) स्थावर संपदा कारोबार अथवा फार्म हाउस का निर्माण

(एच) तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार, चीरूट, सिगारिलो और सिगरेट का निर्माण

(आई) निजी क्षेत्र के निवेश के लिए न खोली गई गतिविधियां/ क्षेत्र (अर्थात परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स से भिन्न)

टिप्पणी:

विशेष विक्रय अधिकार, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंध करार(कांट्रैक्ट) के लिए लाइसेंस सहित किसी भी प्रकार का विदेशी प्रौद्योगिकी सहयोग भी लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्य के लिए निषिद्ध है।

8.प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत निवेश करने के तरीके

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है :

8.ए. कंपनी द्वारा जारी नए शेयरों में

भारतीय कंपनी मौजूदा विदेशी निवेश नीति तथा फेमा विनियमन के अधीन भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति (जो भारत में निवेश करने के लिए पात्र है) को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत नए शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर सकती है ।

8.बी. भारत में/से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा मौजूदा शेयरों का अंतरण के मार्फत अर्जन/अभिग्रहण

विदेशी निवेशक भारतीय शेयरधारकों या अन्य अनिवासी शेयरधारकों से भारतीय कंपनियों के मौजूदा शेयरों की खरीद/के अर्जन के मार्फत भी निवेश कर सकते हैं। अनिवासी व्यक्तियों/अनिवासी भारतीयों के अंतरण के मार्फत शेयरों का निम्नवत अर्जन करने की आम अनुमति दी गयी है:

8.बी.।: भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों का अंतरण

ए. **अनिवासी द्वारा अनिवासी को (शेयरों की बिक्री / उपहार):** भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति (अनिवासी भारतीय और समुद्रपारीय निगमित निकाय को छोड़कर) भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति (अनिवासी भारतीय सहित किंतु समुद्रपारीय निगमित निकाय को छोड़कर) को बिक्री अथवा उपहार के तौर पर शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर का अंतरण कर सकता है।

नोट: पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकाय से या द्वारा शेयरों के अंतरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी ।

बी. **अनिवासी भारतीय द्वारा अनिवासी भारतीय को (शेयरों की बिक्री/ उपहार):** अनिवासी भारतीय व्यक्ति अपने (पास धारित) शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर बिक्री के मार्फत अथवा उपहार के तौर पर दूसरे अनिवासी भारतीय को अंतरित कर सकते हैं।

सी.**अनिवासी से निवासी को (बिक्री/उपहार)**

(i) **उपहार:** भारत से बाहर का निवासी व्यक्ति भारत में निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर किसी भी प्रतिभूति का अंतरण कर सकता है।

(ii) **निजी व्यवस्था के तहत बिक्री:** भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को निजी व्यवस्था के तहत**, उन मामलों में जहां शेयरों का अंतरण सेबी विनियमावली के अधीन है और जहाँ फेमा के कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देश पूरे नहीं होते हैं,** शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचर निम्नलिखित शर्तों के तहत अंतरित करने की सामान्य अनुमति है:

(ए) मूल और परिणामी निवेश मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति / विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम संबंधी विनियमावली के अनुरूप हों;

(बी) कीमत निर्धारण सेबी विनियमावली (यथा आयपीओ, बुक बिल्डिंग, ब्लाक डील्स, डिलिस्टिंग, एक्जिट, खुला प्रस्ताव/भारी अर्जन/ सेबी-एसएएसटी, बाय-बैक) के अनुरूप हो; और

(सी) उल्लेखानुसार सेबी की संबंधित विनियमावली का अनुपालन होने संबंधी सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र प्राधिकृत व्यापारी के पास फाइल किए जाने वाले एफसी-टीआरएस फार्म के साथ संलग्न हो।

(डी) संलग्नक 3 में दी गयी रिपोर्टिंग और अन्य दिशानिर्देश संबंधी अनुपालन ।

नोट: किसी अनिवासी से निवासी को शेयरों के अंतरण के ऐसे मामले जो सेबी विनियमावली से भिन्न और विदेशी मुद्रा अधिनियमगत कीमत संबंधी दिशानिर्देशों को पूरे नहीं करते हैं, उनके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति अपेक्षित होगी ।

(iii) **भारत से बाहर के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा स्टाक एक्सचेंज में शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की बिक्री:** भारत के बाहर का निवासी व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज के पास पंजीकृत किसी ब्रोकर अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत किसी मर्चेंट बैंकर के माध्यम से भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय कंपनी के शेयर और परिवर्तनीय डिबेंचर बेच सकता है।

8.बी.।।: निवासी से भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति को शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों का अंतरण

भारत में निवासी व्यक्ति भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को संलग्नक -3 में दिए गए कीमत निर्धारण,

रिपोर्टिंग और अन्य दिशा-निर्देशों के तहत किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को (प्रयोजक के शेयरों के अंतरण सहित) निजी व्यवस्था के तहत बिक्री के तौर पर अंतरित कर सकता है।

ए) जहाँ शेयरों के अंतरण के लिए मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड का पूर्व अनुमोदन आवश्यक हो, बशर्ते कि :

i) विदेशी निवेश संबर्द्धन बोर्ड से अपेक्षित पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया गया हो; और

ii) शेयरों के अंतरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों एवं प्रलेखन अपेक्षाओं का पालन किया गया हो।

बी) जहाँ सेबी (एसएएसटी) के दिशानिर्देश लागू हों बशर्ते भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों एवं प्रलेखन अपेक्षाओं का पालन किया गया हो।

सी) जहाँ विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत कीमत निर्धारण संबंधी दिशानिर्देशों का पालन न हो पा रहा हो, बशर्ते कि:

i) परिणामी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम संबंधी विनियमावली के तहत क्षेत्रगत सीमा, शर्तों (जैसे न्यूनतम पूंजीकरण आदि), रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, प्रलेखन, आदि के अनुरूप हैं;

ii) लेनदेन के लिए कीमत निर्धारण विनिर्दिष्ट/स्पष्ट, मौजूदा और संबंधित सेबी दिशानिर्देशों (यथा आयपीओ, बुक बिल्डिंग, ब्लाक डील्स, डिलिस्टिंग, खुला/ एक्जिट प्रस्ताव/ भारी अर्जन/ सेबी एसएएसटी) के अनुरूप है; और

iii) उल्लेखानुसार सेबी के संबंधित विनियमों का अनुपालन होने संबंधी सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र प्राधिकृत व्यापारी के पास फाइल किए जाने वाले एफसी-टीआरएस फार्म के साथ संलग्न है।

डी) जहाँ निवेशप्राप्तकर्ता कंपनी वित्तीय क्षेत्र [8] में है, बशर्ते कि:

i) वित्तीय क्षेत्र के संबंधित विनियामकों/निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के विनियामकों के साथ-साथ अंतरणकर्ता और अंतरिती कंपनी (इंटिटी) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएं तथा ऐसे अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राधिकृत व्यापारी बैंक को फार्म एफसी-टीआरएस के साथ फाइल किए जाते हैं; और

ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम संबंधी विनियमावली के तहत क्षेत्रगत सीमा, शर्तों (जैसे न्यूनतम पूंजीकरण आदि), रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, प्रलेखन आदि का अनुपालन करती हैं।

नोट: उपर्युक्त सामान्य अनुमति, पहले सरकारी मार्ग द्वारा कवर हुए किन्तु अब रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत आनेवाले कार्यकलाप में लगी हुई भारतीय कंपनी के शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को निवासियों से अनिवासी को अंतरित करने तथा कंपनी के बाय-बैक और/ अथवा पूंजी कम करने की योजना के तहत किसी भारतीय कंपनी को अनिवासी से शेयरों के अंतरण के लिए भी उपलब्ध है। तथापि, यह सामान्य अनुमति कीमत निर्धारण मानकों को पूरा न करने वाले उल्लिखित शेयरों के लेनदेन संबंधी अंतरण अथवा किसी निवासी से किसी अनिवासी /अनिवासी भारतीय को उपहार के रूप में शेयरों/डिबेंचरों के अंतरण के मामले में उपलब्ध नहीं है।

8.बी.III निवासियों द्वारा शेयरों का अंतरण जिनके लिए सरकारी अनुमोदन अपेक्षित है

निवासियों द्वारा अनिवासियों को बिक्री या अन्य तरीके से शेयरों के निम्नलिखित स्वरूप के अंतरण के लिए सरकारी अनुमोदन अपेक्षित है :

(i) सरकारी मार्ग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में संलग्न कंपनियों के शेयरों का अंतरण ।

(ii) शेयरों के अंतरण का परिणाम भारतीय कंपनी में विदेशी निवेश के लिए लागू क्षेत्रगत उच्चतम सीमा को पार करता है ।

8.बी.IV. प्रतिभूति के अर्जन/अंतरण के कतिपय मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति

(i) शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचरों का निवासी से अनिवासी को अंतरण जहां अनिवासी अर्जक प्रतिफल की राशि का भुगतान आस्थगित रखने का प्रस्ताव करता है, वहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त, यदि लेनदेन के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाती है तो, उसे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक को विधिवत् प्रमाणित फॉर्म एफसी-टीआरएस में प्रतिफल की पूर्ण और अंतिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट किया जाए ।

(ii) भारत में निवासी व्यक्ति, जो किसी प्रतिभूति को उपहार के तौर पर भारत के बाहर किसी निवासी व्यक्ति को अंतरित करना चाहता है, रिज़र्व बैंक[9] की पूर्व अनुमति प्राप्त करे । शेयरों को उपहार के तौर पर अंतरण की अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक को आवेदन भेजते समय संलग्नक-4 में उल्लिखित दस्तावेज संलग्न किये जाएं । रिज़र्व बैंक आवेदनपत्र पर कार्रवाई करते समय निम्नलिखित बातों पर विचार करता है:

ए) प्रस्तावित अंतरिती, समय समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000- आरबी की अनुसूची 1, 4 और 5 के तहत ऐसी प्रतिभूति धारित करने के लिए पात्र है ।

बी) उपहार भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी / डिबेंचर की प्रत्येक सीरिज़/प्रत्येक म्युच्युअल फंड योजना के 5 प्रतिशत से अधिक न हो ।

सी) भारतीय कंपनी पर लागू सेक्टोरेल सीमा (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा) का उल्लंघन नहीं किया गया है ।

डी) अंतरणकर्ता (दाता) और प्रस्तावित अंतरिती(आदाता), समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित निकट संबंधी हैं । मौजूदा (चालू) सूची संलग्नक 5 में पुन: प्रस्तुत की गयी है।

ई) भारत के बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को उपहार के तौर पर अंतरणकर्ता द्वारा पहले से ही अंतरित किसी प्रतिभूति को जोड़कर अंतरण की जानेवाली प्रतिभूति का मूल्य एक वित्तीय वर्ष के दौरान 50,000 अमरीकी डॉलर के समतुल्य रूपये से अधिक न हो ।

एफ) लोक हित में समय समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित ऐसी अन्य शर्तें ।

(iii) अनिवासी भारतीय से अनिवासी को शेयरों के अंतरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है ।

8.बी.V. शेयरों के अंतरण के लिए एस्क्रो खाता

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को निवासियों एवं अनिवासियों की ओर से बिना ब्याज के भारतीय रुपये में भारत में एस्क्रो खाते खोलने तथा बनाए रखने की सामान्य अनुमति दी गयी है ताकि शेयर खरीद प्रतिफल के भुगतान और / या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिभूतियों को रखने हेतु एस्क्रो खातेगत सुविधा उपलब्ध हो सके । यह भी निर्णय लिया गया है कि सेबी द्वारा प्राधिकृत डिपॉजिटरी सहभागी, रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना, पैरा 9 (बी) में वर्णित प्रतिभूतियों के लिए एस्क्रो खाते खोले एवं बनाए रख सकें ।

8.बी.VI. रिपोर्टिंग संबंधी दिशा-निर्देश मास्टर परिपत्र के खंड V में दिए गए हैं ।

8.सी. राइट/बोनस शेयरों का निर्गम

सैक्टोरल कैप और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, आदि के अनुपालन के अधीन भारतीय कंपनी वर्तमान अनिवासी शेयर धारकों को स्वत्वाधिकार (राइट)/ बोनस शेयर मुक्त रूप से जारी कर सकती है । इसके अलावा, बोनस/ स्वत्वाधिकार (राइट) शेयरों के ऐसे निर्गम कंपनी अधिनियम, 1956, सेबी, (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षा) विनियमावली, 2009 आदि जैसे अन्य कानून/ अधिनियम के अनुसार होने चाहिए।

- **समुद्रपारीय निगमित निकायों (OCBs) को स्वत्वाधिकार के निर्गम**:समुद्रपारीय निगमित निकायों की निवेशकों की एक श्रेणी के रूप में मान्यता 16 सितंबर 2003 से हटा ली गयी है। अतः ऐसे पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों को स्वत्वाधिकारी शेयर जारी करने की इच्छुक कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक [10] से विशिष्ट पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। इस प्रकार समुद्रपारीय निगमित निकायों को स्वत्वाधिकारी शेयरों की पात्रता स्वतः उपलब्ध नहीं है। तथापि, पूर्ववर्ती समुद्रपारीय निगमित निकायों को भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं बशर्ते वह/वे निकाय रिज़र्व बैंक की प्रतिकूल सूची में न हों ।

- **निवासियों द्वारा अनिवासियों को अतिरिक्त स्वत्वाधिकार शेयर आबंटित (नियत) करना**

  वर्तमान अनिवासी शेयरधारकों को अपने राइट शेयरों की पात्रता के अलावा अतिरिक्त शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर/ अधिमानी शेयरों को जारी करने के लिए आवेदन करने की अनुमति है। निवेशिती कंपनी अभिदान न दिए गए (अन्सस्क्राइब्ड) शेयरों में से अतिरिक्त स्वत्वाधिकार शेयर आबंटित कर सकती है, बशर्ते कंपनी की कुल प्रदत्त पूंजी में से अनिवासी को जारी समग्र शेयर क्षेत्रगत सीमा (सेक्टोरल कैप) से अधिक न हों।

8.डी. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के अंतर्गत शेयर जारी करना

भारतीय कंपनी ईएसओपीएस के अंतर्गत अपने कर्मचारियों को या विदेश स्थित अपने संयुक्त उद्यम या पूर्णतः

स्वाधिकृत सहायक संस्थाओं के कर्मचारियों को, जो पाकिस्तानी नागरिक से इतर हो, शेयर जारी कर सकती है।बांगला देश के नागरिक विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की पूर्व अनुमति से इसमें निवेश कर सकते हैं । योजना के अंतर्गत अनिवासी कर्मचारियों को आबंटित किए जाने वाले शेयरों के अंकित मूल्य जारीकर्ता कंपनी की प्रदत्त पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक न हों। ईएसओपी के अंतर्गत शेयर सीधे ही या किसी न्यास के जरिए जारी किए जा सकते हैं बशर्ते योजना, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी विनियमों के अनुसार बनाई गयी हो ।

8.ई. बाह्य वाणिज्यिक उधार/एकमुश्त फीस/रायल्टी/ विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा पूंजीगत माल के आयातों का ईक्विटी/आयात भुगतान/निगमन पूर्व व्यय में परिवर्तन

(I) भारतीय कंपनियों को निम्नलिखित शर्तों और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के तहत बाह्य वाणिज्यिक उधार को शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों में परिवर्तित करने की सामान्य अनुमति दी गई है:

(ए) कंपनी के कार्यकलाप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत कवर किए गए हैं अथवा कंपनी में विदेशी ईक्विटी के लिए कंपनी ने सरकारी अनुमोदन प्राप्त किया है;

(बी) बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन करने के बाद विदेशी ईक्विटी, सेक्टोरल सीमा, यदि कोई हो, के अंदर है;

(सी) शेयरों का मूल्य निर्धारण, सूचीबद्ध कंपनियों के मामलों में सेबी विनियमावली अथवा असूचीबद्ध कंपनियों के मामलों में डीसीएफ पद्धति के अनुसार है;

(डी) लागू किसी अन्य कानून अथवा विनियम के तहत निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन;

(ई) यह परिवर्तन सुविधा, स्वतः अनुमोदित अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत लिए गए बाह्य वाणिज्यिक उधारों के लिए उपलब्ध है। यह बाह्य वाणिज्यिक उधार, चाहे वे भुगतान के लिए देय हो या न हो, और अनिवासी सहयोगी संस्थाओं से लिए गए सुरक्षित/ असुरक्षित ऋणों के लिए भी लागू होगी।

(ii) स्वतः अनुमोदित मार्ग अथवा एसआईए/ एफआईपीबी मार्ग के तहत एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क, रॉयल्टी पर शेयर/ अधिमानी शेयर के निर्गम के लिए भी सामान्य अनुमति उपलब्ध है, बशर्ते इस बाबत भारतीय रिज़र्व बैंक/सेबी के कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों और लागू कर संबंधी कानूनों का अनुपालन किया गया हो।

(iii) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को पूंजी माल के आयात पर अनिवासियों को ईक्विटी शेयर के निर्गम की अनुमति है, बशर्ते मूल्यांकन ऐसी समिति द्वारा किया जाए जिसमें डेवलेप्मेंट कमीशनर और उचित स्तर के सीमा शुल्क अधिकारी शामिल हों।

(iv) पूँजीगत माल/मशीनरी/उपकरण के बदले ईक्विटी शेयर, सरकारी मार्ग के तहत, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन जारी किये जा सकते हैं:

(ए) भारत में निवासी व्यक्ति पूँजीगत माल, मशीनरी, आदि का आयात विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा अधिसूचित भारत सरकार की निर्यात/आयात नीति एवं फेमा, 1999 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आयात संबंधी विनियमावली के तहत कर सकता है।

(बी) पूँजीगत माल/मशीनरी/उपकरणों का मूल्यन किसी तीसरी एंटिटी, अधिमानत: आयातित देश के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए और उसके साथ ऐसे आयात के उचित मूल्य के आँकने के संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों की प्रतिलिपियाँ भी संलग्न की जानी चाहिए ।

(सी) आवेदन पत्र में हिताधिकारी स्वामित्व तथा आयातक कंपनी की पहचान के साथ-साथ समुद्रपारीय एंटिटी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए; और

(डी) पूँजीगत माल के लिए किए जाने वाले आयात भुगतान के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में परिवर्तन की समस्त प्रक्रिया माल के शिपमेंट की तारीख से 180 दिनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए ।

(v) परिचालन पूर्व/निगमन पूर्व व्यय (किराये आदि सहित) के बदले ईक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति, सरकारी मार्ग के तहत, निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन है:

ए) किए गए व्यय के लिए समुद्रपारीय प्रवर्तक (प्रोमोटर) द्वारा निधियों के विप्रेषण के लिए विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) प्रस्तुत करना ।

बी) निगमन पूर्व/परिचालन पूर्व व्यय को सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा सत्यापित एवं प्रमाणित करना।

सी) विदेशी निवेशक द्वारा कंपनी को सीधे भुगतान करना । बैंक खाता न होने की बात अथवा इसी प्रकार के अन्य कारणों का उल्लेख करके तीसरे पक्ष के मार्फत भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी ।

डी) कंपनी के निगमन की तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर पूँजीकरण के लिए सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन किया जाना चाहिए ।

(vi) शेयरों के स्वाप[11] अर्थात प्रतिफल जिसे समुद्रपारीय कंपनी के अर्जित शेयरों के लिए भुगतान किया जाना है, के बदले अनिवासियों को शेयर विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की अनुमति के तहत जारी किए जा सकते हैं ।

(vi) रिपोर्टिंग दिशा-निर्देश मास्टर परिपत्र के खंड V में दिए गए है ।

8.एफ. एडीआर/जीडीआर के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा शेयरों का निर्गम

डिपाजिटरी रसीदें ,भारतीय कंपनी की ओर से किसी डिपाजिटरी बैंक द्वारा भारत के बाहर जारी परक्राम्य प्रतिभूति हैं जो भारत में कस्टोडियन बैंक द्वारा अमानत के तौर पर धारित कंपनी के स्थानीय रुपया मूल्यवर्ग के ईक्विटी शेयरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। अमरीका, सिंगापुर, लक्ज़म्बर्ग, लंदन आदि देशों के स्टॉक एक्सचेंजों में डिपाजिटरी रसीदों के लेनदेन किए जाते हैं। अमरीकी बाज़ारों में सूचीबद्ध

और खरीदी-बेची जानेवाली डिपाजिटरी रसीदें अमेरिकन डिपाजिटरी रसीदें (एडीआर) कही जाती हैं और अन्य देशों में सूचीबद्ध और खरीदी-बेची जानेवाली डिपाजिटरी रसीदें ग्लोबल डिपाजिटरी रसीदें (जीडीआर) कही जाती हैं। भारत में डिपाजिटरी रसीदों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश माना जाता है।

i) भारतीय कंपनियां, विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बांडों और सामान्य शेयरों के निर्गम (डिपाजिटरी रसीद मेकनिज़्म के माध्यम से) योजना, 1993 और समय-समय पर उसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में एडीआर/ जीडीआर के निर्गम के माध्यम से विदेश में विदेशी मुद्रा संसाधन जुटा (उगाह) सकती हैं।

ii) कंपनी एडीआर/ जीडीआर जारी कर सकती है अगर वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने के लिए पात्र है। तथापि, ऐसी कंपनी जिसके प्रतिभूति के बाजार में पहुंच पर सेबी ने रोक लगाई है, सहित एक भारतीय सूचीबद्ध कपनी जो भारतीय पूंजी बाज़ार से निधि उगाहने के लिए पात्र नहीं है, एडीआर/ जीडीआर जारी करने के लिए पात्र नहीं होगी।

iii) ऐसे समुद्रपारीय लिखतों के निर्गम करने की इच्छुक असूचीबद्ध कंपनियों को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पूंजी उगाहने के लिए अब तक एडीआर/ जीडीआर मार्ग का उपयोग नहीं किया है, घरेलू बाज़ार में पहले से या साथ-साथ सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है। असूचीबद्ध कंपनियों को, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में पहले ही एडीआर/ जीडीआर जारी कर चुकी हैं, लाभ कमाने की शुरुआत पर अथवा ऐसे एडीआर/ जीआर के निर्गम के तीन वर्ष के अंदर, जो भी पहले हो, घरेलू बाज़ार में सूचीबद्ध होने की आवश्यकता है।

भारतीय कंपनी निर्गम के अग्रणी प्रबंधक से सलाह मशविरा कर निकाले गए अनुपात के आधार पर एडीआर/ जीडीआर जारी कर सकती है। इस तरह उगाहे गए प्राप्यों को उस समय तक विदेश में रखा जाए जब तक भारत में उनकी वास्तव में जरूरत न हो। प्राप्यों के प्रत्यावर्तन अथवा उपयोग तक भारतीय कंपनी निम्नलिखित में निधियों का निवेश कर सकती है :-

(ए) स्टैंडर्ड ऐण्ड पुअर, फिच अथवा मूडीज़, आदि द्वारा रेटिंग किए गए बैंकों द्वारा प्रस्तावित सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अथवा अन्य लिखतों के साथ प्रस्तावित जमा और ऐसी रेटिंग समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित रेटिंग से कम न हो;

(बी) भारतीय प्राधिकृत व्यापारी की भारत के बाहर स्थित शाखा/शाखाओं में जमा, और

(सी) एक वर्ष अथवा उससे कम की परिपक्कता अथवा असमाप्त परिपक्कता अवधिवाले खजाना बिल और अन्य मौद्रिक लिखतों में।

(v) ऐसी निधियों के स्थावर संपदा अथवा स्टॉक मार्केट में अभिनियोजन/निवेश पर निषेध से इतर अंतिम

उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारतीय कंपनी द्वारा एडीआर/जीडीआर से उगाही जाने वाली राशि के लिए कोई मौद्रिक सीमा नहीं है।

(vi) एडीआर/जीडीआर की आय (proceeds) का उपयोग सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/ उद्यमों के विनिवेश की प्रक्रिया में शेयरों के प्रथम चरण के अधिग्रहण साथ ही उनके अपेक्षित महत्व को देखते हुए अनिवार्यत: द्वितीय चरण के प्रस्ताव में भी निवेश किया जा सकता है।

(vii) इस योजना के तहत जारी शेयरों पर मतदान के अधिकार कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार और ऐसे तरीके से होंगे जिसमें एडीआर/ जीडीआर निर्गमों पर लगाये गये मतदान अधिकार पर प्रतिबंध कंपनी कानून के प्रावधानों से संगत होंगे। बैंकिंग कंपनियों के मामले में मतदान अधिकार, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों तथा मतदान अधिकार के प्रयोग करनेवाले सभी शेयरधारकों पर यथालागू भारतीय रिज़र्व बैंक [12] द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार जारी रहेगा।

(viii) पूर्ववर्ती विदेशी कंपनी निकाय, जो भारत में निवेश के लिए पात्र नहीं हैं और सेबी द्वारा प्रतिभूति खरीदने, बेचने और उसमें कारोबार करने की मनाही वाली कंपनियां, भारतीय कंपनियों द्वारा जारी एडीआर/ जीआर में अभिदान के लिए पात्र नहीं होंगी।

(ix) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाँड और सामान्य शेयर (डिपोजिटरी रसीद मैकेनिज़म के जरिये) योजना, 1993 की निर्गम योजना के प्रावधानों और समय- समय पर भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अधीन निर्धारित कीमत पर, प्रायोजित एडीआर/जीडीआर निर्गमों सहित एडीआर/जीडीआर का मूल्यांकन किया जायेगा।

(x) **द्विमार्गी विनिमेयता प्रणाली**

भारत सरकार ने एडीआर/ जीडीआर के लिए सीमित द्विमार्गी विनिमेयता प्रणाली शुरू की है। इस योजना के तहत सेबी के पास पंजीकृत भारतीय दलाल समुद्रपारीय निवेशक से प्राप्त अनुदेश के आधार पर एडीआर/ जीडीआर में परिवर्तन के लिए बाजार से भारतीय कंपनी के शेयर खरीद सकता है। एडीआर/ जीडीआर को पुनः जारी करने की अनुमति एडीआर/ जीडीआर की उस सीमा तक होगी जो घरेलू बाजार में निहित अंडरलाइंग शेयरों के रूप में भुनाया गया है और भारतीय बाज़ार में बेचा गया है।

(xi) **प्रायोजित एडीआर/ जीडीआर निर्गम**

भारतीय कंपनी एडीआर/ जीडीआर के निर्गम को प्रायोजित भी कर सकती है। इस प्रणाली के तहत, कंपनी अपने निवासी शेयरधारकों को इसका विकल्प देती है कि वे अपने शेयर कंपनी को वापस लौटा दें ताकि ऐसे शेयरों के आधार पर विदेश में एडीआर/जीडीआर जारी किए जा सकें। एडीआर/ जीडीआर जारी करने से प्राप्त राशि भारत पुनः प्रेषित की जाती है और इसे उन निवासी निवेशकों में बांटा जाता है जिन्होंने रुपए में मूल्यवर्गीकृत अपने शेयर परिवर्तन हेतु दिए थे। इन प्राप्त राशियों को उन शेयरधारकों द्वारा जिन्होंने ऐसे शेयरों को एडीआर/ जीडीआर में परिवर्तन के लिए दिया था भारत में निवासी विदेशी मुद्रा (घरेलू) खाते में रखा जा सकता है।

(xii) **एडीआर/जीडीआर के संबंध में रिपोर्टिंग दिशा-निर्देश मास्टर परिपत्र के खंड v में दिए गए हैं ।**

8.जी. किसी अनिवासी को तेल क्षेत्रों में 'सहभागिता इंटरेस्ट/अधिकार (राइट)' के निर्गम/अंतरण द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

भारतीय कंपनियों द्वारा अनिवासी को तेल क्षेत्रों में 'सहभागिता इंटरेस्ट/राइट्स' के निर्गम/अंतरण को मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और फेमा विनियमावली के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) माना जाता है। तदनुसार, ये लेनदेन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेनदेनों के रूप में रिपोर्ट किये जाने चाहिए। 'सहभागिता इंटरेस्ट/राइट्स' के अंतरण पुनरीक्षित फार्म एफसी-टीआरएस के पैरा 7 के अंतर्गत 'अन्य श्रेणी' में रिपोर्ट किये जाएंगे और 'सहभागिता इंटरेस्ट/राइट्स' के निर्गम एफसी-जीपीआर के पैरा 4 के अंतर्गत 'अन्य श्रेणी के लिखत' में रिपोर्ट किये जायेंगे।

9. **विदेशी मुद्रा खाता तथा एस्क्रो खाता**

ए)प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयरों का निर्गम करने के लिए पात्र भारतीय कंपनियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से विश्वसनीय कारोबारी प्रयोजन हेतु विदेशी मुद्रा खाते में शेयरों की अभिदान की राशि रखने की अनुमति दी जाएगी ।

बी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंकों को निवासियों एवं अनिवासियों की ओर से बिना ब्याज के भारतीय रुपये में एस्क्रो खाते खोलने तथा बनाये रखने की सामान्य अनुमति दी गयी है ताकि शेयर खरीद प्रतिफल के भुगतान और/या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिभूतियों को रखने हेतु एस्क्रो खातेगत सुविधा उपलब्ध हो सके। यह भी निर्णय लिया गया है कि सेबी द्वारा प्राधिकृत डिपॉजिटरी सहभागी, रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना, प्रतिभूतियों के लिए एस्क्रो खाते खोले एवं बनाये रख सकेंगे । एस्क्रो खाते 2 मई 2011 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज) परिपत्र सं. 58 में विनिर्दिष्ट शर्तों के तहत होंगे । इसके अलावा एस्क्रो खाते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक या सेबी द्वारा प्राधिकृत डिपॉजिटरी सहभागी(प्रतिभूति खाते के मामले में) के पास रखे जा सकेंगे । ये सुविधाएं अनिवासियों को नए शेयर जारी करने के साथ-साथ अनिवासियों को शेयरों के अंतरण एवं अनिवासियों से/को शेयरों के अंतरण दोनों पर ही लागू होंगी।

समामेलन/ विलयन योजना के अंतर्गत शेयरों का अभिग्रहण

10. भारत में कंपनियों का विलयन या समामेलन सामान्यतः, विलयन/ समामेलित हो रही कंपनियों द्वारा प्रस्तुत योजना के आधार पर एक सक्षम कोर्ट के आदेश द्वारा नियंत्रित होते हैं। दो या अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन या समामेलन की योजना भारत में किसी कोर्ट द्वारा एक बार अनुमोदित किए जाने पर अंतरिती कंपनी अथवा नई कंपनी, अंतरणकर्ता कंपनी के भारत से बाहर के निवासी शेयर होल्डरों को शेयर जारी कर सकती है बशर्ते :

(i) अंतरिती अथवा नई कंपनी में भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों की शेयरधारिता का प्रतिशत सेक्टोरल कैप से अनधिक हो, और

(ii) अंतरणकर्ता कंपनी या अंतरिती या नई कंपनी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति (उपर्युक्त पैरा 7(सी) देखें) में निषिद्ध कार्यकलाप में संलग्न न हो।

11. बिक्रीगत आय (proceeds) का विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी– I बैंक भारत के बाहर के निवासी शेयर विक्रेता को किसी प्रतिभूति की बिक्रीगत आय के विप्रेषण (लागू करों के घटाकर) की अनुमति दे सकता है बशर्ते प्रतिभूति प्रत्यावर्तन आधार पर धारित की गई हो तथा प्रतिभूति की बिक्री निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई हो और आयकर विभाग से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र/ कर बेबाकी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया हो।

12. कंपनियों के बंद होने/ परिसमापन पर विप्रेषण

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनुमति प्रदान की गई है कि वे भारत में परिसमापनाधीन कंपनियों, की परिसमापनगत -आय को लागू करों के भुगतान होने पर विप्रेषित करें। कंपनियों का परिसमापन कोर्ट द्वारा जारी किसी आदेश के अनुसरण में अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत स्वेच्छा से सरकारी परिसमापन के अधीन हो सकता है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक विप्रेषण की अनुमति दें बशर्ते कि आवेदक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

(i) विप्रेषण के लिए आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र अथवा आयकर बेबाकी प्रमाणपत्र।

(ii) लेखापरीक्षक का इस आशय का प्रमाणपत्र कि कंपनी द्वारा भारत में अपनी सभी देयताएं अदा कर दी गयी हैं अथवा उनके लिए पर्याप्त प्रावधान कर लिया गया है।

(iii) लेखा परीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि कंपनी का परिसमापन कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

(iv) कोर्ट के अलावा अन्य किसी प्रकार से कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, लेखापरीक्षक का इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि आवेदक अथवा परिसमापनाधीन कंपनी के विरुद्ध भारत में किसी कोर्ट में कोई मुकदमा नहीं चल रहा है और विप्रेषण की अनुमति देने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है।

13. शेयर गिरवी रखना

ए) भारत में पंजीकृत किसी कंपनी (उधारकर्ता कंपनी) जिसने बाह्य वाणिज्यिक उधार उगाह लिया है, का प्रवर्तक होने के नाते कोई व्यक्ति उधारकर्ता कंपनी द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार लेना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उधारकर्ता कंपनी अथवा उसकी सहयोगी निवासी कंपनी के शेयर गिरवी रख सकता है बशर्ते उसके लिए ऐसे बैंक से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया गया हो जो प्राधिकृत व्यापारी बैंक हो। प्राधिकृत व्यापारी इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि बाह्य वाणिज्यिक उधार बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिए वर्तमान फेमा के विनियमों के अनुसार है, वह इस प्रकार की गिरवी रखने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और यह कि

i) ऋण करार पर उधारकर्ता तथा उधारदाता, दोनों द्वारा हस्ताक्षर किये गये हों,

ii) ऋण करार में इस आशय का उपबंध है कि उधारकर्ता वित्तीय प्रतिभूतियों पर प्रभार निर्मित कर सकता है, और

iii) उधारकर्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक से ऋण पंजीकरण संख्या प्राप्त की हो तथा उक्त गिरवी रखना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

i) इस प्रकार की गिरवी की अवधि अंतर्निहित बाह्य वाणिज्यिक उधार की परिपक्वता के साथ समाप्त होगी;

ii) गिरवी के अनुरोध के मामले में अंतरण वर्तमान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति तथा रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगा;

iii) सांविधिक लेखा परीक्षक ने यह प्रमाणित किया हो कि उधारकर्ता कंपनी ने केवल अंतिम उपयोग/ उपयोगों के लिए ही बाह्य वाणिज्यिक उधार के आगम(आय) का उपयोग करेगी/उपयोग किया है।

बी) भारतीय कंपनी के शेयरों का अनिवासी धारक निवासी निवेशिती कंपनी के लिए सही/सद् भावी प्रयोजनों हेतु मिलने वाली ऋण (साख) सुविधा की प्राप्ति के लिए इन शेयरों को निम्नलिखित शर्तों के तहत गिरवी रख सकता है :

(ए) गिरवी के अनुरोध के मामले में, शेयरों का अंतरण गिरवी के सृजन के समय प्रचलित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार होगा;

(बी) निवेशिती कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक का घोषणा पत्र/ वार्षिक प्रमाणपत्र का प्रस्तुतीकरण कि ऋण के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग घोषित प्रयोजन के लिए होगा / किया गया है ;

(सी) भारतीय कंपनी को सेबी के संगत प्रकटीकरण मानदंडों का अनुसरण करना होगा; और

(डी) बैंककारी विनिमय अधिनियम, 1949 की धारा 19 की शर्तों के तहत शेयर उधारदाता (बैंक) के पक्ष में गिरवी रखे जायेंगे।

सी) भारतीय कंपनी के शेयरों का अनिवासी धारक भारतीय कंपनी या उसकी समुद्रपारीय कंपनी के किसी अनिवासी निवेशक/अनिवासी प्रवर्तक को प्राप्त हो सकने वाली ऋण सुविधाओं को प्राप्त कराने के लिए इन शेयरों को किसी समुद्रपारीय बैंक के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के तहत गिरवी रख सकता है :-

(ए) ऋण केवल समुद्रपारीय बैंक से लिया जाए;

(बी) ऋण का उपयोग समुद्रपारीय मौलिक कारोबारी प्रयोजन के लिए किया

जाए और उसे भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में उसका निवेश न किया जाए,

(सी) विदेशी निवेश का परिणाम भारत में पूँजी प्रवाह नहीं होना चाहिए;

(डी) गिरवी के अनुरोध के मामले में अंतरण गिरवी के सृजन के समय की प्रचलित प्रत्यक्ष विदेशी नीति के अनुसार होना चाहिए; और

(ई) अनिवासी उधारकर्ता के सनदी लेखाकार/प्रमाणित लोक लेखाकार का इस आशय का घोषणापत्र/वार्षिक प्रमाणपत्र कि ऋण के तहत प्राप्त राशि का उपयोग घोषित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा/किया गया है ।

खंड II

संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी निवेश

1. कंपनियां (एंटिटीज)

(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों द्वारा जारी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने के लिए पात्र हैं।

(ii) अनिवासी भारतीय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी – I बैंक की संबंधित नामित शाखा (जिसे रिज़र्व बैंक ने संविभाग निवेश योजना को प्रशासित करने के लिए अधिकृत किया हो) द्वारा अनुमति के तहत भारतीय कंपनी द्वारा संविभाग निवेश योजना के तहत जारी शेयर/परिवर्तनीय डिबेंचरों को खरीदने के लिए पात्र है ।

(iii) विदेशी संस्थागत निवेशकों के सेबी द्वारा अनुमोदित उप-खातों से संविभाग निवेश योजना के तहत निवेश करने की सामान्य अनुमति है ।

(iv) समुद्रपारीय कंपनी निकायों (ओसीबी) को भारत में संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत 29 नवंबर 2001 से निवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, यदि ओसीबी ने पीआईएस के अंतर्गत पहले से निवेश किया है तो वह उन शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों को शेयर बाजार में बेचे जाने तक रख सकता है।

2 सूचीबध्द भारतीय कंपनियों में निवेश

ए. विदशी संस्थागत निवेशक

(ए) प्रत्येक **विदशी संस्थागत निवेशक/ सेबी अनुमोदित उप-खाता** कुल प्रदत्त पूँजी के अधिकतम 10 प्रतिशत या भारतीय कंपनी द्वारा जारी परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत तक निवेश कर सकता है । इस 10 प्रतिशत की सीमा में सेबी रजिस्टर्ड विदेशी संस्थागत निवेशक / विदेशी संस्थागत निवेशक का सेबी अनुमोदित उप-खातेगत संविभाग निवेश योजना के तहत धारण किये गये शेयरों (भारत में किसी मान्यताप्रप्त स्टॉक एक्स्चेंज के पास रजिस्टर्ड दलाल के मार्फत की गयी खरीद या किए गए प्रस्ताव या प्राइवेट प्लेसमेंट के द्वारा) के साथ-साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत सेबी रजिस्टर्ड विदशी संस्थागत निवेशक के अर्जित शेयर उक्त 10 प्रतिशत की सीमा में शामिल होंगे ।

(ब) **सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/ सभी विदशी संस्थागत निवेशकों के उप लेखाओं** की सामूहिक रूप से कुल धारिता प्रदत्त पूंजी या परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रत्येक सिरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। 24 प्रतिशत की यह सीमा निदेशक बोर्ड द्वारा पारित किए गए संकल्प और बाद में आम सभा द्वारा पारित उसी आशय के विशेष संकल्प के तहत संबंधित भारतीय कंपनी को यथा लागू सेक्टोरल कैप/ सांविधिक सीमा तक बढ़ाई जा सकती है और कंपनी सचिव के इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ कि मौजूदा

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के विनियमों के सभी संगत उपबंध एवं समय समय पर यथा संशोधित, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का अनुपालन किया गया है, के साथ रिज़र्व बैंक को, अब तक की भाँति, अनिवार्यत: तत्काल सूचित किया जाए ।

बी. अनिवासी भारतीय

(ए)अनिवासी भारतीयों को संविभाग निवेश योजना के तहत मान्यता प्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों में सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश की अनुमति है।

(बी) अनिवासी भारतीय संविभाग निवेश योजना मार्ग के अंतर्गत नामित प्राधिकृत व्यापारियों के जरिए प्रत्यावर्तनीय और अप्रत्यावर्तनीय, दोनों, आधार पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की प्रदत्त पूंजी/के डिबेंचरों की प्रत्येक सीरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 5 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं।

(सी) सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा खरीदे गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों का समग्र प्रदत्त मूल्य, कंपनी की प्रदत्त पूंजी/ कंपनी के डिबेंचरों की प्रत्येक सीरीज़ के प्रदत्त मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। समग्र उच्चतम सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत किया जा सकता है, यदि संबंधित भारतीय कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाए और तत्संबंध में आम सभा (जनरल बॉडी) इस आशय का विशेष संकल्प पारित करे एवं कंपनी सचिव के इस आशय के प्रमाणपत्र कि मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के विनियमों के सभी संगत उपबंधों और समय समय पर यथा संशोधित, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति का अनुपालन किया गया है, के साथ रिज़र्व बैंक को, अब तक की भाँति, अनिवार्यत: तत्काल सूचित किया जाए ।

सी. विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने पर निषेध/रोक

- विदेशी संस्थागत निवेशकों को परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) में निवेश करने की अनुमति नहीं है ।
- **विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों,** दोनों, को किसी भी ऐसी कपनी में निवेश करने की अनुमति नहीं है जो निम्नलिखित गतिविधियों/कार्यों में संलग्न है या जिसका उनमें संलग्न होना प्रस्तावित है :

i) चिट फंड कारोबार, अथवा

ii) निधि कंपनी, अथवा

iii) कृषि अथवा बागबानी कार्यकलाप अथवा

iv) स्थावर-संपदा कार्यकलाप* अथवा फार्म हाउस का निर्माण अथवा

v) अंतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) में कारोबार

*उपर्युक्त "स्थावर संपदा कारोबार" में आवास/ वाणिज्यिक परिसर, शैक्षणिक संस्थाओं, मनोरंजन सुविधाओं, शहर तथा क्षेत्रीय स्तर की मूलभूत सुविधाओं, टाउनशिप का निर्माण शामिल नहीं है।

3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी–I बैंकों के पास खाते

ए. विदेशी संस्थागत निवेशक

विदेशी संस्थागत निवेशक/ विदेशी संस्थागत निवेशक के उप खाते संविभाग निवेश योजना के तहत निवेश के प्रयोजन से किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में विदेशी मुद्रा खाता और/ अथवा **ब्याज रहित एक** विशेष अनिवासी रुपया खाता खोल सकते हैं। वे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड(सेबी) विनियमावली, 1995, समय समय पर यथा संशोधित, के अनुसार प्रतिभूतियों में वास्तविक निवेश करने के लिए विदेशी मुद्रा खाते से उक्त **एक** विशेष अनिवासी रुपया खाते में रकम अंतरित कर सकते हैं। यह राशि विदेशी मुद्रा खाते से उक्त विशेष अनिवासी रुपया खाते में प्रचलित बाज़ार दर पर अंतरित की जाये और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंक प्रत्यावर्तनीय आय (कर के भुगतान के पश्चात) उक्त एक विशेष अनिवासी रुपया खाते से विदेशी मुद्रा खाते में अंतरित कर सकते हैं। शेयरों/ डिबेंचरों, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना बिलों, आदि की बिक्रीगत आय को विशेष अनिवासी रुपया खाते में जमा किया जा सकता है। ऐसी राशियां उक्त खाते में जमा करने की अनुमति है बशर्ते प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक संबंधित निवेशिती कंपनी/ विदेशी संस्थागत निवेशकों से यह पुष्टि प्राप्त करें कि लाभांश की समग्र राशि/ देय ब्याज की राशि/ शेयरों से आय/ डिबेंचरों/सरकारी प्रतिभूतिधारकों की अनुमोदित आय में से, जहां कहीं आवश्यक है, आय कर अधिनियम के अनुसार स्रोत पर लागू दर से आयकर की कटौती की गई है। शेयरों/ डिबेंचरों/ दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, खज़ाना बिलों आदि की खरीद और आवेदक विदेशी संस्थागत निवेशकों के स्थानीय सनदी लेखाकार/ आयकर परामर्शदाता को फीस अदायगी, जहां ऐसी फीस उनके निवेश की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, को विशेष अनिवासी रुपया खाते के नामे डाला जाए।

बी. अनिवासी भारतीय

अनिवासी भारतीय संविभाग निवेश योजना के तहत निवेश करने के लिए एक नामित खाता (एनआरई/एनआरओ खाता) खोलने हेतु रिज़र्व बैंक द्वारा संविभाग निवेश योजना को प्रशासित करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक की पदनामित शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

शेयरों और/या डिबेंचरों की **प्रत्यावर्तनीय** आधार पर खरीद करने के लिए भुगतान सामान्य बैंकिंग चैनल से विदेशी मुद्रा के आवक विप्रेषण या भारत में रखे गए एनआरई/एफसीएनआर(बी) खाते में रखी निधियों से किया जा सकता है। यदि शेयर **अप्रत्यावर्तनीय** आधार पर खरीदे जाते हैं तो अनिवासी भारतीय उक्त खातों के अलावा एनआरओ खाते में जमा निधियों का भी उपयोग कर सकते हैं।

एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाएं

4. ए. विदेशी संस्थागत निवेशक

- सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित स्थिति सीमा और आवश्यक मार्जिन के साथ ही साथ रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट संपार्श्विक प्रतिभूतियों संबंधी शर्तों के अधीन भारत में मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों में भारतीय रिज़र्व बैंक/ सेबी द्वारा अनुमोदित सभी एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं [13] में व्यापार करने की अनुमति है।
- सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप-खाता अपने विशेष अनिवासी रुपया खाता के अंतर्गत पृथक खाता खोल सकते हैं जिसके माध्यम से एक्स्चेंजों में ट्रेडेड डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यापार/ निवेश संबंधी सभी प्राप्तियां और भुगतान (आरंभिक मार्जिन और मार्क टू मार्केट निपटान, लेनदेन प्रभार, दलाली, आदि) किए जाएंगे।
- इसके अलावा, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं में व्यापार के प्रयोजन के लिए विशेष अनिवासी रुपया खाता और रखे गए उप-खाता में मुक्त रूप से लेनदेन किया जा सकता है।
- तथापि, रुपया राशि के प्रत्यावर्तन संबंधित करों के भुगतान के अधीन उनके विशेष अनिवासी रुपया खाते के माध्यम से ही किए जाएंगे। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को उपर्युक्त पृथक खाते का उचित रिकार्ड रखना है और यथावश्यक उसे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना है।

बी. अनिवासी भारतीय

अनिवासी भारतीयों को अप्रत्यवर्तनीय आधार पर भारत में रखी रूपया निधियों में से सेबी द्वारा अनुमोदित एक्स्चेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव संविदाओं में सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट सीमाओं में निवेश करने की अनुमति है । ऐसे निवेश प्रत्यवर्तनीय लाभ रहित होंगे ।

5. विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए संपार्श्विक जमानत

ए) डेरिवेटिव खंड: विदेशी संस्थागत निवेशक बाजार के डेरिवेटिव खंड में अपने लेनदेनों के लिए नकदी के अतिरिक्त संपार्श्विक जमानत के रूप में भारत स्थित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को एएए(AAA) रेटिंगवाली विदेशी राजकीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉरपोरेशन्स तथा उनके समाशोधन सदस्यों को इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन निम्नलिखित लेनदेनों की अनुमति है :

(ए) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में प्रस्तुत की गई विदेशी सरकारी प्रतिभूतियां अधिग्रहीत करने, रखने, गिरवी रखने तथा अंतरित करने और विदेशी निक्षेपागारों में डी-मैट खाते खोलने तथा उनका संचालन करने के लिए ।

(बी) यदि किन्हीं विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों पर कारपोरेट कार्य के कारण होने वाली आगम राशि बनती है तो उसे प्रेषित करना ।

(सी) यथा आवश्यक, ऐसी विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों का परिसमापन ।

समाशोधन (क्लियरिंग) कॉरपोरेशन को अपने समाशोधन सदस्यों की गैर-नकदी संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखी हुईं विदेशी सरकारी प्रतिभूतियों के अधिशेष की रिपोर्ट जिस महीने से संबंधित है उसके बाद वाले महीने की 10 तारीख तक मासिक आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक [14] को प्रस्तुत करनी होगी।

बी. ईक्विटी खंड

उल्लिखित दिशा-निर्देश ईक्विटी खंड पर भी लागू हैं। इसके अलावा, घरेलू (देशी) सरकारी प्रतिभूतियों (सेबी द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट समग्र सीमा के भीतर; मौजूदा सीमा 20 बिलियन अमरीकी डॉलर है) को भी भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों में बाजार के नकदी खंड संबंधी नकदी लेनदेनों के अलावा संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है । हालांकि, (विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा बाजार के नकदी खंड में अपने लेनदेनों के लिए मार्जिन के रूप में रखी)सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार के नकदी तथा डेरिवेटिव खंड के बीच क्रास मार्जिनिंग की अनुमति नहीं होगी ।

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत अपने विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से शेयरों की खरीद के लिए स्टाक एक्सचेंजों/ स्टाक एक्सचेंजों के समाशोधन गृहों के पक्ष में कस्टोडियन बैंकों को अप्रत्याहरणीय (irrevocable) भुगतान के वायदे जारी करने की अनुमति है । बैंकों के द्वारा जारी अप्रत्याहरणीय (irrevocable) भुगतान वायदे रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के पूँजी बाजार के एक्सपोज़रों के संबंध में समय समय पर जारी विनियम और 30 सितंबर 2010 के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग के परिपत्र सं. बैंपविवि निदेश. बीसी.46/13.03.00/2010-11 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार होने चाहिए।

6. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अधि-बिक्री (शार्ट सेलिंग)

ए. विदेशी संस्थागत निवेशक

सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और विदेशी संस्थागत निवेशकों के सेबी द्वारा अनुमोदित उप-लेखों को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की अधि बिक्री, उधार देने तथा उधार लेने की अनुमति है। भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की अधि बिक्री, उधार देना तथा उधार लेना उन शर्तों के अधीन है जो भारतीय रिजर्व बैंक तथा सेबी / अन्य नियंत्रक एजेंसियों द्वारा

समय-समय पर निर्धारित की जायें । उपर्युक्त अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

(ए) विदेशी संस्थागत निवेशकों को ऐसी भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों की अधि बिक्री, उधार देने तथा उधार लेने की अनुमति नहीं होगी जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की रोक सूची/ सतर्कता सूची में होंगी।

(बी) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा ईक्विटी शेयर केवल अधि बिक्री मद्दे सुपुर्दगी के प्रयोजन से उधार लिए जायेंगे।

(सी) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा मार्जिन /संपार्श्विक केवल नकद रूप में रखी जायेगी। इस मार्जिन /संपार्श्विक पर विदेशी संस्थागत निवेशकों को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

बी. अनिवासी भारतीय

अनिवासी भारतीय निवेशक को खरीदे गये शेयरों की सुपुर्दगी लेनी होगी तथा बेचे गये शेयरों की सुपुर्दगी देनी होगी । अधि बिक्री की अनुमति नहीं है ।

7. विदेशी संस्थागत निवेशकों के पास निजी नियोजन

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों को किसी भारतीय कंपनी के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों को प्रस्ताव (आफर)/ निजी नियोजन के मार्फत उस सीमा तक खरीदने की अनुमति है जहां तक कुल विदेशी संस्थागत निवेश अर्थात पीआईएस और एफडीआई (निजी नियोजन/आफर) अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेश/ उप खातेगत निवेश की 10 प्रतिशत की सीमा और सभी संस्थागत निवेश/ उप खातों को मिलाकर भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक या यथा लागू सेक्टोरेल सीमा से अधिक न हो। भारतीय कंपनी ऐसे शेयर जारी कर सकती है बशर्ते :

ए) सार्वजनिक प्रस्ताव के मामले में, जारी किए जानेवाले शेयरों का मूल्य उस मूल्य से कम नहीं होना चाहिए जिस पर निवासियों को शेयर जारी किये गये हैं ; और

बी) निजी नियोजन द्वारा जारी किए जाने के मामले में, निर्गम मूल्य/कीमत का निर्धारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कीमत निर्धारण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार हो ।

8. **संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निजी नियोजन के तहत अधिग्रहीत/ अर्जित शेयरों का अंतरण**

संविभाग निवेश योजना के तहत स्टाक एक्स्जेंच से अनिवासी भारतीयों तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा खरीदे गए शेयर भारत में या भारत से बाहर के किसी निवासी को निजी प्रबंध के अंतर्गत बिक्री या उपहार द्वारा रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना अंतरित नहीं किए जा सकते हैं । हालांकि, संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत अर्जित शेयरों को अनिवासी भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा परिभाषित किसी रिश्तेदार को या भारत में किसी विधि के अधीन विधिवत् पंजीकृत धर्मादा ट्रस्ट को अंतरित कर सकता है ।

9. **भारतीय रिज़र्व बैंक और प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा निवेश की स्थिति की निगरानी**

विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीय निवेशकों के सूचीबध्द भारतीय कंपनियों में किए गए निवेश के संबंध में अभिरक्षकों/पदनामित प्राधिकृत व्यापारी बैंकों द्वारा, दैनिक आधार पर, फॉर्म एलईसी (एफआईआई) तथा एलईसी (एनआईआर) में दी गयी सूचना के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक निवेश की स्थिति पर निगरानी रखता है। तथापि, संबंधित पदनामित बैंक(एनआरआईएस)/ अभिरक्षक बैंक (एफआईआईएस) निम्नलिखित की निगरानी करें:

- प्रत्येक अनिवासी भारतीय/विदेशी संस्थागत निवेशक की सीमा की निगरानी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके उसने विनिर्दिष्ट सीमा नहीं तोड़ी है ।
- उन्हें रिपोर्ट करने पर यह सुनिश्चित करें कि सौदे/व्यापार प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं किया जाता है ।
- पदनामित खाते में हुए लेनदेनों की निगरानी करके कि सभी व्यापार लेनदेन उन्हें रिपोर्ट किये जाते हैं।

विदेशी संस्थागत निवेशकों एवं अनिवासी भारतीय निवेशों संबंधी लेनदेनों की रिपोर्टिंग का दायित्व पदनामित अभिरक्षक/एडी बैंक, डिपॉजिटरी सहभागी के साथ साथ ये निवेश करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशक एवं अनिवासी भारतीय का है।

10. **भारतीय रिज़र्व बैंक को पूर्व सूचना देना**

सकल विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश सीमा 24 प्रतिशत से सैक्टोरेल कैप/सांविधिक सीमा तक, जैसा कि संबंधित भारतीय कंपनी के लिए लागू है, बढ़ाने अथवा सकल अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश सीमा 10 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक बढ़ाने वाली भारतीय कंपनी, अब तक की भांति, भारतीय रिज़र्व बैंक को अनिवार्यत: तुरंत सूचित करेगी, तथा उसके साथ कंपनी सचिव से इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करेगी कि समय-समय पर यथा संशोधित मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के विनियमों तथा विदेशी

प्रत्यक्ष निवेश नीति के सभी संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ।

11. **सतर्कता सूची**

जैसे ही विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा कंपनी के ईक्विटी शेयरों की सकल निवल खरीद, समग्र सीमा के नीचे 2 प्रतिशत के कट ऑफ पॉइंट (cut-off point) तक पहुँचती है, रिज़र्व बैंक, सभी नामित बैंक शाखाओं को सतर्क करता है कि किन्हीं विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के पक्ष में संबंधित कंपनी के ईक्विटी शेयरों की कोई और खरीद रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना न करें । तत्पश्चात संलग्न कार्यालयों (link offices) से अपेक्षित है कि वे अपने विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति ग्राहकों के पक्ष में कंपनी के खरीदे जाने वाले प्रस्तावित ईक्विटी शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की कुल संख्या तथा मूल्य के बारे में रिज़र्व बैंक को अवगत करायें । रिज़र्व बैंक इस प्रकार के प्रस्तावों की प्राप्ति पर कंपनियों में, यथा लागू, निवेश से संबंधित सीमाओं (जैसे, 10 / 24 / 30 / 40 / 49 प्रतिशत सीमा अथवा सैक्टोरेल कैप/सांविधिक उच्चतम सीमा), तक पहुंचने हेतु पहले आये सो पहले पाये (first-come-first served) आधार पर अनुमति (क्लीयरंस) देता है।

12. **निषिध्द सूची**

जब विदेशी संस्थागत निवेशकों /अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा होल्डिंग समग्र उच्चतम सीमा/सेक्टोरेल कैप/सांविधिक उच्चतम सीमा तक पहुंच जाती है तो रिज़र्व बैंक ऐसी कंपनी को निषिध्द सूची में डाल देता है और सभी नामित बैंक शाखाओं को अपने विदेशी संस्थागत निवेशक/अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति ग्राहकों के पक्ष में खरीद रोकने की सूचना देता है । एक बार निषिध्द सूची में दर्ज होने पर कोई भी विदेशी संस्थागत निवेशक /अनिवासी भारतीय ऐसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता है ।

रिज़र्व बैंक इन कंपनियों में निवेश के प्रति आम लोगों को 'सतर्क करने' तथा 'खरीद रोकने' के संबंध में एक प्रेस प्रकाशनी जारी करता है और अपनी वेबसाइट पर उसके बारे में अद्यतन सूची प्रदर्शित करता है ।

13. **विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से स्टाक एक्सचेंजों को अपरिवर्तनीय (irrevocable) अदायगी वादे जारी करना**

पोर्टफोलियो मार्ग के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों के सौदों (ट्रेड्स) के भुगतान की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए अभिरक्षक बैंकों को पोर्टफोलियो निवेश योजना के अंतर्गत अपने विदेशी संस्थागत निवेशक ग्राहकों द्वारा शेयर खरीद के बाबत स्टाक एक्सचेंजों / स्टाक एक्सचेंजों के समाशोधन निगमों के पक्ष में अपरिवर्तनीय अदायगी वादे जारी करने की अनुमति दी गयी थी।

14. **अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) द्वारा सूचीबद्ध ईक्विटी शेयरों में निवेश**

अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (उसमें यथा परिभाषित अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) का अर्थ ऐसे अनिवासी निवेशकों से है, जो सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) तथा सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों (FVCIs) से भिन्न हैं, व जो 'अपने ग्राहक को जानने (KYC)' संबंधी सेबी की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं) को भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों को प्रत्यावर्तन के आधार पर, खरीदने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी है :

(i) **पात्र लिखत और पात्र लेनदेन** - अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) को सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों के ईक्विटी शेयरों के साथ ही साथ, सेबी के संबंधित/लागू दिशानिर्देशों/विनियमों के अनुसार, भारतीय कंपनियों द्वारा भारत में पब्लिक को ऑफर किये गए ईक्विटी शेयरों में, मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों के मान्यताप्राप्त शेयर-ब्रोकरों के मार्फत, सेबी के पास पंजीकृत डिपाजिटरी सहभागियों के माध्यम से निवेश करने की अनुमति होगी। अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों को राइट्स शेयरों, बोनस शेयरों या (शेयरों के) स्टॉक के विखंडीकरण (स्प्लिट)/समेकन या कंपनी / कंपनियों द्वारा समामेलन, पुन: अलग-अलग (डिमर्जर) होने या इसी प्रकार की किसी अन्य कार्यवाही के तहत जारी हुए ईक्विटी शेयरों को अर्जित करने के लिए, निम्नलिखित पैरा 2 (iv) में विनिर्दिष्ट सीमा तक निवेश करने की भी अनुमति होगी ।

अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) को इस प्रकार अर्जित ईक्विटी शेयरों को निम्नवत बेचने की अनुमति होगी :

(ए) भारत में मान्यताप्राप्त स्टाक एक्स्चेंजों पर मान्यताप्राप्त ब्रोकरों के माध्यम से; अथवा

(बी) सेबी (सबस्टैन्शियल एक्विज़िशन आफ शेयर्स ऐण्ड टेकओवर्स) विनियमावली, 2011 के अनुसार खुले प्रस्ताव के माध्यम से; अथवा

(सी) सेबी (डीलिस्टिंग आफ सिक्युरिटिज़) दिशानिर्देश, 2009 के अनुसार खुले प्रस्ताव के माध्यम से; अथवा

(डी) सेबी (बाइबैक) विनियमावली, 1998 के अनुसार सूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा शेयरों की पुनर्खरीद के माध्यम से ।

(ii) **भुगतान/प्रत्यावर्तन का तरीका** – इस योजना के तहत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) द्वारा किए गए निवेश भारत में डिपाजिटरी सहभागी द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के पास एक अलग एकल (सिंगल) ब्याज रहित रुपया पूल बैंक खाते में रखेगा । डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) संबंधित अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के अनुदेश पर पांच कार्य दिवसों के अंदर (सामान्य बैंकिंग चैनलों के जरिये विदेशी आवक विप्रेषणों के रूप में एकल (सिंगल) रुपया पूल बैंक खाते में निधियां जमा करने की तारीख सहित) ईक्विटी की

खरीद करेगा, ऐसा न कर पाने पर निधियां तत्काल अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के नामित समुद्रपारीय बैंक खाते में प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी । ईक्विटी शेयरों की बिक्री से हुई आय भी डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के पास एकल (सिंगल) रुपया पूल बैंक खाते में प्राप्त की जाएगी और डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के पास एकल (सिंगल) रुपया पूल बैंक खाते में प्राप्त किये जाने पर पांच कार्य दिवसों के अंदर (ईक्विटी शेयरों की बिक्री से एकल (सिंगल) रुपया पूल बैंक खाते में निधियां जमा होने की तारीख सहित) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के नामित समुद्रपारीय बैंक खाते में प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी । इन पाँच कार्य दिवसों के अंदर, यदि अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक द्वारा ऐसी खरीद के अनुदेश दिए गए हैं तो मौजूदा निवेश की बिक्री से हुई आय का उपयोग इस योजना के तहत ईक्विटी शेयरों की नयी खरीद के लिए किया जा सकता है । अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के (द्वारा धारित) ईक्विटी शेयरों पर प्राप्त लाभांश का भुगतान या तो अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के नामित समुद्रपारीय बैंक खातों में सीधे विप्रेषित किये जा सकते हैं अथवा एकल (सिंगल) रुपया पूल बैंक खाते में जमा किये जा सकते हैं। यदि लाभांशगत भुगतान एकल (सिंगल) रुपया पूल बैंक खाते में जमा किये जाते हैं तो वे पाँच कार्य दिवसों के अंदर (इस प्रकार की निधियां एकल (सिंगल) रुपया पूल बैंक खाते में जमा करने के दिन सहित) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) के नामित समुद्रपारीय बैंक खातों में विप्रेषित किये जाएंगे । इन पाँच कार्य दिवसों के अंदर, यदि अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक द्वारा ऐसी खरीद के अनुदेश दिए गए है तो लाभांशगत भुगतान का उपयोग इस योजना के तहत ईक्विटी शेयरों की नयी खरीद के लिए किया जा सकता है ।

(iii) **डीमैट खाते** - अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) को इस योजना के तहत ईक्विटी शेयरों में निवेश के लिए भारत में किसी डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के पास इसी कार्य के लिए डीमैट खाता खोलने की अनुमति दी जाएगी। तथापि, अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) को भारत में कोई बैंक खाता खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(iv) **सीमाएं** - अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) हेतु एकल तथा सकल निवेश सीमा किसी भारतीय कंपनी की प्रदत्त पूँजी के क्रमश: 5% और 10% होगी । ये सीमाएं भारत में संविभाग (पोर्टफोलियो) निवेश योजना के तहत विदेशी निवेश के लिए विदेशी संस्थागत निवेशों तथा अनिवासी भारतीय निवेशों के लिए विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा के अतिरिक्त होंगी । इसके अलावा, मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी नीति के तहत जहाँ कहीं संयुक्त सैक्टोरेल उच्चतम सीमाएं हैं, ईक्विटी शेयरों में अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के निवेश के लिए ये सीमाएँ ऐसी समग्र प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सैक्टोरेल सीमाओं के भीतर ही होंगी । इन सीमाओं की निगरानी तथा अनुपालन का संयुक्त तथा अलग-अलग उत्तरदायित्व संबंधित अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs), डिपाजिटरी सहभागियों (डीपीएस) तथा (ऐसे

निवेश प्राप्त करने वाली) संबंधित भारतीय कंपनियों का होगा ।

(v) **पात्रता** – वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) के मानकों का पालन करने वाले और सेबी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) फ्रेमवर्क के तहत सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षरकर्ता क्षेत्रों के अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (QFIs) इस योजना के तहत ईक्विटी शेयरों में निवेश करने के पात्र होंगे ।

(vi) **केवाईसी** – अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (QFIs) सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट 'अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदंडों' का अनुपालन कर रहे हैं, इसे डिपाजिटरी सहभागी (डीपी), सुनिश्चित करेंगे ।

(vii) **अनुमत मुद्राएं** - अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक (QFIs) सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये किसी अनुमत मुद्रा (मुक्त रूप से परिवर्तनीय) में विदेशी आवक विप्रेषण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक के पास रखे गये डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के एकल (सिंगल) रुपया पूल बैंक खाते में सीधे ही प्रेषित करेंगे ।

(viii) **कीमत निर्धारण** – इस योजना के तहत अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों (QFIs) द्वारा सभी पात्र लेनदेनों और सभी पात्र लिखतों में निवेश के कीमत निर्धारण सेबी के संबंधित और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार ही किए जाएंगे ।

(ix) **रिपोर्टिंग** – सेबी द्वारा किये गये निर्धारण के अनुसार उन्हें रिपोर्टिंग करने के अतिरिक्त, डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये तरीके से और फॉर्मेट में भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे ।

खंड III :विदेशी जोखिम (उद्यम) पूंजी निवेश

विदेशी जोखिम (उद्यम) पूंजी निवेशकों द्वारा निवेश

(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) भारतीय रिज़र्व बैंक के विशिष्ट अनुमोदन से भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम (आईवीसीयू) या भारतीय उद्यम पूंजी निधि (आईवीसीएफ) या ऐसी भारतीय उद्यम पूंजी निधि (आईवीसीएफ) द्वारा शुरू की गई किसी योजना में निवेश कर सकता है बशर्ते घरेलू वीसीएफ सेबी के पास पंजीकृत हो। सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक के द्वारा ये निवेश सेबी के संबंधित विनियमों तथा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियमगत विनियमों तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशगत क्षेत्र विशेष कैप्स (caps) के अधीन होंगे।

(ii) *भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम (आइवीसीयू) भारत में निगमित एक ऐसी कंपनी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके शेयर भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं और जो सेबी द्वारा विनिर्दिष्ट नकारात्मक सूची के तहत किसी कार्यकलाप में नहीं लगी हुई है। उद्यम पूंजी निधि (वीसीएफ) एक ट्रस्ट अथवा निगमित कंपनी सहित एक कंपनी के रूप में स्थापित ऐसी निधि के रूप में परिभाषित की गयी है,जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उद्यम (जोखिम) पूंजी निधि) विनियमावली, 1996 के तहत पंजीकृत है, जिसके पास उपर्युक्त विनियमावली में विनिर्दिष्ट तरीके से उगाही गई पूंजी का एक समर्पित समूह है और जो उपर्युक्त विनियमावली के अनुसार जोखिम पूंजी उपक्रम में निवेश करता है ।*

(iii) विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक भारतीय वीसीएफ द्वारा स्थापित योजनाओं की यूनिटों/ निधियों में सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा निजी प्लेसमेंट अथवा निजी प्रबंध व्यवस्था के माध्यम से अथवा तीसरे पक्ष से भारतीय जोखिम पूंजी उपक्रम अथवा उद्यम पूंजी निधि की ईक्विटी/ ईक्विटी संबद्ध लिखतों/ कर्ज/ कर्ज लिखतों, डिबेंचरों की खरीद कर सकते हैं। इसके अलावा, विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों को समय समय पर यथा संशोधित, सेबी (एफवीसीआई) विनियमावली, 2000 के अधीन मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों की प्रतिभूतियों में भी निवेश करने की अनुमति होगी ।

(iv) अनुमोदन देते समय रिज़र्व बैंक एफवीसीआई को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की नामित शाखा में बिना ब्याज वाला विदेशी मुद्रा खाता और/या बिना ब्याज वाला विशेष अनिवासी रुपया खाता खोलने की अनुमति कतिपय शर्तों के तहत देता है।

(v) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक प्रतिभूतियों के जारीकर्ता और/अथवा तीसरे पक्ष के साथ

हुई व्यवस्था के अंतर्गत प्रतिभूतियों (जैसा कि उल्लिखित मद सं. (iii) में दिया गया है) को सार्वजनिक प्रस्ताव या निजी नियोजन के तहत क्रेता और विक्रेता के बीच परस्पर सहमति के आधार पर तय कीमत पर खरीद/बेच सकता है ।

(vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक कुल आवक प्रेषण की सीमा तक विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक को अग्रिम कवर (फारवर्ड कवर) का प्रस्ताव दे सकता है। यदि एफवीसीआई ने कुछ निवेशों का परिसमापन कर कोई प्रेषण किया है तो निवेश की मूल लागत की कटौती पात्र कवर से की जानी चाहिए ताकि वास्तविक कवर पाया जा सके, जिसका प्रस्ताव किया जा सकता है।

(vii) समय समय पर यथा संशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची I के अंतर्गत विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक द्वारा किए गए निवेश उसमें वर्णित मानदंडों द्वारा विनियमित होंगे ।

खंड IV

अन्य विदेशी निवेश

1. अनिवासी भारतीयों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद

(i) अप्रत्यावर्तनीय आधार पर

(ए) अनिवासी भारतीयों द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर भारतीय कंपनी के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद बिना किसी सीमा के की जा सकती है। ऐसी खरीद के लिए दी जाने वाली राशि विदेश से सामान्य बैंकिंग चैनल से प्राप्त आवक विप्रेषणों से या प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास रखे एनआरई/ एफसीएनआर (बी)/ एनआरओ खाते में धारित निधियों में से चुकाई जाएगी।

(बी) अनिवासी भारतीय, बिना किसी सीमा के, अप्रत्यावर्तनीय आधार पर दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, खजाना बिल, घरेलू म्युच्युअल फंड की यूनिटों, मुद्रा बाजार के म्युच्युअल फंड की यूनिटों

की भी खरीद कर सकते हैं। भारत सरकार ने अधिसूचित किया है कि अनिवासी भारतीयों को पीपीएफ सहित लघु(अल्प) बचत योजनाओं में निवेश करने की अनुमति नहीं है। अप्रत्यावर्तनीय आधार पर किए गए निवेश के मामले में बिक्रीगत आय एनआरओ खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत निवेशित राशि और उस पर पूंजी अधिमूल्यन की राशि को विदेश में प्रत्यावर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

अनिवासी भारतीय किसी भारतीय कंपनी द्वारा जारी अपरिवर्तनीय डिबेंचरों में, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.4/2000-आरबी समय समय पर यथा संशोधित में दी गयी अन्य शर्तों के तहत प्रत्यावर्तनीय आधार पर या अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश कर सकता है ।

(ii) प्रत्यावर्तनीय आधार पर

अनिवासी भारतीय, बिना किसी सीमा के, प्रत्यावर्तनीय आधार पर सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों (धारक प्रतिभूतियों को छोड़कर) अथवा खजाना बिल अथवा घरेलू म्युच्युअल फंड के यूनिट, भारत में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जारी बांड और भारत सरकार द्वारा विनिवेशित किए जा रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के शेयर खरीद सकता है बशर्ते खरीद बोली मंगानेवाली सूचना में अनुबद्ध शर्तों के अनुरूप हो।

2. **भारतीय निक्षेपागार रसीद (आईडीआर)**

भारत में स्थित अनिवासी कंपनी द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदें कंपनी (निक्षेपागार रसीद जारी करना) नियमावली, 2004 तथा बाद में उसमें किये गये संशोधन और समय-समय पर यथा संशोधित सेबी (आईसीडीआर) विनियमावली, 2000 की शर्तों के अधीन जारी की जा सकती हैं। ये भारतीय निक्षेपागार रसीदें भारत में घरेलू निक्षेपागार के जरिए भारत में निवास करने वालों साथ ही सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों को भी जारी की जा सकती हैं। भारत में मौजूदगी रखने वाली वित्तीय / बैंकिंग कंपनियों द्वारा किसी शाखा अथवा सहयोगी के जरिए यदि भारतीय निक्षेपागार रसीदें जारी करते हुए निधियाँ उगाही जानी हों तो भारतीय निक्षेपागार रसीदे जारी करने से पहले सेक्टोरल रेग्युलेटर (क्षेत्रीय विनियामक) का अनुमोदन प्राप्त किया जाए ।

ए) फेमा,1999 की धारा 2(v) के अधीन जैसाकि परिभाषित है, भारत में निवासी व्यक्तियों पर भारतीय निक्षेपागार रसीदों में निवेश तथा भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में लेनदेनों से उत्पन्न अनुवर्ती अंतरण के लिए फेमा विनियमावली लागू नहीं होगी।

बी) सेबी द्वारा अनुमोदित विदेशी संस्थागत निवेशकों के उप-खातों सहित सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक तथा अनिवासी भारतीय, भारत के बाहर की निवासी पात्र कंपनियों द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित 03 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी के अनुसार

अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण तथा निर्गम) विनियमावली, 2000 के अधीन भारतीय पूंजी बाजार में जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदों में निवेश, खरीद, धारण तथा अंतरण कर सकते हैं। इसके अलावा, अनिवासी भारतीयों को प्राधिकृत व्यापारी/ प्राधिकृत बैंक के पास रखे गये अपने अनिवासी बाह्य/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खातेगत निधियों में से भारतीय निक्षेपागार रसीदों में निवेश करने की अनुमति है।

सी) भारतीय निक्षेपागार रसीदों की स्वत: परस्पर विनिमेयता की अनुमति नहीं है।

डी) भारतीय निक्षेपागार रसीदों के निर्गम की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले पूर्वताप्राप्त ईक्विटी शेयरों में भारतीय निक्षेपागार रसीदें प्रतिदेय नहीं होंगी।

ई.) भारतीय निक्षेपागार रसीदों का पूर्वताप्राप्त शेयरों में प्रतिदान/ परिवर्तन करते समय भारतीय निक्षेपागार रसीदों का भारतीय धारक (भारत में निवासी व्यक्ति) समय-समय पर यथा संशोधित 7 जुलाई 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004 द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा। तदनुसार, भारतीय निक्षेपागार रसीदों के प्रतिदान के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा:

i. सूचीबद्ध भारतीय कंपनियाँ समय-समय पर यथा संशोधित 07 जून 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6 बी तथा 7 की शर्तों के अधीन पूर्वताप्राप्त शेयर या तो बेच सकती हैं या उन्हें धारण कर रख सकती हैं।

ii. सेबी के पास पंजीकृत भारतीय म्युच्युअल निधियां समय-समय पर यथा संशोधित 07 जून 2004 की अधिसूचना सं. फेमा 120/आरबी-2004 के विनियम 6सी की शर्तों के अधीन पूर्वताप्राप्त शेयर या तो बेच सकती हैं या उन्हें धारण कर रख सकती हैं।

iii. निवासी व्यक्तियों सहित भारत में निवास करने वाले अन्य व्यक्तियों को भारतीय निक्षेपागार रसीदों के पूर्वताप्राप्त शेयरों में परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों की अवधि तक बिक्री के ही प्रयोजन से धारण किए रखने की अनुमति है ।

iv. फेमा के प्रावधान, विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा अनिवासी भारतीयों के सेबी द्वारा अनुमोदित उप खातों सहित विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों का प्रतिदान हो जाने के बाद पूर्वताप्राप्त शेयरों की धारिता पर लागू नहीं होगे।

एफ) इस प्रकार की आईडीआर जारी करने वाली पात्र कंपनियों द्वारा भारतीय निक्षेपागार रसीदों के निर्गमों की आय भारत के बाहर अविलंब प्रत्यावर्तित की जाएगी। जारी की गई भारतीय निक्षेपागार रसीदें भारतीय रुपये में मूल्यवर्गीकृत होंगी।

3. विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों की खरीद

विदेशी संस्थागत निवेशक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों / खजाना बिलों/ सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/ बांडों, भारतीय कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों और देशी (घरेलू) म्युच्युअल फंडों द्वारा जारी यूनिटों, सूचीबद्ध होने वाले ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों जिनको ऐसे निवेश से 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध करने की प्रतिबध्दता हो, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों तथा बैंकों द्वारा अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए जारी बेमियादी ऋण लिखतों जो टियर । पूंजी (बैं.प.वि.वि., भा.रि.बैंक द्वारा यथा परिभाषित) में और पूंजी लिखतों जो उच्च टियर ॥ में शामिल होने के लिए पात्र हैं, को प्रत्यावर्तनीय आधार पर इनके जारीकर्ता से सीधे या भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्स्चेंज में पंजीकृत किसी शेयर दलाल से निम्नलिखित शर्तों के तहत खरीद सकते है:-

ए) किसी एक विदेशी संस्थागत निवेशक की कुल प्रतिभूति धारिता किसी परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की किसी योजना के तहत जारी प्रतिभूति रसीदों की प्रत्येक श्रृंखला के 10 प्रतिशत और सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की कुल शेयरधारिता प्रत्येक योजना की हरेक श्रृंखला के प्रदत्त मूल्य के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों को एआरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों में निवेश करने की अनुमति नहीं है ।

बी) किसी एक संस्थागत निवेशक/उप-खाते की कुल धारिता बेमियादी ऋण लिखत (टियर । पूंजी) के प्रत्येक निर्गम के 10 प्रतिशत और सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों/उप खातों की समग्र धारिता बेमियादी ऋण लिखत के प्रत्येक निर्गम के प्रदत्त मूल्य के 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

सी) किसी विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा उच्च टियर ॥ पूंजी लिखतों सहित कर्ज लिखतों की खरीद सेबी और रिज़र्व बैंक द्वारा, समय समय पर, अधिसूचित सीमा के तहत होगी। अपरिवर्तनीय डिबेंचरों/बांडों जैसे कंपनी कर्ज लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश की मौजूदा सीमा 45 बिलियन अमरीकी डॉलर[15] है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

- अनुमत सूचीबद्ध कार्पोरेट डेट लिखतों में, अवरुद्धता अवधि और अवशिष्ट परिपक्वता संबंधी प्रतिबंध के बिना, 20 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश;
- 22 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश (एमएफ कर्ज योजनाओं में अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश के लिए आबंटित 3 बिलियन अमरीकी डॉलर) ऐसे अपरिवर्तनीय डिबेंचरों /बांडों में किया जा सकता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (जैसाकि ईसीबी दिशा-निर्देशों में दिया गया है) की सूचीबध्द या गैर-सूचीबध्द भारतीय कंपनियों व भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों के रूप में वर्गीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी किए गए हों जिनकी विदेशी संस्थागत निवेशकों/पात्र आईडीएफ निवेशकों द्वारा प्रारंभिक खरीद

के समय न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्कता अवधि 15 माह हो । 22 बिलियन अमरीकी डॉलर की सीमा के अंतर्गत किए गए निवेश की अवरुद्धता अवधि 1 वर्ष होगी ।

डी) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की मौजूदा सीमा 20 बिलीयन अमरीकी डॉलर है। दीर्घावधि निवेशक जैसे सरकारी संपदा निधियां, बहु उद्देशीय एजेंसियां, धर्मादा निधियां, बीमा निधियां, पेंशन निधियां और विदेशी केंद्रीय बैंक, जो सेबी के पास पंजीकृत हों, भी 20 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ी हुई सीमा के अंतर्गत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं ।

विदेशी संस्थागत निवेशकों/दीर्घावधि निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में 20 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा का विनियोजन निम्नवत होगा :

- 10 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा जिस पर कोई अवशिष्ट परिपक्कता संबंधी प्रतिबंध नहीं होगा ।
- शेष 10 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा के लिए प्रथम खरीद के समय अवशिष्ट परिपक्कता अवधि न्यूनतम 3 वर्ष होगी ।

4. बहुपक्षीय विकास बैंकों (एमडीबीएस) द्वारा निवेश

बहुपक्षीय विकास बैंक, जिसे भारत सरकार ने भारत में रुपया बांड़ जारी करने के लिए विशेष रूप से अनुमति दी है, सरकारी दिनांकित प्रतिभूति खरीद सकता है।

5. भारत में बैंकों द्वारा जारी टीयर I और टीयर II लिखतों में विदेशी निवेश

(i) सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों को भारत में बैंकों द्वारा जारी तथा भारतीय रुपए में मूल्यवर्गीकृत बेमीयादी कर्ज लिखतों (टीयर I पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र) और कर्ज पूंजी लिखतों (उच्च टीयर II पूंजी के रूप में शामिल किए जाने के लिए पात्र) में निम्नलिखित शर्तों के अधीन अभिदान की अनुमति दी गई है।

ए) रुपये में मूल्यवर्गीकृत बेमीयादी कर्ज लिखतों (टीयर I) में सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 49 प्रतिशत की सकल सीमा से अधिक और एकल विदेशी संस्थागत निवेशक द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम की 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

बी) रुपये में मूल्यवर्गीकृत बेमीयादी कर्ज लिखतों (टीयर I) में सभी अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश प्रत्येक निर्गम के 24 प्रतिशत की सकल सीमा से अधिक और एकल अनिवासी भारतीय द्वारा प्रत्येक निर्गम के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

सी) रुपए में मूल्यवर्गीत कर्ज पूंजी लिखतों (टीयर II) में विदेशी संस्थागत निवेशकों का निवेश कंपनी कर्ज लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशक के निवेश के लिए सेबी द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर होना चाहिए।

डी) रुपए में मूल्यवर्गीकृत कर्ज पूंजी लिखतों (टीयर II) में अनिवासी भारतीयों का निवेश अन्य कर्ज लिखतों में अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश करने के लिए मौजूदा निवेश नीति के तहत होगा ।

(ii) जारीकर्ता बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे ऊपर निर्धारित शर्तों के अनुपालन को जारी करने के समय सुनिश्चित करें। उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे समय-समय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करें।

(iii) बैंक द्वारा टीयर I पूंजी के लिए अर्हता प्राप्त करनेवाले बेमीयादी कर्ज लिखतों के रूप में विदेशी संस्थागत निवेशकों / अनिवासी भारतीयों से उगाही गई राशि के निर्गमवार ब्योरे निर्गम के 30 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक [16] को निर्धारित फार्मेट में प्रस्तुत करें।

(iv) भारतीय रुपए में उगाहे गए अपर टीयर II लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश, कारपोरेट कर्ज लिखतों में निवेश के लिए सेबी द्वारा निर्धारित सीमा में होंगे। फिर भी, इन लिखतों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश 500 मिलियन अमरीकी डालर की एक पृथक सीमा के अधीन होगा।

(v) विदेशी संस्थागत निवेशकों और अनिवासी भारतीयों द्वारा स्टॉक एक्स्चेंज में सेकेंडरी मार्केट में इन लिखतों में की गयी बिक्रियों/ खरीदों के ब्योरे क्रमशः कस्टोडियन और नामित बैंकों द्वारा एलईसी (एफआईआई) और एलईसी (एनआरआई) फार्म की सॉफ्ट कॉपी के जरिए भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए जाएं।

6. घरेलू (डोमेस्टिक) मुचुअल फंडों की यूनिटों में अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश

अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानदण्डों को पूरे करने वाले अनिवासी निवेशकों [सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) तथा विदेशी जोखिम पूंजी निवेशकों (एफवीसीआई) से भिन्न], को सेबी के पास पंजीकृत घरेलू मुचुअल फंडों द्वारा जारी इन योजनाओं की रुपए में मूल्यवर्गीकृत यूनिटों को प्रत्यावर्तन के आधार पर, अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों के रूप में, क्रय करने की अनुमति सेबी तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर, जारी शर्तों के तहत दी गयी है।

सेबी के पास पंजीकृत घरेलू मुचुअल फंडों द्वारा जारी इन योजनाओं की रुपए में मूल्यवर्गीकृत यूनिटों में अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक निम्नलिखित दो मार्गों से निवेश कर सकते हैं - अर्थात

i) प्रत्यक्ष मार्ग-सेबी के पास पंजीकृत डिपाजिटरी सहभागिता (डीपी पार्टिसिपेंट) मार्ग से-

- o डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) द्वारा भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के पास रखे गए अपने अलग एकल रुपया पूल बैंक खाते से डीपी मार्ग का परिचालन किया जाएगा। डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के एकल रुपया पूल बैंक खाते में विदेशी आवक प्रेषण केवल अनुमत मुद्रा (अर्थात मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा) में प्राप्त किए जाएंगे।
- o वह अवधि जिसके लिए निधियां (अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों से सामान्य बैंकिंग चैनॅल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण के साथ-साथ भारत में अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा घरेलू मुचुअल फंडों की यूनिटों की मोचनगत आगम राशि के रूप में जमा हुई) घरेलु मुचुअल फंडों की यूनिटों में अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश की योजना के अंतर्गत निक्षेपागार सहभागी के एकल रूपया पूल बैंक खाते में पाँच कार्य दिवसों में (अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों से सामान्य बैंकिंग चैनॅल के जरिए विदेशी आवक विप्रेषण के साथ-साथ भारत में अर्हता प्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा घरेलू मुचुअल फंडों की यूनिटों, मोचनगत आगम राशि के रूप में जमा होने के दिन सहित) जमा की जाएगी ।
- o अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा ली गई यूनिटों पर देय लाभांश एकल रूपया पूल बैंक खाते में जमा किया जा सकेगा बशर्ते एकल रूपया पूल बैंक खाते में लाभांश के जमा होने के कार्य दिवस से पाँच कार्य दिवसों (एकल रूपया पूल बैंक खाते में ऐसी निधियां जमा होने के दिन सहित) के भीतर अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक के नामित समुद्रपारीय बैंक खातें में विप्रेषित कर दी जाएगी । इन पाँच कार्य दिवसों के अंतर्गत ऐसे प्राप्त लाभांश का उपयोग अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक से इस आशय का अनुदेश प्राप्त होने पर, इस योजना के अंतर्गत घरेलू मुचुअल फंडों की यूनिटों की नई खरीद के लिए भी उपयोग किया जा सकेगा ।

ii) अप्रत्यक्ष मार्ग-यूनिट पुष्टिकरण रसीद मार्ग (UCR) – घरेलू म्युच्युअल फंडों को अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों से अभिदान प्राप्त करने के साथ ही यूनिट पुष्टिकरण रसीदों के मोचन के सीमित प्रयोजन हेतु भारत के बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए अनुमति दी जाएगी । यूनिट पुष्टिकरण रसीद (UCR) घरेलू म्युच्युअल फंड ईक्विटी योजनाओं की यूनिटों पर जारी की जाएगी ।

iii) अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशकों द्वारा दोनों मार्गों के तहत निवेश, घरेलू म्युच्युअल फंड आधारित ईक्विटी की यूनिटों में निवेश के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर तथा घरेलू म्युच्युअल फंड आधारित कर्ज की यूनिटों में निवेश के लिए 3 बिलियन अमरीकी डालर की उच्चतम समग्र सीमा के शर्त के अधीन होगा । अर्हताप्राप्त विदेशी निवेशक उन म्युच्युअल फंडों की योजनाओं में भी निवेश कर सकते है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित म्युच्युअल फंडों में निवेश के लिए 3 बिलियन अमरीकी डालर की उप-सीमा के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में अपनी परिसंपत्तियों (एक तो कर्ज अथवा ईक्विटी अथवा दोनों में) की न्यूनतम 25 प्रतिशत धारण करते हैं ।

7. इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियाँ (आईडीएफ)

इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के सरकारी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में दीर्घावधि निधियों की आवक गतिशीलता और वृद्धि हेतु केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2011-12 के अपने बजट वक्तव्य में इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियाँ (आईडीएफ) स्थापित करने की घोषणा की थी। 24 जून 2011 की अपनी प्रेस प्रकाशनी में सरकार ने प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों (आईडीएफ) के ढांचे को मोटे तौर पर अधिसूचित किया है । सारांशीकृत स्थिति नीचे दी जा रही है :

(i) सरकारी धन-निधि, बहुद्देशीय एजेंसीज, पेंशन फंड, बीमा निधियों तथा धर्मादा निधि जो सेबी के पास पंजीकृत है, विदेशी संस्थागत निवेशक, अनिवासी भारतीय, उच्च मालियतवाले व्यक्ति अनिवासी के तौर पर आईडीएफ में निवेश करने के पात्र होंगे ।

(ii) पात्र अनिवासी निवेशकों को (i)भारतीय कंपनी के रूप में स्थापित इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों (आईडीएफ) और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत ऐसी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी रूपये और विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गीकृत बांडों और (ii) सेबी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों (आईडीएफ) के रूप में पंजीकृत घरेलू म्युच्युअल फंडों द्वारा जारी रुपये में मूल्यवर्गीकृत यूनिटों में सेबी और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार निवेश करने की अनुमति दी जाती है ।

(iii) एतदर्थ विदेशी मुद्रा और रूपये में मूल्यवर्गीकृत बांड और रूपये में मूल्यवर्गीकृत यूनिटें पात्र लिखत हैं ।

(iv) अनिवासी निवेशकों के लिए उल्लिखित सभी प्रतिभूतियों में प्रथम निवेश के समय मूल/प्रारंभिक परिपक्वता की अवधि 5 वर्ष होगी ।

(v) पात्र इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों (आईडीएफ) संबंधी लिखतों की प्रथम खरीद के समय न्यूनतम अवशिष्ट परिपक्वता अवधि पंद्रह महीने होनी चाहिए ।

(vi) इस सीमा के अंतर्गत निवेश की अवरुद्धता अवधि एक वर्ष है; और

(vii) इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों (आईडीएफ) के अनिवासी निवेशकों को इंफ्रास्ट्रक्चर कर्ज निधियों (आईडीएफ) के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना कंपनियों के लिए भी विदेशी मुद्रा विनिमय/मुद्रा जोखिम के बाबत विदेशी मुद्रा हेज करने की सुविधा उपलब्ध होगी ।

खंड-V: खंड। तथा खंड ॥ के अनुसार भारत में विदेशी निवेश के बाबत रिपोर्टिंग दिशा-निर्देश

1. शेयरों के नए निर्गम हेतु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [17] की रिपोर्टिंग

(i) आवक प्रेषणों की रिपोर्टिंग :

(ए) शेयरों के ऐसे निर्गम के कारण वास्तविक आवक प्रेषण प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा द्वारा सामान्य रूप में आर-रिटर्न में प्रस्तुत किए जाएंगे।

(बी) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ अधिमानी शेयरों के निर्गम के लिए भारत के बाहर से निवेश प्राप्त करनेवाली भारतीय कंपनी, प्रतिफल के रूप में प्राप्त आवक प्रेषणों के ब्योरे प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के अंदर भारतीय रिज़र्व बैंक के सबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिए संलग्नक 6 में दिये गये अग्रिम रिपोर्टिंग फॉर्म में रिपोर्ट करें। उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन न किये जाने पर उसे फेमा के तहत उल्लंघन माना जाएगा और इस संबंध में दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट http://www.rbi.org.in/Scripts/BSViewFemaForms.aspx.से डाउनलोड किया जा सकता है।

(सी) भारतीय कंपनियों से यह अपेक्षित है कि वे शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ अधिमानी शेयरों के निर्गम के लिए भारत के बाहर से प्रतिफल के रूप में प्राप्त निवेश राशि के ब्योरे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिये रिपोर्ट करें और उसके साथ विदेश से धन प्रेषण करने वाले बैंक से प्राप्त अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिये " रिपोर्ट (संलग्नक -7 के अनुसार) तथा प्रेषण प्राप्ति के सबूत के तौर पर एफआईआरसीएस की प्रति/ प्रतियां भी प्रस्तुत करें। भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा रिपोर्ट की पावती दी जायेगी और रिपोर्ट की गयी राशि के लिए एक यूनीक नंबर (यूआईएन) आबंटित किया जायेगा।

(ii) समय सीमा जिसके भीतर शेयर जारी किये जाने हैं

आवक प्रेषण की प्राप्ति अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) खाता डेबिट करने की तारीख से 180 दिनों के भीतर ईक्विटी लिखत जारी कर दिए जाने चाहिए। यदि आवक प्रेषण की प्राप्ति अथवा अनिवासी निवेशक का एनआरई/एफसीएनआर (बैंक) /एस्क्रो खाता डेबिट करने की तारीख

से 180 दिनों के भीतर इक्विटी लिखत नहीं जारी किये जाते हैं तो उस स्थिति में प्राप्त प्रेषण की राशि सामान्य बैंकिंग चैनेल के जरिये अथवा अनिवासी निवेशक के एनआरई/ एफसीएनआर (बैंक)/एस्क्रो खाते को क्रेडिट करके तत्काल उसे लौटा दी जाये। उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन न किये जाने पर इसे फेमा के तहत उल्लंघन माना जायेगा और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अपवाद स्वरूप , आवक प्रेषण की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्राप्त प्रेषण की राशि न लौटाये जाने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे मामले में उसकी गुणवत्ता के आधार पर विचार करेगा।

(iii) शेयरों के निर्गम की रिपोर्टिंग

(ए) शेयर (बोनस तथा स्वत्वाधिकार के आधार पर जारी शेयरों और कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (इएसओपी) के तहत स्टाक आप्शन के परिवर्तन पर जारी शेयरों सहित)/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों को जारी करने के बाद भारतीय कंपनी को अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिए शेयर जारी करने की तारीख से 30 दिनों के अंदर संलग्नक-8 में दिये गये फार्म एफसी - जीपीआर में एक रिपोर्ट दर्ज़ करनी है। यह फॉर्म भारतीय रिज़र्व बैंक की वेब-साइट http://www.rbi.org.in/Scripts/BSViewFema Forms.aspx. से डाउनलोड किया जा सकता है। उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन नहीं किये जाने पर उसे फेमा के तहत उल्लंघन माना जाएगा और दंडात्मक प्रावधान लागू किए जा सकते हैं।

(बी)फार्म एफसी-जीपीआर कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक / सेक्रेटरी द्वारा विधिवत भरने और हस्ताक्षरित होने के बाद कंपनी के प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किया जाए और प्राधिकृत व्यापारी उसे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित करेगा। फार्म एफसी-जीपीआर के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं :

(i) कंपनी सचिव यह प्रमाणित करते हुए प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें कि :

- (ए) कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;
- (बी) सरकारी अनुमोदन की शर्तों, यदि कोई हों, का पालन किया गया है;
- (सी) कंपनी इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए पात्र है; तथा
- (डी) कंपनी के पास प्रतिफल की राशि की प्राप्ति को प्रमाणित करने वाले भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं।

(ii) भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को जारी शेयरों के मूल्य निर्धारित करने के तरीके दर्शाते हुए सेबी के पास पंजीकृत मर्चेंट बैंकर अथवा सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।

(सी)प्रतिफल प्राप्त करने की रिपोर्ट के साथ साथ एफसी-जीपीआर फार्म में रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के उस संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाए जिसके क्षेत्राधिकार में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है।

(डी) भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को सीधे अथवा वर्तमान भारतीय कंपनी के साथ समामेलन/विलयन पर बोनस/स्वत्वाधिकार शेयर अथवा कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी

स्टाक विकल्प के परिवर्तन पर शेयरों के निर्गम के साथ-साथ बाह्य वाणिज्यिक उधार/रॉयल्टी/एकमुश्त तकनीकी जानकारी शुल्क/विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात के परिवर्तन पर शेयर के निर्गम को फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करना चाहिए।

2. शेयरों के अंतरण के मार्फत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की रिपोर्टिंग

(i) शेयरों के ऐसे अंतरण से संबंधित वास्तविक आवक और जावक राशि को प्राधिकृत व्यापारी शाखा द्वारा सामान्य रूप में आर रिटर्न में रिपोर्ट किया जाएगा।

(ii) निवासियों और अनिवासियों बीच तथा उससे उलट शेयरों के अंतरण को फार्म एफसी-टीआरएस (संलग्नक-9i) में रिपोर्ट किया जाएगा । शेयरों के प्रतिफल के रूप में प्राप्त राशि के संबंध में, उसकी प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक को फार्म एफसी-टीआरएस प्रस्तुत किया जाए। विनिर्दिष्ट समय सीमा में फार्म एफसी-टीआरएस के प्रस्तुतीकरण की जिम्मेदारी भारत में निवासी अंतरणकर्ता/अंतरिती की होगी ।

(iii) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा खरीदे गये ईक्विटी लिखतों के संबंध में बिक्रीगत प्रतिफल का भारत में विप्रेषण सामान्य बैंकिंग माध्यम (चैनल) से होगा। निधियां प्राप्त करते समय विप्रेषण के प्राप्तकर्ता प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक अपने ग्राहक को जानने संबंधी मानकों (संलग्नक-9ii) के आधार पर इसकी जाँच करेगा । यदि विप्रेषण प्राप्त करने वाला प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक लेनदेन के अंतरण का कार्य करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक से भिन्न हो, तो विप्रेषण प्राप्तकर्ता बैंक को अपने ग्राहक को जानने संबधी जाँच करनी चाहिए और ग्राहक द्वारा लेनदेन का कार्य करनेवाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक को फार्म एफसी-टीआरएस के साथ प्रस्तुत करना चाहिए ।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेनों की जाँच/संवीक्षा करें और लेनदेनों से संतुष्ट होने पर यह प्रमाणित करे कि फार्म एफसी-टीआरएस सही पाया गया है ।

(v) प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपने ग्राहक से प्राप्त फार्म एफसी-टीआरएस की दो प्रतियां विक्रय के तहत, शेयरों के अंतरण के संबध में प्राप्त/विप्रेषित आवक राशि/जावक राशि के विवरण सहित संलग्न प्रोफार्मे में (जो एमएसएक्सेल फॉर्मेट में तैयार किया जाना है) आईबीडी/एफईडी/या बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नोडल ऑफिस को प्रस्तुत करे । बैंक के आईबीडी/एफईडी/ या बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट नोडल ऑफिस अपनी शाखाओं द्वारा रिपोर्ट किये गये आवक तथा जावक विप्रेषण के तहत सभी लेनदेनों को दो विवरणों के रूप में समेकित करेंगे । ये विवरण (आवक और जावक) मासिक आधार पर विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई को (एमएसएक्सेल में) साफ्ट प्रति के रूप में ई-मेल से भेजें । बैंक एफसी-टीआरएस फॉर्म अपने पास अनुरक्षित रखें और भारतीय रिज़र्व बैंक को न भेजें ।

(vi) अंतरिती/उसका विधिवत नियुक्त एजेंट निवेशिती कंपनी से उसकी बहियों में अंतरण रिकार्ड करने के लिए अंतरणकर्ता द्वारा विप्रेषण / अंतरिती को भुगतान राशि प्राधिकृत व्यापारी शाखा में प्राप्त होने के प्रमाणस्वरूप एफसीटीआरएस प्रमाणपत्र के साथ संपर्क करें । प्राधिकृत

व्यापारी से प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर कंपनी अपनी बहियों में अंतरण रिकार्ड कर सकती है।

(vii) प्राधिकृत बैंक से विवरण मिलने पर रिज़र्व बैंक, आवश्यक होने पर, अंतरणकर्ता / अंतरिती या उसके एजेंट से ऐसे अतिरिक्त ब्योरे मांग सकता है या निर्देश दे सकता है ।

3. बाह्य वाणिज्यिक उधार का ईक्विटी में परिवर्तन - रिपोर्टिंग

बाह्य वाणिज्यिक उधार के परिवर्तन के बदले शेयरों को जारी करने का ब्योरा रिज़र्व बैंक के संबधित क्षेत्रीय कार्यालय को निम्नवत रिपोर्ट किया जाए,

ए) बाह्य वाणिज्यिक उधार के **पूर्ण परिवर्तन** के मामले में, कंपनी को रिज़र्व बैंक के संबधित क्षेत्रीय कार्यालय को फॉर्म एफसी-जीपीआर के साथ-साथ सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, बांद्रा-कुर्ला संकुल, मुंबई-400051 को फार्म ईसीबी 2 में संबंधित माह की समाप्ति से 7 कार्य दिवसों के अंदर रिपोर्ट करने होंगे । फार्म ईसीबी 2 के शीर्ष पर 'बाह्य वाणिज्यिक उधार पूर्णत: ईक्विटी में परिवर्तित' का स्पष्टत: उल्लेख किया जाए । इसे एक बार रिपोर्ट करने पर अनुवर्ती माह में फार्म ईसीबी 2 रिपोर्ट फाइल करना आवश्यक नहीं है ।

बी) बाह्य वाणिज्यिक उधार के **आंशिक परिवर्तन** के मामले में कंपनी परिवर्तित अंश को बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को फार्म एफसी-जीपीआर के साथ-साथ फार्म ईसीबी 2 भी प्रस्तुत करेगी जिसमें परिवर्तित और अपरिवर्तित अंश को स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो। फार्म ईसीबी 2 के शीर्ष पर 'बाह्य वाणिज्यिक उधार अंशत: ईक्विटी में परिवर्तित' का स्पष्टत: उल्लेख किया जाए। अनुवर्ती माह में बाह्य वाणिज्यिक उधार के बकाया शेष को सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग को फार्म ईसीबी 2 में रिपोर्ट किया जाएगा ।

सी) विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट जो उल्लिखित पैरा (iii) में वर्णित ईक्विटी जारी करती है, वह जारी शेयरों के ब्योरे फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करेंगी ।

4. ईक्विटी शेयरों के आबंटन के लिए कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना की रिपोर्टिंग

जारीकर्ता कंपनी से अपेक्षित है कि वह अपने कर्मचारियों को ईएसओपी जारी करने संबंधी जानकारी के ब्योरे रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ईएसओपी के जारी करने से 30 दिनों के भीतर सादे कागज पर प्रस्तुत करे । इसके अलावा, आप्शंन्स को शेयरों में परिवर्तित करने संबंधी जानकारी भारतीय कंपनी रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को ऐसे शेयरों के आबंटन की तारीख से 30 दिनों के भीतर फार्म एफसी-जीपीआर में रिपोर्ट करना सुनिश्चित करे । तथापि, ऐसे निर्गमों के मामले में अग्रिम रिपोर्टिंग संबंधी उपबंध लागू नहीं होंगे ।

5. एडीआर/जीडीआर निर्गम की रिपोर्टिंग

एडीआर/जीडीआर जारीकर्ता भारतीय कंपनी निर्गम के बंद होने की तारीख से 30 दिनों के

भीतर संलग्नक 10 में दिये गये फार्म में ऐसे निर्गम के पूरे ब्योरे रिज़र्व बेंक को प्रस्तुत करे। कंपनी तिमाही विवरणी संलग्नक 11 में दिए गए फॉर्म में कैलेण्डर तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें। तिमाही विवरणी तब तक प्रस्तुत की जाती रहेगी जब तक कि एडीआर/जीडीआर प्रणाली से उगाही गयी संपूर्ण राशि, भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, या तो भारत में प्रत्यावर्तित की जाती है या विदेश में इस्तेमाल की जाती है।

6. **संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किए गए निवेशों की रिपोर्टिंग**

(i) **विदेशी संस्थागत निवेश की रिपोर्टिंग:** प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक यह सुनिश्चित करे कि सेबी के पास पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशक जो विशेष अनिवासी रूपया खाते को नामे करके विभिन्न प्रतिभूतियां (डेरिवेटिव और आईडीआर को छोड़कर) खरीदते हैं वे ऐसे सभी लेनदेनों के ब्योरे (डेरिवेटिव और आईडीआर को छोड़कर)फार्म एलईसी(एफआईआई) में विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय को ओआरएफएस के माध्यम से (https://secweb.rbi.org.in/ORFSMainWeb/Login.jsp) वेबसाइट पर अपलोड करके प्रस्तुत करें। प्राधिकृत व्यापारी बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह यह सुनिश्चित करे कि रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत आंकड़े उसकी एफआईआई होल्डिंग रिपोर्ट से आवधिक आधार पर मिलते हैं।

(ii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना (जिसके लिए भुगतान सीधे कंपनी के खाते में आया हो) और संविभाग निवेश योजना (जिसके लिए भुगतान भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक के साथ रखे विदेशी संस्थागत निवेशक के खाते से प्राप्त हुए हो) के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों को शेयर जारी करने वाली भारतीय कंपनी फार्म एफसी-जीपीआर (संलग्नक 8) की मद सं. 5 के अंतर्गत इन आकड़ों का (निर्गमोंत्तर शेयर धारण पैटर्न) अलग अलग रिपोर्ट करे ताकि सांख्यिकी /निगरानी के प्रयोजन के लिए इन्हें उचित रूप में मिलान किया जा सके।

7. **संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए निवेशों की रिपोर्टिंग**

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक की पदनामित शाखा का लिंक कार्यालय अनिवासी भारतीयों की ओर से संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत किए गए लेनदेनों के आधार पर दैनिक रिपोर्ट रिज़र्व बैंक[18] को प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट रिज़र्व बैंक को फ्लापी में प्रस्तुत की जा सकती है और सीधे ओआरएफएस (https://secweb.rbi.org.in/ORFSMainWeb/Login.isp) वेबसाइट पर अपलोड करके भी प्रस्तुत की जा सकती है। प्राधिकृत व्यापारी बैंक की यह जिम्मेदारी होगी कि वह

यह सुनिश्चित करे कि रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत आंकड़े उसकी एनआरआई होल्डिंग रिपोर्ट से आवधिक आधार पर मिलते हैं।

8. तेल क्षेत्रों में 'सहभागिता इंटरेस्ट/अधिकार(राइट)' के निर्गम/अंतरण की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेनदेन के रूप में रिपोर्टिंग

अनिवासी को तेल क्षेत्रों में 'सहभागिता इंटरेस्ट/राइट्स' के निर्गम/अंतरण को मौजूदा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और फेमा विनियमावली के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के लेनदेन के रूप में समझा जाएगा। अस्तु 'सहभागिता इंटरेस्ट/राइट्स' के अंतरण संलग्नक-8 में दिए गए पुनरीक्षित फार्म एफसी-टीआरएस के पैरा 7 के अंतर्गत 'अन्य श्रेणी' में रिपोर्ट किये जाएंगे और 'सहभागिता इंटरेस्ट/ राइट्स' के निर्गम संलग्नक-9 में दिए गए एफसी-जीपीआर- के पैरा 4 के अंतर्गत 'अन्य श्रेणी के लिखत' में रिपोर्ट किये जायेंगे।

भाग II

साझेदारी फर्म/ स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में निवेश

1. साझेदारी फर्म/ स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में निवेश

अनिवासी भारतीय [19] अथवा भारत से बाहर निवास करनेवाला भारतीय मूल का व्यक्ति [20] अंशदान के माध्यम से किसी फर्म की पूंजी अथवा भारत में स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों में अप्रत्यावर्तनीय आधार पर निवेश कर सकता है बशर्ते:

i. राशि का निवेश आवक प्रेषण अथवा प्राधिकृत व्यापारी, प्राधिकृत बैंकों में अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) / अनिवासी सामान्य खाते में से किया जाता है।

ii. फर्म अथवा स्वामित्ववाला प्रतिष्ठान कृषि/ बागान (प्लांटेशन)अथवा भूमि भवन कारोबार (अर्थात लाभ कमाने अथवा उससे आय कमाने की दृष्टि से भूमि अथवा अचल संपत्ति का कारोबार करना) अथवा प्रिंट मीडिया क्षेत्र में लगी हुई नहीं है/लगा हुई नहीं है।

iii. निवेशित राशि भारत से बाहर प्रत्यावर्तन के लिए पात्र नहीं होगी।

2. प्रत्यावर्तनीय लाभ के साथ निवेश

अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति प्रत्यावर्तनीय लाभ के साथ एकल स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों/ साझेदारी फर्मों में निवेश करने हेतु रिज़र्व बैंक [21] से पूर्वानुमति प्राप्त करें। आवेदन पर निर्णय भारत सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।

3. **अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश**

अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति से इतर भारत से बाहर निवास करनेवाले व्यक्ति भारत में किसी फर्म अथवा किसी स्वामित्ववाले प्रतिष्ठान अथवा व्यक्तियों के किसी संघ की पूंजी में अंशदान द्वारा निवेश करने के लिए रिज़र्व बैंक [22] से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करें। आवेदन पर निर्णय भारत सरकार के परामर्श से लिया जाएगा।

4. **निषेध**

अनिवासी भारतीय अथवा भारतीय मूल के व्यक्ति को किसी कृषि/ बागान (प्लांटेशन)कार्यकलाप अथवा भूमि भवन कारोबार (अर्थात् लाभ कमाना अथवा आय कमाने की दृष्टि से भूमि अथवा अचल सम्पत्ति में कारोबार) अथवा प्रिंट मीडिया में लगी हुई फर्म अथवा स्वामित्ववाले प्रतिष्ठानों अथवा में निवेश करने की अनुमति नहीं है।

संलग्नक – 1

[भाग I, खंड I, पैरा 7(ए)]

विदेशी निवेश के लिए क्षेत्र -विशिष्ट नीति

निम्नलिखित क्षेत्रों/गतिविधियों में, प्रत्येक क्षेत्र/गतिविधि के सामने दर्शाई गई सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है जो लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी। जिन क्षेत्रों/गतिविधियों को नीचे नहीं दिया गया है उनमें 100 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग से एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई है, जो लागू कानूनों/विनियमनों; सुरक्षा और अन्य शर्तों के अधीन होगी।

जहां कहीं भी न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षित है, इसमें शेयर के अंकित मूल्य के साथ ही प्राप्त शेयर प्रीमियम भी शामिल होगा बशर्ते कंपनी द्वारा इसे अनिवासी निवेशक को शेयर जारी करते समय प्राप्त कर लिया गया हो। न्यूनतम पूंजीकरण अपेक्षा की गणना करते समय शेयर जारी करने की कीमत के अलावा शेयर-निर्गम के बाद अंतरित करने की अवधि के दौरान इसमें अंतरिती द्वारा भुगतान की गई राशि की गणना नहीं की जाएगी।

क्र.सं.	**क्षेत्र / गतिविधि**	**एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत**	**प्रवेश मार्ग**
कृषि			
1	**कृषि और पशुपालन**		
	ए) नियंत्रित परिस्थितियों में पुष्पोत्पादन, बागवानी, मधुमक्खी-पालन तथा सब्जियों और मशरूम की खेती; बी) बीजों और रोपण सामग्री का विकास और उत्पादन; सी) नियंत्रित परिस्थितियों में पशुपालन (श्वान प्रजनन सहित), मछली-पालन, जलीय कृषि (अक्वाकल्चर); और डी) कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित सेवाएं **टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा अन्य किसी कृषि क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।**	100%	स्वचालित
1.1	**अन्य शर्तें:**		
	I. ट्रांसजेनिक बीजों/ सब्जियों के विकास से संबंधित कंपनियों के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:- (i) जेनेटिक तरीके से आशोधित बीजों या रोपण सामग्री के संबंध में विचार करते समय, कंपनी को जेनेटिक तरीके से आशोधित जीवों पर पर्यावरण(सुरक्षा) अधिनियम के तहत बनाई गई विधियों के अनुसरण में सुरक्षा अपेक्षाओं का पालन करना होगा। (ii) यदि किसी प्रकार की जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री का आयात करना हो तो वह विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत जारी अधिसूचनाओं द्वारा बनाई गई		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	शर्तों के अधीन होगा। (iii) कंपनी जेनेटिक तरीके से आशोधित सामग्री के संबंध में समय-समय पर लागू किए गए किसी अन्य कानून, विनियमन या नीति का पालन करेगी। (iv)जेनेटिक तरीके से अभियंत्रित कोशिकाओं और सामग्री का उपयोग करने में शामिल व्यापारिक गतिविधियां जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमिटी (जीईएसी) और रिव्यू कमिटी ऑन जेनेटिक मैनीपुलेशन (आरसीजीएम) से प्राप्त अनुमोदनों के अधीन होंगी। (v) सामग्रियों का आयात राष्ट्रीय बीज नीति के अनुसार किया जाएगा।		
	II. 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्दावली निम्नलिखित को कवर करती है:- □ पुष्प उत्पादन, बागवानी, सब्जियों और मशरूम की खेती वाली श्रेणियों के लिए 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत खेती' खेती करने का एक तरीका है और जिसमें वर्षा, तापमान, सूर्य विकिरण, वायु आर्द्रता और खेती की विधियों को कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। सुरक्षित खेती के जरिए इन मानदंडों में नियंत्रण ग्रीन हाउस, नेट हाउस, पॉली हाउस या किसी अन्य परिवर्धित इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं - जहां सूक्ष्म मौसमी परिस्थितियों को मानवीय हस्तक्षेप से नियंत्रित किया जाता है।		
	□ पशु पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है: o स्टाल-फीडिंग के साथ गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत पशु-पालन। गहन खेती-बाड़ी प्रणालियों के तहत जलवायु प्रणालियां (हवा-रोशनी (वेंटिलेशन), तापमान/आर्द्रता प्रबंधन), स्वास्थ्य देखभाल और पोषण, झुंड पंजीकरण/वंशावली रिकार्डिंग, मशीनों का उपयोग, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां अपेक्षित होंगी। o मुर्गी प्रजनन केंद्र और हैचरी, जहां सूक्ष्म-जलवायु को इनक्यूबेटर, हवा-रोशनी (वेंटिलेशन) प्रणालियों आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों से नियंत्रित किया जाता है। □ मछली पालन और जलीय कृषि के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है: o मछलीघर (अक्वेरियम) o हैचरी, जहां अंडों को कृत्रिम रूप से निषेचित किया जाता है और मछली के छोटे-छोटे बच्चों को अंडों से बाहर निकाला जाता है और कृत्रिम जलवायु नियंत्रण के साथ एक समावृत्त (एनक्लोज़्ड) वातावरण में उन्हें सेया जाता है। □ मधुमक्खी पालन के मामले में 'नियंत्रित परिस्थितियों के तहत' शब्द इन्हें कवर करता है: o कम कामकाज़ के मौसमों के दौरान निर्धारित स्थानों पर, जंगल/ वनों को छोड़कर, नियंत्रित तापमानों के साथ और जलवायु संबंधी घटकों जैसे आर्द्रता और कृत्रिम भोजन (फीडिंग) द्वारा मधुमक्खी पालन से शहद का उत्पादन।		
2	**चाय बागान**		
2.1	चाय बागानों सहित चाय क्षेत्र **टिप्पणी: उपर्युक्त के अलावा, किसी अन्य बागानों के**	100%	सरकार

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	क्षेत्र/गतिविधि में एफडीआई की अनुमति नहीं है।		
2.2	**अन्य शर्तें:**		
	(i) पांच वर्ष के भीतर किसी भारतीय भागीदार/भारतीय जन सामान्य के पक्ष में कंपनी की 26 प्रतिशत इक्विटी का अनिवार्य विनिवेश (ii) भविष्य में किसी प्रकार के भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले में संबंधित राज्य सरकार की पूर्वानुमति।		
3	**<u>खनन</u>**		
3.1	खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत धातुओं और गैर-धात्विक अयस्कों का, जिनमें हीरा, स्वर्ण, चांदी, और मूल्यवान अयस्क शामिल हैं, खनन और अन्वेषण परंतु टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज और इसके अयस्कों को इसमें शामिल नहीं किया गया है।	100%	स्वचालित
3.2	**<u>कोयला और लिग्नाइट</u>**		
	(1) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के तहत अनुमत और उसमें निहित शर्तों के अधीन ऊर्जा परियोजनाओं, लोहा, इस्पात और सीमेंट इकाइयों और अन्य पात्र गतिविधियों द्वारा आबद्ध उपयोग के लिए कोयले और लिग्नाइट का खनन	100%	स्वचालित
	(2) वाशरीज़ जैसे कोयला प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करना बशर्ते कंपनी कोयले का खनन नहीं करेगी और धुले हुए कोयले या अपने कोयला प्रसंस्करण संयत्र से प्राप्त साइज्ड कोयले की खुले बाजार में बिक्री नहीं करेगी तथा धुले हुए या साइज्ड कोयले की आपूर्ति उन पक्षों करेगी जो वाशिंग या साइजिंग के लिए कोयला प्रकोस्करण संयंत्र को कच्चे कोयले की आपूर्ति कर रहे हैं।	100%	स्वचालित
3.3	**टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां**		
3.3.1	क्षेत्रगत विनियमनों तथा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की शर्तों के अधीन टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों का खनन और खनिज पृथक्करण, इसका मूल्यवर्धन करना और एकीकृत गतिविधियां	100 प्रतिशत	सरकारी
3.3.2	**<u>अन्य शर्तें:</u>**		
	भारत में देश भर के समुद्र-तटीय क्षेत्रों में समुद्री बालू खनिजों का बड़ा भंडार है। टाइटेनियम पाए जाने वाले खनिज नामत: इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन तथा ज़िरकोनियम पाए जाने वाले खनिज जिनमें ज़िरकॉन शामिल है कुछेक समुद्री बालू खनिजों में से हैं जिन्हें परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	के तहत 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। औद्योगिक नीति विवरण 1991 के तहत खनिजों के खनन और उत्पादन को 'निर्धारित पदार्थ' के रूप में वर्गीकृत किया गया और परमाणु ऊर्जा (उत्पादन और उपयोग नियंत्रण) आदेश, 1953 की अनुसूची के रूप में रखा गया; जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है। परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 6 अक्तूबर 1998 को जारी किए गए संकल्प संख्या 8/1(1)/97-पीएसयू/1422 में समुद्री बालू खनिजों के अन्वेषण के लिए नीति बनाई गई जिसमें टाइटेनियम अयस्क (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन) और ज़िरकोनियम खनिजों (ज़िरकॉन) के खनन और उत्पादन में एफडीआई सहित निजी सहभागिता की अनुमति प्रदान की गई। परमाणु ऊर्जा विभाग ने परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत 18.1.2006 की अपनी अधिसूचना संख्या एस.ओ.61(ई) द्वारा'निर्धारित पदार्थों' की सूची को पुन: अधिसूचित किया। टाइटेनियम वाले अयस्कों और इसके सांद्रकों (इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन) तथा ज़िरकोनियम, इसकी मिश्रधातु और यौगिकों और ज़िरकॉन सहित खनिजों/सांद्रकों को 'निर्धारित पदार्थों' की सूची में से हटा दिया गया। (i) टाइटेनियम वाले खनिजों और अयस्कों को पृथक करने के लिए एफडीआई निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगी, नामत:		
	(क) प्रौद्यागिकी अंतरण के साथ मूल्यवर्धन सुविधाएं भारत के भीतर स्थापित की जाएंगी; (ख) खनिज पृथक्करण के दौरान अवशिष्टों का निपटान परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियमावली, 2004 और परमाणु ऊर्जा (रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निपटान) नियमावली, 1987 जैसे परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसरण में किया जाएगा। (ii) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा 18.1.2006 को जारी की गई अधिसूचना सं. एस.ओ. 61(ई) में सूचीबद्ध 'निर्धारित पदार्थों' के खनन में एफडीआई की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पष्टीकरण: (1) इल्मेनाइट, रूटाइल और ल्यूकोक्सीन जैसे टाइटेनियम वाले अयस्कों के लिए टाइटेनियम डाईऑक्साइड पिगमेंट और टाइटेनियम स्पॉन्ज के निर्माण से मूल्यवर्धन होता है। इल्मेनाइट को प्रसंस्कृत करके 'कृत्रिम रूटाइल या टाइटेनियम स्लैग' जैसा मध्यवर्ती मूल्यवर्धित उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। (2) इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश में उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग निचले स्तर तक उद्योगों की स्थापना में किया जाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध प्रौद्योगिकी भी देश में इस प्रकार के उद्योगों को लगाने के लिए उपलब्ध हो सके। इस प्रकार, यदि प्रौद्योगिकी अंतरण से एफडीआई नीति के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके तो उपर्युक्त (i) (क) में निर्धारित शर्तों को पूरा हुआ माना जाएगा।		
4	**तेल और प्राकृतिक गैस**		
4.1	तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र की अन्वेषण गतिविधियां,	100%	स्वचालित

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के विपणन संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन, पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, एलएनजी पुन:गैसीकरण इंफ्रास्ट्रक्चर, बाजार अध्ययन और फार्मुलेशन और निजी क्षेत्र में पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो तेल विपणन क्षेत्र में मौजूदा क्षेत्रगत नीति और विनियामी फ्रेमवर्क और तेल की खोज में तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए क्षेत्रों में निजी सहभागिता के संबंध में सरकार की नीति के अधीन होगी।		
4.2	मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किसी प्रकार के विनिवेश या उनकी देशी इक्विटी को कम किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम परिशोधन।	49%	सरकारी
	विनिर्माण		
5	**सूक्ष्म और लघु उद्यमों में उत्पादन के लिए आरक्षित वस्तुओं का विनिर्माण**		
5.1	सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी, अधिनियम, 2006) में यथापरिभाषित) में एफडीआई क्षेत्रगत सीमाओं, प्रवेश मार्गों और अन्य संगत क्षेत्रगत विनियमनों के अधीन होगा यदि कोई औद्योगिक उपक्रम, जो न तो सूक्ष्म है न लघु स्तर का उद्यम है, एमएसई क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करता है तो उसके लिए सरकारी मार्ग अपेक्षित होगा, जहां विदेशी निवेश 24 प्रतिशत से अधिक होगा। इस प्रकार के उपक्रम को इस प्रकार के उत्पादन के लिए औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत एक औद्योगिक लाइसेंस भी लेना अपेक्षित होगा। औद्योगिक लाइसेंस का निर्गम कुछ सामान्य शर्तों के अधीन होगा और इस विशिष्ट शर्त के अधीन होगा कि औद्योगिक उपक्रम तीन वर्षों की अधिकतम अवधि के भीतर एमएसई के लिए आरक्षित वस्तुओं के नए या अतिरिक्त वार्षिक उत्पादन के न्यूनतम 50 प्रतिशत के निर्यात का लक्ष्य प्राप्त करेगा। निर्यात उत्तरदायित्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से लागू होगा और उद्योग(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।		
6	**रक्षा**		
6.1	रक्षा उद्योग, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम , 1951 के तहत औद्योगिक लाइसेंस के अधीन है।	26%	सरकार
6.2	**अन्य शर्तें :**		
	(i) लाइसेंस आवेदनों पर विचार किया जाएगा और रक्षा मंत्रालय से परामर्श के बाद औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग , वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लाइसेंस दिए जाएंगे। (ii) आवेदक भारतीय कंपनी / भागीदारी फर्म हो। (iii) आवेदक कंपनी / भागीदारी फर्म का प्रबंधन भारतीय हाथों में हो और कंपनी / भागीदारी फर्म के बोर्ड में बहुमत प्रतिनिधित्व भारतीय निवासियों का हो और साथ ही उसके मुख्य कार्यकारी भारतीय निवासी हों।		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(iv) आवेदन के साथ निदेशकों और मुख्य कार्यपालकों का पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाए। (v) सरकार के पास विदेशी सहयोगियों और घरेलू प्रमोटरों की वित्तीय स्थिति और विश्व बाजार में उनकी विश्वसनीयता सहित उनके पूर्ववृत्त की जांच करने का अधिकार सुरक्षित होगा। उपकरण का मूल रूप से निर्माण करने वालों या डिजाइन अधिष्ठानों और ऐसी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका सशस्त्र बल, अंतरिक्ष एवं परमाणु ऊर्जा अनुभागों को पूर्व में आपूर्ति करने का ट्रैक रिकार्ड अच्छा हो और जिनके पास एक स्थापित अनुसंधान एवं विकास केंद्र हो। (vi) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में कोई न्यूनतम पूंजीकरण नहीं होगा। तथापि , उत्पाद और प्रौद्योगिकी के आधार पर आवेदक कंपनी के प्रबंधन द्वारा उचित मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। लाइसेंसी प्राधिकारी निर्माण हेतु प्रस्तावित हथियारों और उपकरणों की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए अनिवासी निवेशक की निवल मालियत की पर्याप्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा। (vii) एक अनिवासी निवेशक से दूसरे अनिवासी निवेशक (अनिवासी भारतीय और पूर्व में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अनिवासी भारतीय हिस्से वाली विदेशी कंपनी निकाय) को इक्विटी हस्तांतरित करने में तीन वर्ष की लॉक - इन अवधि होगी और ऐसा कोई हस्तांतरण सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन होगा। (viii) रक्षा मंत्रालय निर्मित होनेवाले उत्पादों की खरीद की गारंटी देने की स्थिति में नहीं है। तथापि , जहां तक संभव हो , ऐसे उपकरणों के लिए योजनाबद्ध अर्जन कार्यक्रम और समग्र अपेक्षाएं उपलब्ध करायी जाएंगी। (ix) लाइसेंस में आवेदन और साथ ही रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर उत्पादन के लिए क्षमता मानदंड उपलब्ध कराए जाएंगे जो इसी प्रकार के और संबद्ध उत्पादों की वर्तमान क्षमताओं पर विचार करेगा। (x) आवेदक कंपनी को उत्पादन पूर्व कार्यकलाप के लिए उपकरण के आयात, जिसमें नमूने का विकास शामिल हो , की अनुमति होगी। (xi) एक बार लाइसेंस मंजूर होने और उत्पादन शुरू होने के बाद लाइसेंसी के लिए पर्याप्त संरक्षा और सुरक्षा प्रक्रिया अपनाया जाना अपेक्षित होगा। यह अधिकृत सरकारी एजेंसियों द्वारा सत्यापन के अधीन होगा।		
	(xii) लाइसेंसी लाइसेंस के तहत विदेशी सहयोगियों से या स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के जरिए उत्पादन किए जानेवाले उपकरण की गुणवत्ता और परीक्षण क्रियाविधि, उपयुक्त गोपनीयता खंड के तहत, सरकार द्वारा नामित गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी को उपलब्ध कराएगा। नामित की गई गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी तैयार माल की जांच करेगी और लाइसेंसी के गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया की निगरानी तथा लेखा-परीक्षा करेगी। रक्षा मंत्रालय मामला - दर - मामला आधार पर स्व - प्रमाणन की अनुमति देगा जिसमें या तो अलग - अलग वस्तुएं होंगी या लाइसेंसी द्वारा निर्मित वस्तुओं के समूह होंगे। ऐसी अनुमति नियत अवधि के लिए होगी और ये नवीकरण के अधीन होंगे। (xiii) सार्वजानिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देश के अनुसार खरीद की तरजीह और मूल्य की तरजीह सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को दी जा सकती है। (xiv) निजी निर्माताओं द्वारा निर्मित हथियार एवं गोलाबारूद मुख्य रूप से रक्षा मंत्रालय को बेचे जाएंगे। ये वस्तुएं रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों के नियंत्रण के अधीन अन्य सरकारी संस्थाओं को भी बेचे जा सकते हैं। देश के भीतर ऐसी कोई भी वस्तु किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को नहीं बेची जाएगी। निर्मित वस्तुओं का निर्यात आयुध कारखाने और सार्वजानिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों के लिए लागू नीति और दिशानिर्देश के अधीन होगा। रक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के साथ केंद्र सरकार या राज्य सरकार से इतर व्यक्तियों / संस्थाओं को गैर - प्राणघातक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी जाएगी। लाइसेंसी से यह भी अपेक्षित होगा कि वह अपने कारखाने से सभी माल को हटाने के लिए एक सत्यापनीय प्रणाली तैयार करे। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(xv) रक्षा उद्योग क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रयोजन से विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के पास किए गए आवेदन पर सरकार का निर्णय सामान्यतया पावती की तारीख से 10 सप्ताह की समय सीमा के भीतर संप्रेषित कर दिया जाएगा।		
<u>सेवा क्षेत्र</u>			
सूचना सेवा			
7 [23]	**प्रसारण**		
7.1	**प्रसारण वाहक सेवा**		
7.1.1	(1) **टेलीपोर्ट** (अप - लिंकिग एचयूबी / टेलीपोर्ट की स्थापना) (2) **डायरेक्ट टू होम** (डीटीएच) (3) **केबल नेटवर्क** (राष्ट्रीय या राज्य या जिला स्तर पर परिचालन करनेवाले और डिजिटलाइजेशन एवं अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडशन का काम करनेवाले मल्टी सिस्टम ऑपरेटर (एमएसओ) (4) **मोबाइल टीवी** (5) **हेडएंड - इन - द - स्काई ब्रॉडकास्टिंग सर्विस** (एचआईटीएस)	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित मार्ग 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
7.1.2	**केबल नेटवर्क** (अन्य एमएसओ, जो डिजिटलाइजेशन और अड्रेसबिलिटी के लिए नेटवर्क अपग्रेडेशन का कार्य नहीं करते हैं और स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ)	49 प्रतिशत	स्वचालित
7.2	**प्रसारण विषयक सेवाएं**		
7.2.1	**क्षेत्रीय प्रसारण एफएम (एफएम रेडियो)** , एफ एम रेडियो स्टेशन की स्थापना की अनुमति की मंजूरी ऐसे नियम व शर्तों के अधीन होगी जिन्हें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट किया गया हो।	26 प्रतिशत	सरकारी
7.2.2	**`समाचार एवं सम - सामयिक मामला दर्शाने वाले' टी वी चैनलों की अपलिंकिंग**	26 प्रतिशत	सरकारी
7.2.3	**`गैर समाचार एवं सम - सामयिक मामला दर्शानेवाले'टीवी चैनलों की अप - लिंकिंग / टीवी चैनलों की डाउन - लिंकिंग**	100 प्रतिशत	सरकारी
7.3	टीवी चैनलों की अप - लिंकिंग / डाउन - लिंकिंग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय - समय पर अधिसूचित सुसंगत अप - लिंकिंग / डाउन - लिंकिंग नीति के अनुपालन के अधीन होगी।		
7.4	उपर्युक्त वर्णित सभी सेवाओं में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) ऐसे सुसंगत विनियमों और नियमों व शर्तों के अधीन होंगे, जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय - समय पर		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	जारी किए गए हों।		
7.5	उपर्युक्त वर्णित गतिविधियों में संलग्न कंपनियों में विदेशी निवेश (एफआई) की सीमा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अलावा, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई), अनिवासी भारतीयों (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), अमेरिकी डिपॉजिटरी रसीद (एडीआर), वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) द्वारा किए गए निवेश और विदेशी संस्थाओं द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों के जरिए किए गए निवेश शामिल हैं।		
7.6	उपर्युक्त वर्णित प्रसारण वाहक सेवाओं में विदेशी निवेश निम्नलिखित सुरक्षा शर्तों / नियमों के अधीन होगा : **कंपनी के प्रमुख कार्यपालकों के लिए अधिदेशात्मक अपेक्षा** (i) कंपनी के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे। (ii) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), तकनीकी नेटवर्क परिचालन के प्रभारी मुख्य अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी भारतीय नागरिक होने चाहिए। **कर्मचारियों के लिए सुरक्षा अनुमोदन** (iii) कंपनी, निदेशक बोर्ड के सभी निदेशकों और ऐसे किसी प्रमुख कार्यपालकों जैसे प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ), कंपनी में वैयक्तिक रूप से 10 प्रतिशत या उससे अधिक प्रदत्त पूंजी रखने वाले शेयरधारकों या जैसा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य श्रेणी से अपेक्षित होगा कि वे सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करें। कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति के मामले में और प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य सुरक्षा अधिकारी (सीएसओ), मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ), मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) आदि जैसे प्रमुख कार्यपालकों की नियुक्ति के मामले में , सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय - समय पर निर्दिष्ट किए गए अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी। कंपनी के लिए बाध्यकर होगा कि वह निदेशक बोर्ड में कोई परिवर्तन करने से पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की पूर्व अनुमति भी प्राप्त करे। (iv) कंपनी से यह अपेक्षित होगा कि वह नियुक्ति, संविदा और परामर्शदात्री या प्रतिष्ठापन, रख - रखाव, परिचालन या किसी अन्य सेवा के प्रयोजन से किसी अन्य क्षमता की बाबत कंपनी में एक वर्ष में 60 से अधिक दिन के लिए अभिनियोजित होने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों की उनके अभिनियोजन से पहले सुरक्षा अनुमोदन प्राप्त करे। यह सुरक्षा अनुमोदन प्रत्येक दो वर्ष में लेना अपेक्षित होगा।		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	अनुमति और सुरक्षा अनुमोदन (v) यह अनुमति अनुमति धारक / लाइसेंसी द्वारा अनुमति की वैधता - अवधि के दौरान सुरक्षा अनुमोदन बरकरार रखे जाने के अधीन होगी। सुरक्षा अनुमोदन वापस लिए जाने की स्थिति में दी गई अनुमति तत्काल खत्म की जा सकती है। (vi) अनुमति धारक / लाइसेंसी से जुड़े किसी भी व्यक्ति या विदेशी कर्मचारी को किसी भी कारण से सुरक्षा अनुमोदन मना किए जाने या वापस लिए जाने पर, अनुमति धारक / लाइसेंसी यह सुनिश्चित करेगा कि सरकार से ऐसा कोई निदेश प्राप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति त्याग - पत्र दे दे या उसकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जाए, और ऐसा न किए जाने पर दी गई अनुमति / लाइसेंस का प्रतिसंहरण कर दिया जाएगा और भविष्य में अगले पांच वर्ष तक की अवधि के लिए कंपनी को ऐसी कोई अनुमति / लाइसेंस धारण किए जाने हेतु अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। **इन्फ्रास्ट्रक्चर / नेटवर्क / सॉफ्टवेअर संबंधी अपेक्षा** (vii) लाइसेंसी कंपनी के अधिकारी / पदाधिकारी, जो सेवाओं के विधिसम्मत अवरोधन से संबंधित हैं , (vii) विधिसम्मत हस्तक्षेप सेवाओं के कारोबार के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के अधिकारी/पदधारक (officials) भारतीय नागरिक होंगे। (viii) इन्फ्रास्ट्रक्चर / नेटवर्क डायग्राम (नेटवर्क के तकनीकी ब्यौरे) से संबंधित विवरण, केवल आवश्यक होने पर, उपकरण आपूर्तिकर्ताओं / विनिर्माताओं और लाइसेंसी कंपनी की संबद्ध संस्था को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। यदि ऐसी कोई सूचना किसी अन्य को दी जानी हो तो इसके लिए लाइसेंस-प्रदाता का अनुमोदन अपेक्षित होगा। (ix) जब तक सुसंगत कानून द्वारा अनुमत न हो, कंपनी ग्राहक का डेटाबेस भारत के बाहर किसी व्यक्ति / स्थान को अंतरित नहीं करेगी। (x) कंपनी अपने ग्राहकों की ऐसी पहचान अवश्य उपलब्ध कराएगी जिसका पता लगाया जा सके। **सूचना की निगरानी, निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण** (xi) कंपनी सुनिश्चित करेगी कि उनके उपकरण में ऐसे आवश्यक प्रावधान (हार्डवेअर / सॉफ्टवेअर) उपलब्ध हों जिससे सरकार द्वारा जब कभी अपेक्षित हो किसी केंद्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी की जा सके। (xii) कंपनी सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों की मांग पर सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों के पर्यवेक्षण के तहत या उनके द्वारा प्रसारण सेवा की सतत निगरानी के लिए अपने खर्चे पर		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	निर्दिष्ट स्थान (नों) पर आवश्यक उपकरण, सेवा और सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। (xiii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को प्रसारण सुविधाओं का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। सरकार या इसके अधिकृत प्रतिनिधियों को निरीक्षण करने के अधिकार का प्रयोग किए जाने के लिए किसी पूर्व अनुमति / सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों से अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी गतिविधियों और परिचालनों के किसी विशेष पहलू की सतत निगरानी के लिए सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। तथापि, सतत निगरानी केवल सुरक्षा से जुड़े पहलुओं तक सीमित होगी जिसमें आपत्तिजनक विषय की स्क्रीनिंग शामिल है। (xiv) ये निरीक्षण सामान्यतया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार या इनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा युक्तिसंगत नोटिस दिए जाने के बाद, ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जहां ऐसा नोटिस देना निरीक्षण के वास्तविक उद्देश्य को खत्म करता हो, किए जाएंगे। (xv) सरकार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपेक्षित होने पर कंपनी अपनी सेवाओं से संबंधित ऐसी कोई सूचना समय - समय पर निर्दिष्ट किए गए फार्मेट में प्रस्तुत करेगी। (xvi) अनुमतिधारक / लाइसेंसधारी भारत सरकार या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि या ट्राई या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को रिपोर्टें, खाते, प्राक्कलन, विवरणियां या ऐसी अन्य प्रासंगिक जानकारी अपेक्षित आवधिक अंतरालों पर या अपेक्षित समय पर प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे। (xvii) सेवाप्रदाताओं को सरकार के नामित पदाधिकारियों / ट्राई के पदाधिकारियों या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि (यों) को अपनी प्रणालियों के परिचालन / विशेषताओं के संबंध में प्रशिक्षित करना होगा। **राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें** (xviii) लाइसेंसकर्ता राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंसधारी कंपनी को किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में परिचालन से प्रतिबंधित कर सकता है। भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पास राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में अनुमतिधारक / लाइसेंसधारी की अनुमति को उसके निदेश में दी गई अवधि अथवा अवधियों के लिए निलंबित करने का अधिकार होगा। इस संबंध में जारी किए गए किसी भी निदेश का अनुपालन कंपनी को तुरंत करना होगा, ऐसा न करने पर अनुमति को रद्द किया जा सकता है और कंपनी को आगे पांच साल की अवधि के लिए ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। (xix) कंपनी किसी ऐसे उपकरण का आयात / उपयोग नहीं करेगी, जो गैर कानूनी और / या नेटवर्क सुरक्षा को खतरे में डालने वाला हो।		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	अन्य शर्तें (xx) लाइसेंसकर्ता के पास राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता के हित में या प्रसारण सेवाओं के उचित प्रावधान के लिए इन शर्तों में आशोधन करने या आवश्यक समझी जाने वाली नई शर्तों को शामिल करने का अधिकार होगा। (xxi) लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके द्वारा स्थापित किए गए प्रसारण सेवा संबंधी उपकरण सुरक्षा के लिए जोखिम न पैदा करे और यह किसी भी कानून, नियम, या विनियमन और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन नहीं करता हो।		
8.	प्रिंट मीडिया		
8.1	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई / पीआईओ / एफआईआई द्वारा निवेश)	सरकार
8.2	समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण का प्रकाशन	26 प्रतिशत (एफडीआई और एनआरआई / पीआईओ / एफआईआई द्वारा निवेश)	सरकार
8.2.1	**अन्य शर्तें :**		
	(i) इन दिशा - निदेर्शों के उद्देश्य से, `पत्रिका' को जनता से संबंधित समाचार या सार्वजनिक समाचारों पर टिप्पणियों को गैर - दैनिक आधार पर प्रकाशित करने वाले नियतकालिक प्रकाशनों के रूप में परिभाषित किया गया है। (ii) विदेशी निवेश समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करणों के प्रकाशन के संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 4.12.2008 को जारी दिशा - निर्देशों के भी अधीन होगा।		
8.3	वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिका / विशेषज्ञता वाले जर्नल / नियतकालिक पत्रिकाओं का प्रकाशन/मुद्रण लागू वैधानिक ढांचे और इस संबंध में समय - समय पर जारी दिशा - निर्देशों के अनुपालन के अधीन होगा	100%	सरकार
8.4	विदेशी समाचार - पत्र के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन	100%	सरकार
8.4.1	अन्य शर्तें		
	(i) एफडीआई मूल विदेशी समाचार - पत्र के मालिक द्वारा किया जाना चाहिए जिसका प्रतिकृति संस्करण भारत में प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(ii) विदेशी समाचार - पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारत में निगमित या पंजीकृत इकाई द्वारा ही किया जा सकता है। (iii) विदेशी समाचार - पत्रों के प्रतिकृति संस्करण का प्रकाशन समाचार और समसामयिक मामलों को प्रकाशित करने वाले समाचार - पत्र और नियतकालिक पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा विदेशी समाचार - पत्रों के प्रतिकृति संस्करण को प्रकाशित करने पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा 31.03.2006 को जारी और समय समय पर यथासंशोधित दिशा - निर्देशों के अधीन होगा।		
9.	**नागरिक उड्डयन**		
	नागरिक उड्डयन क्षेत्र में हवाई अड्डे, अनुसूचित और और गैर - अनुसूचित घरेलू यात्री सेवाएं, हेलीकॉप्टर सेवाएं / समुद्री विमान सेवाएं, ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, रख - रखाव और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थाएं और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र के प्रयोजनों के लिए : (i) `हवाई अड्डा' से तात्पर्य है विमान के उतरने और उड़ान भरने का क्षेत्र जहां सामान्य तौर पर रनवे और विमान अनुरक्षण और यात्री सुविधा होती है और एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (2) में परिभाषित एरोड्रोम भी शामिल है। (ii) ``एरोड्रोम" का तात्पर्य विमान के उतरने और उड़ानें भरने के लिए पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही तयशुदा या सीमित जमीन या पानी क्षेत्र से है, जिसमें सभी भवन, शेड, जहाज, गोदी और अन्य संरचनाएं या संबंधित संरचनाएं भी शामिल हैं। (iii) ``हवाई अड्डा परिवहन सेवा" का तात्पर्य पारिश्रमिक के बदले व्यक्तियों, डाक या अन्य ऐसी चेतन या अचेतन के परिवहन की सेवा है चाहे वह एकल उड़ान या श्रृंखला उड़ान की सेवाओं के माध्यम से दी जा रही हो। (iv) ``हवाई परिवहन उपक्रम" का तात्पर्य उस उपक्रम से है जिसके कारोबार में किराया या प्रतिफल के एवज में यात्री या माल का हवाई मार्ग से परिवहन भी शामिल है। (v) ``विमान के घटक" का तात्पर्य कोई हिस्सा या उपकरण का कोई भाग है जिसे जब विमान में लगाया जाता है तो उसकी सुदृढ़ता और सही कार्य करने की क्षमता विमान की सुरक्षा या उड़ान योग्यता के लिए आवश्यक है। (vi) ``हेलिकॉप्टर" का तात्पर्य वस्तुत : ऊर्ध्वाधर अक्ष पर एक या एक से अधिक शक्तिचालित रोटार की मदद से उड़ान भरने वाला विमान से भारी यान से है। (vii) ``अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य दो या अधिक स्थानों के बीच चलायी जाने वाली हवाई परिवहन सेवा है जो प्रकाशित समय सारणी के अनुसार या मान्यतापूर्वक व्यवस्थित श्रृंखला में नियमित रूप से या अक्सर उड़ान भरते हों और प्रत्येक उड़ान जनता के उपयोग के लिए उपलब्ध हो। (viii) ``गैर - अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का तात्पर्य ऐसी सेवा से है जो अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा न हो और इसमें कार्गो एयरलाइन शामिल है। (ix) ``कार्गो एयरलाइन" का तात्पर्य ऐसी एयरलाइन से है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नागरिक उड्डयन की अपेक्षाओं की शर्तों को पूरा करती हो;		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(x) ``समुद्री विमान" का तात्पर्य उस विमान से है जो केवल पानी से उड़ने और पानी पर उतरने के लिए सामान्य तौर पर सक्षम हो; (xi) ``ग्राउंड हैंडलिंग" का तात्पर्य है (i) रैंप हैंडलिंग, (ii) ट्राफिक हैंडलिंग, दोनों में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा समय - समय पर वैमानिकी सूचना परिपत्र के माध्यम से निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, और (iii) केंद्र सरकार द्वारा या तो रैंप हैंडलिंग या ट्राफिक हैंडलिंग के हिस्से के तौर पर निर्दिष्ट कोई अन्य गतिविधि।		
9.2	**हवाईअड्डा**		
	(क) नई (ग्रीनफील्ड) परियोजनाएं	100 प्रतिशत	स्वचालित
	(ख) मौजूदा परियोजनाएं	100 प्रतिशत	74 प्रतिशत तक स्वचालित 74 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग
9.3 [24]	**हवाई परिवहन सेवाएं**		
	(1) अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा/घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री सेवा	49 प्रतिशत एफडीआई (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)	स्वचालित
	(2) गैर - अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा	74 प्रतिशत एफडीआई (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
	(3) हेलीकॉप्टर सेवा / समुद्री विमान के लिए डीजीसीए की मंजूरी आवश्यक	100 प्रतिशत	स्वचालित
9.3.1	**अन्य शर्तें**		
	(क) हवाई परिवहन सेवाओं में घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन; गैर - अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएं, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं शामिल हैं। (ख) विदेशी एयरलाइनों को उपर्युक्त में दी गई सीमाओं और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइन, हेलीकॉप्टर और समुद्री विमान को परिचालित करने वाली कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति है।		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(ग) विदेशी एयरलाइनों को अब से अनुसूचित और गैर - अनुसूचित विमान परिवहन सेवाओं को परिचालित करने वाली भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनके चुकता पूंजी के 49 प्रतिशत की सीमा तक निवेश करने की अनुमति होगी। ऐसे निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे : (i) यह सरकार के अनुमोदन मार्ग के तहत किया जाएगा। (ii) 49 प्रतिशत की सीमा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेशकों के निवेश शामिल होंगे। (iii) किए गए निवेश के लिए सेबी के सुसंगत विनियमों जैसे पूंजी को जारी करना और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं संबंधी (आईसीडीआर) विनियमों / शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण (एसएएसटी) संबंधी विनियमों के साथ - साथ अन्य लागू नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होगा। (iv) अनुसूचित ऑपरेटर परमिट केवल उस कंपनी को दिए जा सकते हैं : क) जो पंजीकृत है और उसके व्यवसाय का मुख्य स्थान भारत में है; ख) अध्यक्ष और कम से कम दो तिहाई निदेशक भारत के नागरिक हों, और ग) भारतीय नागरिकों के पास पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण हो। (v) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर अनूसूचित हवाई परिवहन सेवाओं के साथ जुड़े हुए सभी विदेशी नागरिकों को तैनाती के पहले सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। (vi) ऐसे निवेशों के परिणामस्वरूप भारत में आयातित सभी प्रकार के तकनीकी उपकरणों के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संबंधित प्राधिकारियों से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना अपेक्षित होगा। टिप्पणी: उपर्युक्त पैरा 9.3(1) और 9.3(2) में वर्णित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा / प्रवेश मार्ग, उन स्थितियों में लागू है जहां विदेशी एयरलाइनों द्वारा कोई भी निवेश नहीं किया गया हो। (घ) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड पर उक्त (ग) में वर्णित नीति लागू नहीं है।		
9.4	नागरिक उड्डयन क्षेत्र के तहत अन्य सेवाएं		
	(1) ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं, क्षेत्र विशेष से संबंधित विनियमों और सुरक्षा अनुमोदन के अधीन	74 प्रतिशत एफडीआई (एनआरआई के लिए 100 प्रतिशत)	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
	(2) अनुरक्षण और मरम्मत संगठन; उड़ान प्रशिक्षण संस्थान; और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	100 प्रतिशत	स्वचालित
10	**पैकेज, पार्सल और अन्य मदों को ले जाने वाली कूरियर सेवाएं जो भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 के दायरे में नहीं आती हैं, पत्रों के वितरण से संबंधित गतिविधियों को छोड़कर**	100 प्रतिशत	सरकार
11	**निर्माण विकास : टाउनशिप, आवास, बिल्ट - अप बुनियादी संरचना**		
11.1	टाउनशिप, आवास, बिल्ट - अप बुनियादी सुविधाएं और	100 प्रतिशत	स्वचालित

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	निर्माण - विकास परियोजनाएं (जिसमें आवास, वाणिज्यिक परिसर, होटल, रिसॉर्ट, अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, मनोरंजन की सुविधाएं, शहर और क्षेत्रीय स्तर की बुनियादी संरचनाएं शामिल हैं, लेकिन जो इन तक ही सीमित नहीं हैं)		
11.2	निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा : (1) प्रत्येक परियोजना के तहत न्यूनतम विकसित किया जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित होगा : (i) सेवा-प्राप्त आवासीय भूखंड के विकास के मामले में, 10 हेक्टेयर का न्यूनतम भूमि क्षेत्र (ii) निर्माण - विकास परियोजनाओं के मामले में 50 ,000 वर्गमीटर का न्यूनतम बिल्ट - अप-क्षेत्र (iii) संयोजन परियोजना के मामले में, ऊपर की दो शर्तों में से कोई एक पर्याप्त होगी (2) पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के लिए न्यूनतम 10 लाख अमेरिकी डालर और भारतीय भागीदारों के साथ संयुक्त उपक्रम के लिए 5 लाख अमेरिकी डालर का न्यूनतम पूंजीकरण। कंपनी के कारोबार के प्रारंभ होने के छह महीने के भीतर ही निधियों को लाना होगा। (3) न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने के तीन साल से पहले मूल निवेश को प्रत्यावर्तित नहीं किया जा सकता है। मूल निवेश का तात्पर्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में लायी गयी पूरी राशि से है। तीन वर्ष की लॉक - इन - अवधि को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रत्येक किस्त / श्रृंखला की प्राप्ति की तारीख या न्यूनतम पूंजीकरण के पूरा होने की तारीख, जो भी बाद में हो, से लागू किया जाएगा। हालांकि, निवेशकों के लिए एफआईपीबी के माध्यम से सरकार के पूर्व अनुमोदन से पहले बाहर निकलने की अनुमति दी जा सकती है। (4) सभी सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर ऐसी सभी परियोजना का कम से कम 50% विकसित किया जाना चाहिए। निवेशक / निवेशिती कंपनी को अविकसित भूखंडों को बेचने की अनुमति नहीं होगी। इन दिशा - निर्देशों के प्रयोजन के लिए, `अविकसित भूखंडों' का तात्पर्य ऐसे भूखंडों से है जहां निर्धारित विनियमों के तहत सड़क, पानी की आपूर्ति, सड़क पर रोशनी, जल निकासी, सीवरेज, और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध नहीं कराया गया है। सेवा-प्राप्त आवासीय भूखंडों को बेचने की अनुमति प्राप्त करने के पूर्व यह आवश्यक है कि निवेशक इस बुनियादी ढांचे को उपलब्ध कराए और संबंधित स्थानीय निकाय / सेवा एजेंसी से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करे। (5) परियोजना को इमारत नियंत्रण विनियमों, उपविधियों, नियमों और राज्य सरकार / नगरपालिका / संबंधित स्थानीय निकाय के अन्य विनियमों के अनुसार भूमि उपयोग संबंधी अपेक्षाओं और सामुदायिक सुविधाओं और आम सुविधाओं के प्रावधानों सहित मानकों और मानदंडों के अनुरूप होना चाहिए।		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(6) निवेशक / निवेशिती कंपनी सभी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है जिसमें इमारत / ले - आउट योजना, आंतरिक और आस - पास के क्षेत्रों और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विकास, विकास,बाह्य विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान, संबंधित स्थानीय राज्य सरकार / नगरपालिका / निकाय के लागू नियमों / उप विधियों / विनियमों के तहत सभी अन्य अपेक्षाओं का पालन करेंगे।		
	(6) निवेशक/निवेशिती कंपनी सभी आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगी, जिनके अंतर्गत भवन/खाका, आंतरिक और परिधीय क्षेत्रों तथा अन्य बुनियादी संरचनागत सुविधाओं का विकास, डेवलपमेंट, बाहरी विकास और अन्य प्रभारों का भुगतान तथा संबंधित राज्य सरकार/नगरपालिका/स्थानीय निकाय के प्रयोज्य नियमावली/उप नियमावली/विनियमावली के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी अन्य अपेक्षाओं का पूरा किया जाना शामिल है। (7) भवन/विकास योजनाओं का अनुमोदन करने वाली राज्य सरकार/नगरपालिका/ स्थानीय निकाय यह निगरानी करेगा कि डेवलपर उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन करता है कि नहीं। नोट : (i) होटलों और पर्यटन, अस्पतालों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड), शिक्षा क्षेत्र, वृद्धाश्रमों और अनिवासी भारतीयों द्वारा किए जाने वाले निवेश पर उपर्युक्त मद सं (1) से (4) में बताई गई शर्तें लागू नहीं होंगी। (ii) रियल एस्टेट कारोबार में एफडीआई की अनुमति नहीं है।		
12	**औद्योगिक पार्क - नए और मौजूदा**	100 प्रतिशत	स्वचालित
12.1	(i) "औद्योगिक पार्क" एक ऐसी परियोजना है जिसमें डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों या इमारतदार क्षेत्र या संयुक्त रूप से इन सुविधाओं से युक्त क्षेत्रों के तौर पर उच्च कोटि की बुनियादी संरचना का विकास किया जाता है और इन्हें सभी आबंटिती इकाइयों को औद्योगिक कार्यकलाप के उद्देश्य से उपलब्ध कराया जाता है। (ii) "बुनियादी संरचना" का तात्पर्य ऐसी सुविधाओं से है जो औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के कार्य-संचालन के लिए अपेक्षित हैं। इनके अंतर्गत सड़कें (पहुंचने का मार्ग), जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सार्वजनिक सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली का उत्पादन व वितरण, वातानुकूलन आदि शामिल हैं। (iii) "सामान्य सुविधाओं" से अभिप्रेत है औद्योगिक पार्क में स्थित सभी इकाइयों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं। इनके अंतर्गत बिजली, सड़कें (पहुंचने का मार्ग), जल आपूर्ति और अप-जल निकास, अपगामी जल उपचार की सामान्य व्यवस्था, सामान्य टेस्टिंग, दूरसंचार सेवाएं, वातानुकूलन, सार्वजनिक सुविधा भवन, औद्योगिक कैंटीन कन्वेन्शन/सम्मेलन भवन, पार्किंग, यात्रा डेस्क, सुरक्षा		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	सेवा, प्रथमोपचार केंद्र, एंबुलेंस और अन्य सुरक्षा सेवाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं तथा औद्योगिक पार्क में स्थित इकाइयों के सामान्य उपयोग हेतु उपलब्ध इसी प्रकार की अन्य सुविधाएं शामिल हैं।		
	(iv) औद्योगिक पार्क में ``आबंटनीय क्षेत्र" का तात्पर्य है : (ए) डेवलप की गई भूमि के प्लॉटों के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा वाला क्षेत्र शामिल नहीं है। (बी) इमारतदार क्षेत्र के मामले में - फर्शी क्षेत्र और सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयुक्त इमारतदार क्षेत्र। (सी) डेवलप की गई भूमि और इमारतदार क्षेत्र के संयुक्त रूप के मामले में - इकाइयों को आबंटन हेतु उपलब्ध निवल साइट और फर्शी क्षेत्र, जिसमें सामान्य सुविधा के लिए प्रयुक्त साइट क्षेत्र और इमारतदार क्षेत्र शामिल नहीं है। (v) "औद्योगिक कार्यकलाप" से अभिप्रेत है विनिर्माण; बिजली; गैस और जल आपूर्ति; डाक और दूरसंचार; सॉफ्टवेयर पब्लिशिंग, परामर्श और आपूर्ति; डेटा प्रोसेसिंग, डेटाबेस संबंधी गतिविधियां और इलेक्ट्रॉनिक विषय-वस्तु का संवितरण; कंप्यूटर से संबंधित अन्य गतिविधियां; जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज विज्ञान/जीव-विज्ञान, नैसर्गिक विज्ञान और इंजीनियरी पर आधारभूत और अनुप्रयुक्त अनुसंधान व विकास; व्यवसाय एवं प्रबंधन संबंधी परामर्श गतिविधियां; तथा वास्तु कला, इंजीनियरी और अन्य तकनीकी गतिविधियां।		
12.2	औद्योगिक पार्कों में किए जाने वाले एफडीआई को उपर्युक्त पैरा 11 में बताई गई निर्माण विकास परियोजनाओं आदि के लिए प्रयोज्य शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बशर्ते कि औद्योगिक पार्क निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हों : (i) उनमें कम - से - कम 10 इकाइयां शामिल हों और कोई भी एकल इकाई आबंटनीय क्षेत्र का 50 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र अपने पास नहीं रखेगी ; (ii) औद्योगिक गतिविधि के लिए आबंटित क्षेत्र का न्यूनतम प्रतिशत कुल आबंटनीय क्षेत्र के 66 प्रतिशत से कम न हो।		
13	**उपग्रह - स्थापना और परिचालन**		
13.1	उपग्रह-स्थापना और परिचालन, जो कि अंतरिक्ष विभाग/आईएसआरओ के क्षेत्र-विशेष दिशा-निर्देशों के अधीन है।	74 प्रतिशत	सरकार
14	**निजी सुरक्षा एजेंसियां**	49 प्रतिशत	सरकार

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
15	**दूरसंचार सेवाएं** विनिर्दिष्ट सेवाओं के लिए निवेश की उच्चतम सीमा और अन्य शर्तें नीचे दर्शाई गई हैं। तथापि, सभी सेवाओं के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा लाइसेंसिंग और सुरक्षा के संबंध में अधिसूचित अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना आवश्यक है।		
15.1	(i) **दूरसंचार सेवाएं**	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक और 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
15.1.1	**अन्य शर्तें** : (1) **सामान्य शर्तें** : (i) मूलभूत, सेल्युलर, युनिफाइड ऐक्सेस सेवाएं, राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय दूरगामी, वी-सैट, पब्लिक मोड रेडियो ट्रंक्ड सर्विसेज़ (पीएमआरटीएस), ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशंस सर्विसेज़ (जीएमपीसीएस) और अन्य मूल्य वर्द्धित सेवाओं पर यह लागू है। (ii) लाइसेंसधारी कंपनी में किए जाने वाले प्रत्यक्ष व परोक्ष विदेशी निवेश को एफडीआई संबंधी उच्चतम सीमा के प्रयोजन से परिकलित किया जाएगा। विदेशी निवेश के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशक (एफ़आईआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई), विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी), अमरीकी निक्षेपागार रसीदें (एडीआर), वैश्विक निक्षेपागार रसीदें (जीडीआर) तथा विदेशी संस्था द्वारा धारित परिवर्तनीय अधिमानी शेयर शामिल हैं। किसी भी स्थिति में 'भारतीय' शेयर धारिता 26 प्रतिशत से कम न हो। (iii) लाइसेंसधारी कंपनी/भारतीय प्रवर्तकों/निवेश कंपनियों, जिनमें उनकी धारक कंपनियां शामिल हैं, में किए जाने वाले विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को उस स्थिति में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) का अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है जब उसका असर 74 प्रतिशत की समग्र उच्चतम सीमा पर पड़ता हो। निवेश संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदन देते समय एफ़आईपीबी यह ध्यान में रखेगा कि इस प्रकार के निवेश चिंताजनक देशों और/या अमैत्रीपूर्ण संस्थाओं से न आते हों। (iv) निवेश को दिए जाने वाले एफआईपीबी के अनुमोदन में यह शर्त विनिर्दिष्ट की जाएगी कि संबंधित कंपनी लाइसेंस संबंधी करार का पालन करेगी। (v) विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारतीय कानूनों के अधीन होंगे और वे विदेशी देश/देशों के कानूनों के अधीन नहीं होंगे। (2) **सुरक्षा संबंधी शर्तें** : (i) तकनीकी नेटवर्क के परिचालनों का मुख्य प्रभारी अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी एक निवासी भारतीय नागरिक हो। (ii) बुनियादी संरचना/नेटवर्क के आरेख के ब्योरे (नेटवर्क के तकनीकी ब्योरे) आवश्यकता पड़ने पर केवल दूरसंचार उपस्करों के पूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और लाइसेंसधारी कंपनी के संबद्ध/मूल संस्था को दिए जा सकेंगे। यदि इस प्रकार की सूचना किसी और को दी जानी है		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	तो उसके लिए लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग) से मंज़ूरी प्राप्त करनी होगी। (iii) सुरक्षा के कारणवश, लाइसेंसदाता द्वारा इन संस्थाओं के राष्ट्र स्तरीय ट्रैफिक की पहचान की जा सकती है/उनके संबंध में विनिर्देश देकर यह देखा जा सकता है कि उन्हें भारत के बाहर कहीं न ले जाया जाएगा/भेज दिया जाएगा। (iv) लाइसेंसधारी कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समयोचित उपाय करेगी कि अभिदाताओं द्वारा अमुक नेटवर्क के माध्यम से संचरित की गयी सूचना सुरक्षित और संरक्षित है। (v) संदेशों के विधि-सम्मत अवरोधन से जुड़े लाइसेंसधारी कंपनियों के अधिकारी/पदाधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे। (vi) कंपनी के बोर्ड के अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक हों। (vii) यदि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और/या मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) के पदों पर विदेशी नागरिक हों तो उस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा की जांच करना अपेक्षित होगा। इस प्रकार की सुरक्षा संबंधी अनुमति वार्षिक अंतराल पर की जाने की अपेक्षा होगी। ऐसी सुरक्षा जांच के दौरान कोई बात प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला निर्देश लाइसेंसधारी के लिए बाध्यकारी होगा। (viii) कंपनी निम्नलिखित मदों को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी: (ए) अभिदाता से संबंधित कोई लेखांकन सूचना (अंतरराष्ट्रीय रोमिंग/बिलिंग को छोड़कर) (नोट : इससे सांविधिक रूप से अपेक्षित वित्तीय स्वरूप का कोई प्रकटीकरण प्रतिबंधित नहीं होगा); तथा (बी) प्रयोक्ता संबंधी सूचना (रोमिंग के दौरान भारतीय परिचालकों के नेटवर्क का प्रयोग करने वाले विदेशी अभिदाताओं से संबंधित सूचना को छोड़कर)। (ix) कंपनी को अपने अभिदाताओं के संबंध में पता लगाने योग्य स्थिति में पहचान की जानकारी देनी चाहिए। तथापि, विदेशी कंपनियों के रोमिंग अभिदाता को दी जाने वाली सेवा के मामले में भारतीय कंपनी रोमिंग करार के एक अंग के रूप में विदेशी कंपनी से रोमिंग अभिदाताओं की पता लगाने योग्य स्थिति में पहचान की जानकारी प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करे। (x) लाइसेंसदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत की गई किसी अन्य एजेंसी द्वारा अनुरोध किए जाने पर दूरसंचार सेवाप्रदाता कभी भी अपने किसी भी अभिदाता की भौगोलिक अवस्थिति की जानकारी देने की स्थिति में होना चाहिए। (xi) केवल भारत में स्थित अनुमोदित स्थल (स्थलों) के माध्यम से विदेशों में स्थित अनुमोदित स्थल (स्थलों) में ही नेटवर्क का रिमोट ऐक्सेस (आरए) दिया जाएगा। स्थल(स्थलों) का अनुमोदन लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग) द्वारा गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके दिया जाएगा)। (xii) किसी भी स्थिति में आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं और संबद्ध संस्थाओं को दिए गए रिमोट ऐक्सेस के माध्यम से विधिसम्मत अवरोधन सिस्टम (एलआईएस), विधिसम्मत		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	अवरोधन मॉनिटरिंग (एलआईएम), ट्रैफिक संबंधी कॉलों के कंटेंट और अन्य ऐसे किसी संवेदनशील क्षेत्र/आंकड़ों में ऐक्सेस पाकर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जिन्हें समय-समय पर लाइसेंसदाता द्वारा अधिसूचित किया जाता हो। (xiii) लाइसेंसधारी कंपनी को कंटेंट की निगरानी में रिमोट ऐक्सेस सुविधा का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। (xiv) भारत में विनिर्दिष्ट सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसदाता के पास ऐसी एक समुचित तकनीकी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके अंतर्गत निगरानी के प्रयोजनार्थ रिमोट ऐक्सेस का एक मिरर इमेज हो। (xv) भारत में परिचालित नेटवर्क से संबंधित रिमोट ऐक्सेस कार्यो के संपूर्ण ऑडिट ट्रेल की जानकारी का रखरखाव छमाही अवधि के लिए किया जाना चाहिए और उसे लाइसेंसदाता या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी को अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध कराना चाहिए। (xvi) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उपकरण में किसी केंद्रीभूत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन और निगरानी करने की आवश्यक व्यवस्था (हार्डवेयर/साफ्टवेयर) उपलब्ध है। (xvii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को विजिलेंस टेक्निकल मॉनिटरिंग (वीटीएम)/सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों/पदाधिकारियों को अपने सिस्टमों के परिचालनों/ विशेषताओं के संबंध में जानकारी/प्रशिक्षण दिलाना चाहिए। (xviii) लाइसेंसदाता को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी लाइसेंसधारी कंपनी को परिचालन करने से प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा। (xix) आवाज और आंकड़ों की निजता को सुरक्षित रखने की दृष्टि से केंद्रीय गृह मंत्रालय या राज्यों/संघ-शासित क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर ही निगरानी की जाएगी। (xx) ट्रैफिक की निगरानी करने हेतु लाइसेंसधारी कंपनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नेटवर्क के अलावा अपनी खाता-बहियों और अन्य सुविधाओं में ऐक्सेस दिलाएगी। (xxi) सुरक्षा संबंधी उपर्युक्त शर्तें इस परिपत्र के अंतर्गत दूरसंचार सेवा का परिचालन करने वाली सभी लाइसेंसधारी कंपनियों पर लागू होंगी, चाहे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का स्तर कुछ भी हो। (xxii) कॉल सेंटरों, बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ), टेली-मार्केटिंग, टेली-एजुकेशन आदि जैसी सेवा देने वाले अन्य सेवा प्रदाता (ओएसपी) तथा दूरसंचार विभाग के पास ओएसपी के रूप में पंजीकृत हों। ऐसे ओएसपी लाइसेंसप्राप्त दूरसंचार सेवाप्रदाताओं द्वारा प्रदत्त दूरसंचार की बुनियादी संरचना का प्रयोग करके अपनी सेवा परिचालित करते हैं और उनके लिए 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है। चूंकि सभी लाइसेंसप्राप्त दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर सुरक्षा संबंधी ये शर्तें लागू होती हैं, अत: ओएसपी पर सुरक्षा संबंधी उपर्युक्त शर्तें अलग से लागू नहीं होंगी। (3) उपर्युक्त सामान्य शर्तें और सुरक्षा संबंधी शर्तें दूरसंचार सेवा (सेवाएं) प्रदान करने वाली ऐसी कंपनियों पर भी लागू होंगी जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश संबंधी 49 प्रतिशत की उच्चतम सीमा के अधीन हों।		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(4) सभी दूरसंचार सेवाप्रदाता 1 जुलाई और 1 जनवरी को छमाही आधार पर लाइसेंसदाता को उपर्युक्त शर्तों की एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।		
15.2	(ए) गेटवे युक्त आईएसपी (बी) गेटवे उपलब्ध न कराने वाले आईएसपी अर्थात् गेटवे रहित (उपग्रह और समुद्री केबल दोनों) **नोट** : दूरसंचार विभाग के दिनांक 24 अगस्त 2007 के नए दिशा-निर्देशों में 74 प्रतिशत तक के एफडीआई के लिए नए आईएसपी लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। (सी) रेडियो पेजिंग (डी) एंड-टू-एंड बैंड विड्थ	74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक तथा 74 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
15.3	(ए) डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे, डक्ट स्पेस, टॉवर (आईपी श्रेणी I) प्रदान करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (बी) इलेक्ट्रॉनिक मेल (सी) वॉइस मेल **टिप्पणी** : उपर्युक्त सभी गतिविधियों में निवेश इन शर्तों के अधीन है कि ऐसी कंपनियां 5 वर्ष में भारतीय जनता के पक्ष में अपनी इक्विटी का 26 प्रतिशत डाइवेस्ट कर देंगी, यदि ऐसी कंपनियां विश्व के अन्य भागों में सूचीबद्ध हैं।	100 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से अधिक सरकारी मार्ग
16.	**व्यापार**		
16.1	(i) **कैश एंड कैरी थोक व्यापार / थोक व्यापार (एमएसई से सोर्सिंग सहित)**	100 प्रतिशत	स्वचालित
16.1.1	**परिभाषा** : कैश एंड कैरी थोक व्यापार / थोक व्यापार का अभिप्राय है कि खुदरा व्यापारियों, औद्योगिक, वाणिज्यिक, संस्थागत या अन्य व्यावसायिक कारोबारी प्रयोक्ताओं या अन्य थोक व्यापारियों तथा सम्बद्ध सहायक सेवाप्रदाताओं को वस्तुओं / व्यापारिक माल की बिक्री करना। तदनुसार, थोक व्यापार का अर्थ होगा - व्यापार, कारोबार तथा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए बिक्री, न कि वैयक्तिक उपभोग के लिए बिक्री। बिक्री थोक है या नहीं उसका निर्धारण इस बात पर निर्भर करेगा कि बिक्री किन प्रकार के ग्राहकों को की गई है, न कि बिक्री के आकार और परिमाण पर। थोक व्यापार में पुन : बिक्री, प्रसंस्करण तथा उसके बाद बिक्री, एक्स - पोर्ट के साथ बड़ी मात्रा में आयात / एक्स - बॉन्डेड गोदाम कारोबारी बिक्री तथा बी 2 बी ई - कॉमर्स शामिल होंगे।		
16.1.2	**कैश एंड कैरी थोक व्यापार / थोक व्यापार के संबंध में दिशा - निर्देश** (ए) थोक व्यापार करने के लिए, राज्य सरकार / सरकारी निकाय / सरकारी प्राधिकरण / स्थानीय स्वशासन निकाय के संबंधित अधिनियमों / विनियमों / नियमों / आदेशों के अधीन अपेक्षित लाइसेंस / पंजीकरण / परमिट प्राप्त किए जाएंगे।		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(बी) सरकार को की गई बिक्री के मामलों को छोड़कर, थोक व्यापारी द्वारा `कैश एंड कैरी थोक व्यापार / थोक व्यापार' को वैध कारोबारी ग्राहकों के साथ बिक्री तभी माना जाएगा जब थोक व्यापार निम्नलिखित के साथ किया जाए : (I) बिक्री कर / वैट पंजीकरण / सेवा कर / उत्पाद शुल्क पंजीकरण रखनेवाली संस्थाएं; अथवा (II) सरकारी प्राधिकारी / सरकारी निकाय / स्थानीय स्वशासन प्राधिकारी द्वारा दुकान तथा स्थापना अधिनियम के अधीन जारी व्यापार लाइसेंस अर्थात् लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाणपत्र / सदस्यता प्रमाणपत्र / पंजीकरण रखनेवाली संस्थाएं जिससे यह पता चले कि लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाणपत्र / सदस्यता प्रमाणपत्र, जैसा भी मामला हो, रखनेवाली संस्था / व्यक्ति स्वयं ही वाणिज्यिक गतिविधि से जुड़े कारोबार में लगे हों; अथवा (III) सरकारी प्राधिकारियों / स्थानीय स्वशासन निकायों से खुदरा कारोबार करने के लिए परमिट / लाइसेंस आदि (जैसे कि हॉकर्स के लिए तहबजारी तथा उसी प्रकार के लाइसेंस) रखनेवाली संस्थाएं; अथवा (IV) निगमन प्रमाणपत्र रखनेवाली संस्थाएं या अपने स्वयं के उपभोग के लिए सोसाइटी या सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीकरण वाली संस्थाएं। **टिप्पणी : ऐसी किसी संस्था, जिसके साथ थोक व्यापार किया गया है, को 4 शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करनी होगी** : (सी) बिक्री का पूरा रिकार्ड जैसे कि संस्था का नाम, संस्था का स्वरूप, पंजीकरण /लाइसेंस / परमिट आदि संख्या, बिक्री की राशि, आदि जैसे पूरे विवरण के रिकार्ड दैनिक आधार पर रखे जाने चाहिए। (डी) एक ही समूह की कंपनियों के बीच वस्तुओं का थोक व्यापार करने की अनुमति है। लेकिन, समूह के रूप में ली गई कंपनियों का आपसी थोक व्यापार उनके थोक मूल्य उद्यम के कुल टर्न ओवर के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। (ई) लागू विनियमों के अधीन सामान्य कारोबारी प्रथा के रूप में थोक व्यापार किया जा सकता है, जिसमें ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है। (एफ) उपभोक्ता को सीधे ही बिक्री करने के लिए, थोक / कैश एंड कैरी व्यापारी खुदरा दुकानें नहीं खोल सकेगा।		
16.2	**ई - कॉमर्स गतिविधियां**	**100 प्रतिशत**	**स्वचालित**
	ई - कॉमर्स गतिविधियों का अभिप्राय है - ई - कॉमर्स प्लैटफार्म के माध्यम से किसी कंपनी द्वारा खरीदने और बेचने की गतिविधि। ऐसी कंपनियां केवल बी 2 बी ई - कॉमर्स करेंगी न कि खुदरा व्यापार। अन्य बातों के साथ - साथ, इसका यह अभिप्राय होगा कि देशी व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी वर्तमान प्रतिबंध ई - कॉमर्स पर भी लागू होंगे।		
16.3	ऐसी मदों की **टेस्ट मार्केटिंग** जिसके विनिर्माण के लिए कंपनी के पास अनुमोदन है, बशर्ते कि ऐसी टेस्ट	100 प्रतिशत	सरकार

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	मार्केटिंग सुविधा 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी, तथा विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए निवेश टेस्ट मार्केटिंग के साथ - साथ ही प्रारंभ हो।		
16.4 25	**सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार**	100 प्रतिशत	सरकार
	(1) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश का उद्देश्य है - उत्पादन तथा विपणन में निवेश आकर्षित करना, उपभोक्ता के लिए ऐसी वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाना, भारत से वस्तुओं की बढ़ी सोर्सिंग को प्रोत्साहन देना, तथा वैश्विक डिजाइनों, प्रौद्योगिकियों और प्रबंधन प्रथाओं तक पहुंच के माध्यम से भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना। (2) सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा : (ए) बेचे जानेवाले उत्पाद केवल 'एक ब्रैंड' (सिंगल ब्रैंड) के होंगे। (बी) उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेचे जाने चाहिए अर्थात् भारत से इतर एक या अधिक देशों में उत्पाद एक ही ब्रैंड के अधीन बेचे जाने चाहिए। (सी) `सिंगल ब्रैंड' उत्पाद के खुदरा व्यापार में वही उत्पाद शामिल होंगे जिनको विनिर्माण के दौरान ब्रैंडेड किया जाता है। (डी) केवल एक अनिवासी संस्था को, चाहे ब्रैंड का स्वामी हो अथवा अन्यथा, विशिष्ट ब्रैंड के संबंध में सिंगल ब्रांड उत्पाद खुदरा व्यापार के लिए ब्रैंड के स्वामी के साथ किए गए कानूनी तौर पर मान्य करार के अधीन, विशिष्ट ब्रैंड के लिए देश में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। इस शर्त के अनुपालन की जिम्मेदारी भारत में सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार करने वाली भारतीय संस्था की होगी। निवेश करनेवाली संस्था इस आशय का प्रमाण अनुमोदन प्राप्त करते समय प्रस्तुत करेगी, जिसमें उपर्युक्त शर्त के अनुपालन को विशिष्ट रूप दिखलाने वाले लाइसेंस / फ्रैन्चाइज़/उप लाइसेंस करार की प्रति शामिल होगी। (ई) 51 प्रतिशत से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी प्रस्तावों के लिए, खरीदी गयी वस्तुओं के मूल्य का 30 प्रतिशत सोर्सिंग, भारत से किया जाएगा, जिसके लिए सभी क्षेत्रों में एमएसएमई, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों, कारीगरों तथा शिल्पकारों को वरीयता दी जाएगी। देशी सोर्सिंग की मात्रा का कंपनी द्वारा स्व - प्रमाणन किया जाएगा, जिसकी सांविधिक लेखा - परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खातों से, जो कंपनी को रखने होंगे, जांच की जाएगी। खरीद की यह अपेक्षा पहले 5 वर्ष में खरीदी गयी वस्तुओं के औसत मूल्य पर की जाएगी; खरीदे गए माल का कुल मूल्य उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगा जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया जाएगा। सोर्सिंग की अपेक्षा के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, संबंधित संस्था भारत में निगमित वह कंपनी होगी, जिसने सिंगल		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार के प्रयोजन के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया हो। (एफ) ई - कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार सिंगल ब्रैंड उत्पाद खुदरा व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को अनुमत नहीं होगा। (3) `सिंगल ब्रैंड' उत्पादों के खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारत सरकार से अनुमति प्राप्त करने के आवेदन औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में एसआईए को किए जाएंगे। आवेदन में उन उत्पादों / उत्पाद की श्रेणियों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा जिनका 'सिंगल ब्रांड' के अधीन विक्रय प्रस्तावित है। `सिंगल ब्रैंड' के अधीन विक्रय किए जानेवाले किसी उत्पाद / उत्पाद श्रेणियों में कुछ भी जोड़ने के लिए सरकार का नया अनुमोदन प्राप्त करना होगा। (4) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा - निर्देशों को पूरा करते हैं।		
16.5 [26]	**मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार**	51 प्रतिशत	सरकार
	(1) सभी उत्पादों में मल्टी ब्रैंड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी : (i) फलों, सब्जियों, फूलों, अनाजों, दालों, ताजे पोल्ट्री, मत्स्यपालन तथा मांस उत्पाद सहित ताजे कृषि उत्पाद ब्रैंडरहित हो सकते हैं। (ii) विदेशी निवेशक द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की न्यूनतम राशि 100 मिलियन अमरीकी डालर होगी। (iii) कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कम - से - कम 50 प्रतिशत राशि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहले खेप के 3 वर्ष के भीतर 'बैक - एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर' में की जाएगी, जहां बैक - एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में सभी गतिविधियों पर पूंजी व्यय शामिल होगा। लेकिन इसमें फ्रंट एंड यूनिटों पर व्यय शामिल नहीं होगा; उदाहरण के लिए, बैक - एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर में प्रसंस्करण, विनिर्माण, वितरण, डिजाइन सुधार, गुणवत्ता नियंत्रण, पैकेजिंग, लॉजेस्टिक्स, भंडारण, गोदाम, कृषि बाजार उत्पाद, इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि में किए गए निवेश शामिल होंगे। भूमि की लागत तथा किराए पर व्यय की गणना, यदि कोई हो, को बैक - एन्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रयोजन के लिए शामिल नहीं किया जाएगा। (iv) खरीद गये विनिर्मित / प्रसंस्कृत उत्पादों के मूल्य का कम - से - कम 30 प्रतिशत भारतीय "लघु उद्योगों" से सोर्स किया जाएगा जिनका संयत्र तथा मशीनरी में कुल निवेश 1.00 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक न हो। यह मूल्यन संस्थापन के समय के मूल्य का है, जिसमें मूल्यह्रास का प्रावधान नहीं है। इसके अतिरिक्त, यदि किसी भी समय यह मूल्य बढ़ जाता है, तो इस प्रयोजन के लिए उद्योग "लघु उद्योग" के लिए पात्र नहीं होगा। खरीद की मात्रा की अपेक्षा, पहले, 5 वर्ष में खरीदी गयी विनिर्मित/प्रसंस्कृत उत्पाद के कुल मूल्य औसत पर की जाएगी; यह उस वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होगी जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की पहली खेप प्राप्त हुई है। उसके बाद, इसे वार्षिक आधार पर पूरा किया		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	जाएगा। (v) कंपनी द्वारा ऊपर क्रम संख्या (ii), (iii) और (iv) की शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन किया जाएगा, जिसकी जब भी आवश्यकता होगी, जांच की जाएगी। तदनुसार, निवेशक सांविधिक लेखा - परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित खाते रखेंगे। (vi) खुदरा बिक्री केंद्र केवल उन्हीं नगरों में स्थापित किए जाएंगे जिनकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है और इसमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल / शहरी स्थानों के 10 किलोमीटर में आस-पास के क्षेत्र भी शामिल होंगे; खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे। जिन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर नहीं है, खुदरा बिक्री केंद्र उनकी पसंद के नगरों में स्थापित किए जा सकते हैं जो कि अधिमानत : सबसे बड़ा नगर हो सकता है और उसमें ऐसे नगरों के म्युनिसिपल / शहरी क्षेत्रों से 10 किलोमीटर के क्षेत्र शामिल होंगे। खुदरा स्थल संबंधित शहरों के मास्टर/जोनल प्लान के अनुसार आने वाले क्षेत्रों तक सीमित होंगे तथा परिवहन की कनेक्टिविटी और पार्किंग जैसी अपेक्षित सुविधाओं के लिए प्रावधान किए जाएंगे। (vii) कृषि उत्पादों की खरीद करने का पहला अधिकार सरकार का होगा। (viii) उपर्युक्त नीति केवल योग्यकारक (अनेब्लिंग) नीति है तथा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारें / केंद्र शासित प्रदेश अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसलिए, खुदरा बिक्री केंद्र उन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किए जा सकते हैं जिन्होंने इस नीति के अंतर्गत एमबीआरटी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने की सहमति दी है, या भविष्य में सहमति देंगे। जिन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी सहमति दी है, उनके नाम नीचे दिए गए हैं। 1. आंध्र प्रदेश 2. असम 3. दिल्ली 4. हरियाणा 5. जम्मू और कश्मीर 6. महाराष्ट्र 7. मणिपुर 8. राजस्थान 9. उत्तराखंड 10. दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली (संघ शासित क्षेत्र) इस नीति के अधीन खुदरा केंद्रों की स्थापना के लिए सहमति देने के इच्छुक राज्य/संघ शासित क्षेत्र अपनी सहमति औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग के माध्यम से भारत सरकार को दे सकते हैं और तदनुसार उनके नाम शामिल किए जाएंगे। खुदरा बिक्री केंद्र की स्थापना दुकान तथा स्थापना अधिनियम आदि जैसे राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के कानूनों / विनियमों के अनुपालन में की जाएगी। (ix) ई - कॉमर्स के माध्यम से, किसी भी रूप में, खुदरा व्यापार की अनुमति बहु-ब्रैंड उत्पाद खुदरा		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	व्यापार से जुड़ी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को नहीं होगी। (x) आवेदनों पर कार्रवाई औद्योगिक नीति तथा प्रवर्तन विभाग में की जाएगी, जिसमें यह निर्धारण किया जाएगा कि सरकार से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एफआईपीबी द्वारा विचार करने से पहले क्या प्रस्तावित निवेश अधिसूचित दिशा - निर्देशों को पूरा करते हैं। **<u>वित्तीय सेवाएं</u>** नीचे उल्लिखित वित्तीय सेवाओं के अतिरिक्त अन्य वित्तीय सेवाओं में विदेशी निवेश के लिए सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी :		
17.	**परिसंपत्तियों (आस्ति) पुनर्गठन कंपनियां (एआरसी)**		
17.1	आस्ति पुनर्गठन कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से है जो वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पंजीकृत हो।	एआरसी की प्रदत्त पूंजी का 49 प्रतिशत	सरकार
17.2	**अन्य शर्तें :**		
	(i) विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को छोड़कर भारत के बाहर रहनेवाले निवासी व्यक्ति रिज़र्व बैंक में पंजीकृत आस्ति पुनर्गठन कंपनियों की पूंजी में केवल सरकारी माध्यम के तहत ही निवेश कर सकते हैं। ऐसे निवेश पूरी तरह से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के रूप में होने चाहिए। एआरसी की शेयर पूंजी में विदेशी संस्थागत निवेशकों को निवेश करने की अनुमति नहीं है। (ii) तथापि, सेबी में पंजीकृत एफआईआई रिज़र्व बैंक में पंजीकृत एआरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में निवेश कर सकते हैं। एफआईआई एसआर योजना की प्रत्येक श्रृंखला में 49 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं, बशर्ते किसी एक एफआईआई द्वारा एसआर की किसी एक श्रृंखला में किया गया निवेश उस इश्यू के 10 प्रतिशत से अधिक न होने पाए। (iii) किसी एक व्यक्ति द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक किया गया निवेश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी एक्ट) की धारा 3 (3) (एफ) के प्रावधानों के अधीन होगा।		
18.	**बैंकिंग - निजी क्षेत्र**		
18.1	बैंकिंग - निजी क्षेत्र	एफआईआई द्वारा किए गए निवेश सहित 74 प्रतिशत	49 प्रतिशत तक स्वचालित 49 प्रतिशत से ज्यादा और 7 4 प्रतिशत तक सरकारी मार्ग
18.2	**अन्य शर्तें :** (1) 74 प्रतिशत की इस सीमा में शामिल होंगे - पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	तहत एफआईआई व एनआरआई द्वारा किए गए निवेश, पूर्ववर्ती ओसीबी द्वारा 16 सितंबर 2003 से पहले अर्जित शेयर और इसमें आईपीओ, निजी तौर पर आबंटित शेयर, जीडीआर / एडीआर सहित मौजूदा शेयरधारकों से अर्जित शेयर शामिल रहेंगे। (2) किसी निजी बैंक में सभी स्रोतों से होनेवाला विदेशी निवेश उस बैंक की प्रदत्त पूंजी के अधिकतम 74 प्रतिशत तक ही अनुमत होगा। किसी विदेशी बैंक के पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था को छोड़कर अन्य निजी बैंकों में प्रदत्त पूंजी का 26 प्रतिशत हिस्सा सदैव निवासियों के पास रहेगा। (3) ऊपर उल्लिखित शर्तें निजी क्षेत्र के मौजूदा बैंकों में किए जानेवाले सभी निवेशों पर भी लागू होंगी। (4) एफआईआई और एनआरआई द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत किए जानेवाले निवेश की अनुमत सीमा निम्नानुसार होगी : (i) एफआईआई के मामले में अब तक की परंपरा के अनुसार किसी एक एफआईआई की धारिता कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीमित है और सभी एफआईआई के लिए समग्र सीमा प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। इस सीमा को संबंधित बैंक द्वारा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है बशर्ते उस बैंक को अपने निदेशक मंडल से इस आशय का संकल्प पारित करवाना होगा और उसे बाद में अपनी आम सभा में भी इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित करवाना होगा।		
	(ए) इस तरह से एफआईआई द्वारा किए जानेवाले निवेश की सीमा कुल प्रदत्त पूंजी के 49 प्रतिशत के भीतर बनी रहेगी। (बी) एनआरआई के मामले में अब तक की परंपरा के अनुसार निजी धारिता प्रत्यावर्तन और गैर - प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत तक सीमित है और समग्र सीमा प्रत्यावर्तन तथा गैर - प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। तथापि, यदि उक्त बैंकिंग कंपनी अपनी आम सभा में इस आशय का एक विशेष संकल्प पारित करवा लेती है तो उसमें एनआरआई धारिता को प्रत्यावर्तन और गैर - प्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर कुल प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक रहने की अनुमति दी जा सकती है। (सी) बीमा क्षेत्र में संयुक्त उपक्रम / सहायक संस्था रखनेवाले निजी बैंकों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक को संबोधित किए जाने चाहिए जो उन पर बीमा विनियामक और विकास प्राधिकारी (इरडा) के परामर्श से विचार करेगा। इससे यह सुनिश्चित करने में सुविधा होगी कि बीमा क्षेत्र में विदेशी शेयरधारिता के लिए लागू 26 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन नहीं होने पाता। (डी) ऊपर पैरा 3.6.2 में दिए गए अनुसार एफडीआई के अंतर्गत किसी निवासी से अनिवासी को शेयर अंतरित करने के लिए रिज़र्व बैंक और सरकार का अनुमोदन लेने की अपेक्षा बनी रहेगी। (ई) इन मामलों के संबंध में रिज़र्व बैंक और सेबी, कंपनी मामले निदेशालय एवं इरडा जैसी संस्थाओं द्वारा समय - समय पर निर्धारित की गई नीतियां एवं कार्यविधियां लागू रहेंगी। (एफ) यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा के द्वारा किया गया अर्जन इतना हो जाता है कि उससे उस व्यक्ति को उस बैंक की प्रदत्त पूंजी के 5 प्रतिशत या उससे अधिक का स्वामित्व अथवा नियंत्रण हासिल हो जाए तो ऐसे मामले में निजी बैंक के शेयरों की खरीद अथवा अन्यथा द्वारा अर्जन करने से संबंधित रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश अनिवासी निवेशकों पर भी लागू होंगे। (ii) विदेशी बैंकों द्वारा सहायक संस्था की स्थापना		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(ए) विदेशी बैंकों को शाखा अथवा सहायक संस्था, दोनों में से किसी एक को ही रखने की अनुमति दी जाएगी। (बी) ऐसे विदेशी बैंक जो अपने देश में बैंकिंग पर्यवेक्षण प्राधिकारी द्वारा विनियमित हैं और रिज़र्व बैंक की लाइसेंस प्रदान करने की शर्तों का अनुपालन करते है, उन्हें 100 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी को धारित करने की अनुमति दी जाएगी ताकि वे भारत में पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित कर सकें। (सी) एक विदेशी बैंक भारत में तीन चैनलों, अर्थात् (i) शाखाएं (ii) एक पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था और (iii) किसी निजी बैंक में अधिकतम 74 प्रतिशत समग्र विदेशी निवेश सहित एक सहायक संस्था, में से किसी एक चैनल के माध्यम से ही परिचालन कर सकता है। (डी) किसी विदेशी बैंक को अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित कर अथवा नए बैंकिंग लाइसेंस के द्वारा पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। किसी विदेशी बैंक को निजी क्षेत्र के किसी मौजूदा बैंक के शेयरों का अर्जन कर एक सहायक संस्था स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते ऊपर पैरा (i)(ख) में दी गई शर्त के अनुरूप निजी क्षेत्र के संबंधित बैंक की कम से कम 26 प्रतिशत प्रदत्त पूंजी हमेशा निवासियों की धारिता में रहे। (ई) किसी विदेशी बैंक की सहायक संस्था को लाइसेंस प्राप्त करने की सभी अपेक्षाओं के साथ ही निजी क्षेत्र के नए बैंक के लिए स्थूल रूप से निर्धारित शर्तों का अनुपालन करना होगा। (एफ) किसी विदेशी बैंक की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्था की स्थापना से संबंधित दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे। (जी) किसी विदेशी बैंक द्वारा भारत में अपनी सहायक संस्था की स्थापना करने अथवा अपनी मौजूदा शाखाओं को सहायक संस्था के रूप में परिवर्तित करने से संबंधित सभी आवेदन रिज़र्व बैंक को करने होंगे। (iii) इस समय बैंकिंग कंपनियों के मामले में मताधिकार दस प्रतिशत तक सीमित है और इसे संभावित निवेशकों को नोट कर लेना चाहिए। इसमें कोई भी परिवर्तन अंतिम नीतिगत निर्णय किए जाने और संसद का उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है।		
19.	**बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र**		
19.1	बैंकिंग - सार्वजनिक क्षेत्र बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/80 के अधीन। यह सीलिंग (20 प्रतिशत) भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों पर भी लागू है।	20 प्रतिशत (एफडीआई और पोर्टफोलियो निवेश)	सरकार
20.	**पण्य बाजार (कमोडिटी एक्सचेंज)**		
20.1	1. पण्यों की फ्यूचर्स ट्रेडिंग अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत विनियमित किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही कमोडिटी एक्सचेंज पण्यों के फ्यूचर्स बाजार की बुनियादी कंपनियां हैं। वैश्विक स्तर पर स्वीकार्य सर्वोत्तम पद्धतियों, आधुनिक प्रबंधन कौशल और नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया कि पण्य बाजारों में विदेशी		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	निवेश की अनुमति प्रदान की जाए। 2. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, (i) "पण्य बाजार" अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 , समय - समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के तहत मान्यता प्राप्त एक ऐसी संस्था है जो पण्यों के वायदा संविदा कारोबार के लिए एक एक्सचेंज प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है। (ii) "मान्यता प्राप्त संस्था" से अभिप्राय एक ऐसी संस्था से है जिसे अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 की धारा 6 के तहत केंद्र सरकार द्वारा फिलहाल मान्यता प्रदान की गई है। (iii) "संस्था" से अभिप्राय व्यक्तियों के ऐसे निकाय, निगमित अथवा अनिगमित, से है जो किसी वस्तु अथवा कमोडिटी डेरिवेटिव की बिक्री या खरीद के कारोबार को विनियमित और नियंत्रित करने के प्रयोजन से गठित किया गया हो। (iv) "वायदा संविदा" से अभिप्राय ऐसी संविदा से है जो वस्तुओं की सुपुर्दगी के लिए है और जो एक तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है। (v) "कमोडिटी डेरिवेटिव" से अभिप्राय है - o वस्तुओं की सुपुर्दगी की एक संविदा जो तत्काल सुपुर्दगी संविदा नहीं है; अथवा o मूल्यों में अंतर की एक ऐसी संविदा जिसका मूल्यन कीमतों अथवा ऐसी अन्तर्निहित वस्तुओं या गतिविधियों, सेवाओं, अधिकारों, हितों और घटनाक्रमों के मूल्य सूचकांकों पर आधारित हो जो केंद्र सरकार द्वारा वायदा बाजार आयोग के परामर्श के बाद अधिसूचित किया जाता है लेकिन इसमें प्रतिभूतियां शामिल नहीं होंगी।		
20.2	**पण्य बाजार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए नीति**	49 प्रतिशत (एफडीआई और एफआईआई) [पंजीकृत एफआईआई द्वारा पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस) के तहत निवेश की सीमा 23 प्रतिशत और एफडीआई योजना के तहत निवेश की सीमा 26 प्रतिशत]	सरकार (एफडीआई के लिए)
20.3	**अन्य शर्तें :** (i) एफआईआई द्वारा की जानेवाली खरीद को द्वितीयक बाजार तक ही सीमित		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	रखा जाए, और (ii) कोई भी अनिवासी निवेशक / संस्था, मिलकर कार्य करनेवाले व्यक्तियों सहित, इन कंपनियों की इक्विटी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित नहीं कर सकते।		
21.	**ऋण आसूचना कंपनियां (सीआईसी)**		
21.1	**ऋण आसूचना कंपनियां**	49 प्रतिशत (एफडीआई और एफआईआई)	सरकार
21.2	अन्य शर्तें : (1) ऋण आसूचना कंपनियों में विदेशी निवेश प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 के अधीन होगा। (2) सरकारी मार्ग के तहत विदेशी निवेश की अनुमति है बशर्ते रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामी मंजूरी प्रदान की गई हो। (3) किसी पंजीकृत एफआईआई को विदेशी निवेश के लिए निर्धारित 49 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर पोर्टफोलियो निवेश योजना के तहत स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी सीआईसी में केवल 24 प्रतिशत तक ही निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। (4) इस तरह के एफआईआई निवेश की अनुमति दी जाएगी बशर्ते, (ए) किसी भी एक संस्था की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शेयरधारिता 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो। (बी) किसी भी अधिग्रहण के 1 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी सूचना अधिदेशात्मक रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जाएगी; और (सी) सीआईसी में निवेश करने वाले एफआईआई, अपनी शेयरधारिता के आधार पर उसके निदेशक बोर्ड में प्रधिनिधित्व की मांग नहीं कर सकेंगे।		
22	**प्रतिभूति बाज़ार में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी**		
22.1	सेबी के विनियमन के अनुपालन में प्रतिभूति बाज़ारों की इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियां यथा, शेयर बाज़ार, निक्षेपागार ओर समाशोधन निगम।	49 प्रतिशत (एफडीआई एवं एफआईआई) [चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा तक एफडीआई और 23 प्रतिशत सीमा तक एफआईआई]	सरकार (एफडीआई के लिए)
22.2	**अन्य शर्तें**		
22.2.1	एफआईआई केवल द्वितीयक बाज़ारों में खरीद के माध्यम से ही निवेश कर सकते हैं		
23	**बीमा**		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
23.1	बीमा	26 प्रतिशत	स्वचालित
23.2	अन्य शर्तें		
	1) बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार, बीमा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति स्वचालित मार्ग के अंतर्गत दी गई है। 2) बशर्ते, एफडीआई लानेवाली कंपनियों ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण से बीमा गतिविधियों के लिए आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किया हो।		
24	गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)		
24.1	एनबीएफसी में स्वचालित मार्ग के तहत केवल निम्नलिखित गतिविधियों के लिए ही विदेशी निवेश की अनुमति होगी: (i) व्यापार बैकिंग (ii) हामीदारी अंकन (iii) संविभाग प्रबंध सेवाएं (iv)निवेश परामर्शदात्री सेवाएं (v) वित्तीय परामर्श (vi) शेयर दलाली (vii) आस्ति प्रबंधन (viii) जोखिम पूंजी (वेंचर केपिटल) (ix) अभिरक्षक सेवाएं (x) फैक्टरिंग (xi) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (xii) लीजिंग तथा वित्त (xiii) आवास वित्त (xiv) विदेशी मुद्रा दलाली (xv) क्रेडिट कार्ड कारोबार (xvi) मुद्रा परिवर्तन कारोबार (xvii) सूक्ष्म ऋण (माइक्रो क्रेडिट) (xviii) ग्रामीण ऋण	100 प्रतिशत	स्वचालित
24.2	अन्य शर्तें: (1) निवेश निम्नलिखित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों के अधीन होगा:		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	(i) 51 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 0.5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे (ii) 51 प्रतिशत से अधिक परंतु 75 प्रतिशत तक की विदेशी पूंजी के लिए 5 मिलियन यूएस डालर प्रारंभिक रूप में लाए जाने होंगे। (iii) 75 प्रतिशत से अधिक की विदेशी पूंजी के लिए 50 मिलियन यूएस डालर, जिसमें से 7.5 मिलियन यूएस डालर को प्रारंभिक रूप में लाया जाना होगा और शेष को 24 महीनों के भीतर लाया जाएगा। (iv)[27] एनबीएफसी जिनमें (i)75 प्रतिशत से अधिक तथा 100 प्रतिशत तक का विदेशी निवेश है तथा (ii) जिनका न्यूनतम पूंजीकरण 50 मिलियन यूएस डालर है, वे बिना अतिरिक्त पूंजी लाए और कार्यरत अनुषंगी संस्थाओं की संख्या पर बिना किसी प्रतिबंध के विशिष्ट एनबीएफसी गतिविधियों के लिए उप अनुषंगी संस्थाएं स्थापित कर सकती हैं। तदनुसार, समेकित एफडीआई नीति पर डीआईपीपी द्वारा 10 अप्रैल 2012 को जारी परिपत्र 1 के पैरा 3.10.4.1 में अधिदेशित न्यूनतम पूंजीकरण की शर्त निचले स्तर की अनुषंगी संस्थाओं पर लागू नहीं होगी। (v) संयुक्त उद्यम के रूप में परिचालित होनेवाली एनबीएफसी भी, जिनमें विदेशी निवेश 75 प्रतिशत या उससे कम हैं, अन्य एनबीएफसी गतिविधियां प्रारंभ करने हेतु अनुषंगी संस्थाएं गठित कर सकती हैं, बशर्ते अनुषंगी संस्थाएं उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) तथा निम्नलिखित (vi) में वर्णित न्यूनतम पूंजीकरण मानदंडों को पूरा करती हों। (vi) गैर निधि आधारित गतिविधियां: विदेशी निवेश के स्तर पर विचार किए बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन, अनुमति प्राप्त सभी गैर निधि आधारित एनबीएफसी को 0.5 मिलियन यूएस डॉलर प्रारंभिक रूप में लाने होंगे: ऐसी किसी कंपनी को किसी अन्य गतिविधि के लिए कोई अनुषंगी संस्थाएं गठित करने और किसी एनबीएफसी होल्डिंग/ परिचालन कंपनी की इक्विटी में भागीदारी करने की अनुमति नहीं होगी। **टिप्पणी:** निम्नलिखित गतिविधियों को गैर निधि आधारित गतिविधियों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा: (क) निवेश परामर्शदात्री सेवाएं (ख)वित्तीय परामर्श (ग) विदेशी मुद्रा दलाली (घ) मुद्रा परिवर्तन कारोबार (ङ) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (vii) ये सभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे। **टिप्पणी :** (i) क्रेडिट कार्ड कारोबार में विविध भुगतान उत्पादों यथा - क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड,		

क्र.सं.	क्षेत्र / गतिविधि	एफडीआई कैप / ईक्विटी का प्रतिशत	प्रवेश मार्ग
	डेबिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मूल्य वर्धित कार्ड आदि का निर्गमन, बिक्री, विपणन एवं अभिकल्पना शामिल है। (ii) लीज़िंग तथा वित्त में सिर्फ वित्तीय लीज़ को ही शामिल किया जाएगा, परिचालन लीज़ इसमें शामिल नहीं होंगी। (2) एनबीएफसी को उनसे संबंधित विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों, यथा लागू, का अनुपालन करना होगा।		
25	**फार्मास्यूटिकल्स**		
25.1	नई (ग्रीनफील्ड)	100 प्रतिशत	स्वचालित
25.2	विद्यमान कंपनियां	100 प्रतिशत	सरकार
26	**पावर एक्सचेंज**		
26.1	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (पावर मार्केट) विनियमन, 2010 के अधीन पंजीकृत पावर एक्सचेंज	49 प्रतिशत (एफडीआई एवं एफआईआई)	सरकार (एफडीआई के लिए)
26.2	**अन्य शर्तें:**		
	(i) ऐसे विदेशी निवेश एफडीआई के लिए चुकता पूंजी की 26 प्रतिशत सीमा और एफआईआई के लिए 23 प्रतिशत सीमा के अधीन होंगे। (ii) एफआईआई निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के तहत अनुमति होगी तथा एफडीआई निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत अनुमति लेनी होगी; (iii) एफआईआई खरीद केवल द्वितीयक बाज़ार तक ही सीमित होगी। (iv) कोई भी अनिवासी निवेशक/संस्था जिनमें मिलकर कार्य कर रहे व्यक्ति भी शामिल हैं, इन कंपनियों की 5 प्रतिशत से अधिक इक्विटी धारित नहीं कर सकेंगे; और (v) विदेशी निवेश सेबी के विनियमनों, अन्य लागू कानूनों/विनियमनों, सुरक्षा एवं अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन होंगे।		

पाद-टिप्पणी : उपर्युक्त सभी क्षेत्र / कार्यकलाप भारत सरकार द्वारा समय -समय पर जारी संबंधित प्रेस नोटों / प्रकाशनी द्वारा नियंत्रित हैं ।

संलग्नक -2

(भाग-I,खंड-I, पैरा-7(सी)(iii))

(ए) **भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी विदेशी निवेश नीति के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सभी कार्यकलापों/ क्षेत्रों हेतु भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है।**

(बी) **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए प्रतिबंधित (निषिद्ध) क्षेत्र**

ए. खुदरा व्यापार (एकल ब्रांड उत्पाद के खुदरा व्यापार को छोड़कर)

बी. सरकारी / निजी लॉटरी, ऑनलाइन लॉटरी आदि सहित लॉटरी कारोबार

सी. कैसिनो सहित जुआ और सट्टेबाजी

डी चिटफंड का कारोबार

ई. निधि कंपनी

एफ. अंतरणीय विकास स्वत्वाधिकारों (टीडीआर) के व्यापार में।

जी. स्थावर संपदा कारोबार अथवा फॉर्म हाउसों का निर्माण

एच. तंबाकू अथवा तंबाकू जैसे पदार्थ के सिगार, चिरूट, सिगरोल तथा सिगरेट का निर्माण

आई. निजी क्षेत्रगत निवेश के लिए न खोले गए कार्यकलाप/क्षेत्र अर्थात परमाणु ऊर्जा और रेलवे ट्रांसपोर्ट (मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को छोड़कर)

टिप्पणी: किसी भी प्रकार के विदेशी निवेश के अलावा फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, प्रबंध संविदा के लिए लाइसेंसिंग सहित किसी भी रूप में विदेशी प्रौद्योगिकी का सहयोग लॉटरी कारोबार तथा जुआ और सट्टेबाजी कार्यकलापों के लिए भी निषिद्ध है।

संलग्नक-3

(भाग-1, खंड-1, पैरा 8(बी))

भारत में निवासी व्यक्ति से भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को और भारत के बाहर निवासी व्यक्ति से भारत में निवासी व्यक्ति को बिक्री द्वारा शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर अंतरित करने की शर्तें

1.1 सभी क्षेत्रों में किसी भारतीय कंपनियों के शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के संबंध में बिक्री के द्वारा अंतरण से संबंधित मूल्यांकन, प्रलेखीकरण, भुगतान/ प्राप्ति और प्रेषण संबंधी चिन्ताओं पर ध्यान देने के लिए लेनदेन में शामिल पार्टियां निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगी।

1.2 **लेनदेन में शामिल पार्टियां** : अपनी बही में स्वामित्व के अंतरण की रिकार्डिंग के लिए लेनदेन में शामिल पार्टियां (ए) विक्रेता (निवासी/ अनिवासी), (बी) क्रेता (निवासी/ अनिवासी) (सी) विक्रेता और/ अथवा क्रेता का विधिवत प्राधिकृत एजेंट, (डी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक की शाखा और (ई) भारतीय कंपनी हैं।

2. पार्टियों के दायित्व / की बाध्यताएं

लेनदेन में शामिल सभी पार्टियों का यह दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि फेमा के तहत संबंधित विनियमों का अनुपालन किया जाता है तथा शेयरों के अंतरण के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा यथानिर्धारित संबंधित अलग-अलग सीमाओं/ क्षेत्रीय सीमाओं/ विदेशी ईक्विटी सहभागिता सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। लेनदेनों का निपटान लागू करों, यदि कोई है, के भुगतान के बाद किया जायेगा ।

3. भुगतान और प्रेषण/ बिक्रीगत आय को जमा करने की प्रणाली

3.1 भारत से बाहर के निवासी द्वारा शेयरों की खरीद से प्राप्त बिक्री आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत भेजा जाएगा। यदि क्रेता अनिवासी भारतीय है, तो भुगतान उसके अनिवासी विदेशी खाता/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) /एस्क्रो खाता में नामे डालकर किया जाए। हालाँलि, अनिवासी भारतीय द्वारा अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अधिगृहीत शेयरों के मामले में आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत भेजा जाएगा अथवा अनिवासी विदेशी खाते/ विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक)/अनिवासी रुपया/ एस्क्रो खाते की निधियों से चुकाया जाएगा।

3.2 भारत से बाहर के निवासी द्वारा बेचे गए शेयरों की बिक्रीगत आय (करों को घटाकर) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जाए। विदेशी संस्थागत निदेशक के मामले में बिक्रीगत आय को उसके विशेष अनिवासी रुपया खाता में जमा किया जाए। अनिवासी भारतीय के मामले में, यदि बेचे गए शेयरों को प्रत्यावर्तन आधार पर रखा गया था, तो बिक्रीगत आय (करों को घटाकर) को अनिवासी विदेशी खाता/

विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) खाते में जमा किया जाए तथा यदि बेचे गए शेयर अप्रत्यावर्तनीय आधार पर रखे गए थे, तो बिक्रीगत आय कर का भुगतान करके, अनिवासी सामान्य खाते में जमा की जाए।

3.3 विदेशी (समुद्रपारीय) कंपनी निकायों द्वारा बेचे गए शेयरों की बिक्रीगत आय (करों को घटाकर) को सीधे भारत से बाहर भेजा जा सकता है यदि शेयरों को प्रत्यावर्तन के आधार पर रखा गया था और यदि बेचे गए शेयर अप्रत्यावर्तनीय आधार पर रखे गए थे तो बिक्रीगत आय, कर का भुगतान करके, अनिवासी सामान्य खाते में जमा की जाए केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ रिज़र्व बैंक ने ओसीबी के खाते पर रोक लगायी हो ।

4. प्रलेखीकरण

संलग्न फार्म एफसी-टीआरएस (चार प्रतियों में) में घोषणा पत्र प्राप्त करने के अलावा, प्राधिकृत व्यापारी शाखा निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त करने और उसका रिकार्ड रखने की व्यवस्था करे :

4.1 भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री

(i) अंतरण के ब्योरे अर्थात् अंतरण किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निवेशिती कंपनी का नाम, जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हैं तथा मूल्य, जिस पर शेयर अंतरित किए जा रहे हैं को दर्शाते हुए विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र। औपचारिक क्रय करार न होने की स्थिति में, इस आशय के एक दूसरे को भेजे गए पत्रों को रिकार्ड में रखा जाए।

(ii) उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंटों द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के होने की स्थिति में एजेंट को शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए विक्रेता/ क्रेता को प्राधिकृत करने के लिए निष्पादित किया गया पावर ऑफ एटर्नी (दस्तावेज)।

(iii) श्रेणीवार निवासी और अनिवासी (अर्थात् अनिवासी भारतीय/ विदेशी (समुद्रापरीय)कंपनी निकाय/ विदेशी राष्ट्रिक/ निगमित अनिवासी कंपनियां/ विदेशी संस्थागत निवेशक) की ईक्विटी सहभागिता और विक्रेता/ क्रेता अथवा कंपनी जहां सेक्टोरियल कैप/ सीमा निर्धारित की गई है, द्वारा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा प्रदत्त पूंजी के प्रतिशत को दर्शाते हुए भारत के बाहर के किसी निवासी द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी की शेयर धारिता का स्वरूप।

(iv) सनदी लेखाकार से प्राप्त शेयरों के उचित मूल्य को दर्शानेवाला प्रमाणपत्र।

(v) यदि बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की गई है तो ब्रोकर के नोट की प्रति।

(vi) क्रेता से इस आशय का वचनपत्र कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर अधिग्रहण के लिए वह पात्र है तथा वर्तमान क्षेत्रीय (सेक्टोरेल)सीमा और मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

(vii) विदेशी संस्थागत निवेशक/ के उप लेखा (खाता धारक)से इस आशय का वचनपत्र कि सेबी द्वारा यथा निर्धारित अलग-अलग विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप लेखा सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।

4.2 भारत से बाहर के किसी निवासी द्वारा शेयरों की बिक्री के लिए

i. अंतरण के ब्योरे अर्थात् अंतरण किए जानेवाले शेयरों की संख्या, निवेशिती कंपनी का नाम, जिसके शेयर अंतरित किए जा रहे हैं तथा मूल्य, जिस पर शेयर अंतरित किए जा रहे हैं को दर्शाते हुए विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

ii. उनके विधिवत नियुक्त किए गए एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र के होने की स्थिति में एजेंट को शेयरों की खरीद/ बिक्री के लिए विक्रेता/ क्रेता द्वारा प्राधिकृत करने के लिए निष्पादित किया गया पावर ऑफ एटर्नी (दस्तावेज)।

iii. यदि विक्रेता अनिवासी भारतीय/ विदेशी (समुद्रापरीय) कंपनी निकाय हैं तो प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा रखे गए शेयरों का सबूत देनेवाले भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदनों की प्रतियां। बिक्रीगत आय को यथालागू अनिवासी विदेशी(एनआरओ)/ अनिवासी रुपया (एनआरओ) खाते में जमा किया जाएगा।

iv. सनदी लेखाकार से शेयरों का उचित मूल्य दर्शानेवाला प्रमाणपत्र।

v. आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र/ कर बेबाकी प्रमाणपत्र।

vi. क्रेता से इस आशय का प्रमाणपत्र कि मूल्य निर्धारण में दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया है।

अनिवासी भारतीयों, ओसीबी द्वारा संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के खरीदे गए शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर निजी प्रबंध (प्राइवेट प्लेसमेंट) के अंतर्गत बिक्री द्वारा अंतरित नहीं किए जा सकते है ।

पैरा 5 (खंड ।) तथा पैरा 2 (खंड V) में क्रमश: कीमत निर्धारण तथा रिपोर्टिंग के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का भी अनुपालन किया जाए ।

संलग्नक -4

(भाग-I, खंड- ।, पैरा 8 (बी)॥(iii))

भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा उपहार के तौर पर भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को शेयरों के अंतरण करने के लिए प्रस्तुत किए जानेवाले दस्तावेज़

i. अंतरणकर्ता (दाता) और अंतरिती (आदाता) का नाम और पता।

ii. अंतरणकर्ता और अंतरिती के बीच रिश्ता।

iii. उपहार देने के कारण।

iv. सरकारी दिनांकित प्रतिभूतियों और खज़ाना बिलों तथा बांडों के मामले में ऐसे प्रतिभूति के बाज़ार मूल्य पर सनदी लेखाकार द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र।

v. घरेलू म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों और मुद्रा बाज़ार म्यूच्युअल फंडों के यूनिटों के मामले में ऐसी प्रतिभूति के निवल परिसंपत्ति मूल्य के संबंध में जारीकर्ता से प्राप्त प्रमाणपत्र ।

vi. शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में, सेक्यूरिटीज़ और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अथवा पूर्ववत डीसीएफ पद्धत्ति से क्रमशः सूचीबद्ध और असूचीबद्ध कंपनियों के बारे में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्य के संबंध में सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र ।

vii. संबंधित भारतीय कंपनी से इस आशय का प्रमाणपत्र कि निवासी से अनिवासी को उपहार के तौर पर शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेचरों का प्रस्तावित अंतरण लागू सेक्टोरल कैप/ कंपनी में लागू विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा और कि अनिवासी अंतरिती द्वारा धारित शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों की प्रस्तावित संख्या कंपनी के प्रदत्त पूंजी [28] के 5 प्रतिशत से ज़्यादा नहीं होगी।

viii. निवासी अंतरणकर्ता से इस आशय का एक वचनपत्र कि अंतरणकर्ता द्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को पहले ही अंतरित की जा चुकी किसी प्रतिभूति सहित अंतरित की जा रही प्रतिभूतियों का मूल्य **वित्तीय वर्ष के दौरान** 50, 000 अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है ।

संलग्नक -5

(भाग-I, खंड- ।, पैरा 8 (बी) ॥ (iii))

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में यथा उल्लिखित "रिश्तेदार" की परिभाषा

एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रिश्तेदार तभी और सिर्फ तभी माना जाएगा जब :

(ए) वे हिन्दू अविभक्त परिवार के सदस्य हैं; अथवा

(बी) वे पति और पत्नी हैं; अथवा

(सी) उनका एक दूसरे से सूची Iए में दर्शाये अनुसार (निम्नानुसार) रिश्ता है

1. पिता
2. माता (सौतेली माता सहित)
3. बेटा (सौतेला बेटा सहित)
4. बेटे की पत्नी
5. बेटी (सौतेली बेटी सहित)
6. पिता के पिता
7. पिता की माता
8. माता की माता
9. माता के पिता
10. बेटे का बेटा
11. बेटे के बेटे की पत्नी
12. बेटे की बेटी
13. बेटे की बेटी के पति
14. बेटी का पति
15. बेटी का बेटा
16. बेटी के बेटे की पत्नी
17. बेटी की बेटी
18. बेटी की बेटी के पति
19. भाई (सौतेला भाई सहित)
20. भाई की पत्नी
21. बहन (सौतेली बहन सहित)
22. बहन का पति

संलग्नक-6
[भाग-I, खंड- V, पैरा 1(i)]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त करने वाली भारतीय कंपनी द्वारा रिपोर्ट

(3 मई 2000 की अधिसूचना फेमा सं. 20/2000 आरबी. की अनुसूची 1 के पैरा 9(1) (ए) में यथा विनिर्दिष्ट वह कंपनी अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, प्रतिफल के रूप में राशि प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर फाइल की जानी चाहिए।)

आयकर विभाग द्वारा निवेशिती कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)														

सं.	**ब्योरे**	**(स्पष्ट अक्षरों में)**
1.	भारतीय कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता फैक्स टेलीफोन ई-मेल	
2.	**विदेशी निवेशक/ सहयोगी संस्था के ब्योरे**	
	नाम पता देश	
3.	**निधियां प्राप्ति की तारीख**	

4.	राशि	<table><tr><td>विदेशी मुद्रा में</td><td>भारतीय रुपयों में</td></tr></table>
5.	क्या निवेश स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? यदि अनुमोदन मार्ग के तहत हो तो कृपया ब्योरे दें (अनुमोदन की संदर्भ संख्या और दिनांक) दें।	स्वत: अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग
6.	प्राधिकृत व्यापारी का नाम जिसके माध्यम से प्रेषण प्राप्त किया गया है।	
7.	प्राधिकृत व्यापारी का पता	

उपर्युक्त के अनुसार शेयर /परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए उगाही गई राशि प्राप्त होने के सबूत के तौर पर एफआईआरसी की एक प्रति इसके साथ संलग्न है।

निवेशिती कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर)	प्राधिकृत व्यापारी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर (मुहर)

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

प्रेषण प्राप्ति हेतु (आबंटित) यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर :									

संलग्नक-7

[(भाग-I, खंड-V, पैरा 1(i)]

अनिवासी निवेशक के संबंध में " अपने ग्राहक को जानिए " फार्म

प्रेषक/ निवेशक का पंजीकृत नाम (यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो तो उसका नाम दिया जाए)	
पंजीकरण संख्या (यूनीक पहचान संख्या * यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो)	
पंजीकृत पता (स्थायी पता, यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो)	
प्रेषक के बैंक का नाम	
प्रेषक का बैंक खाता संख्या	
प्रेषक के साथ कब से बैंकिंग तालुकात हैं ?	

पासपोर्ट नं., सोशियल सिक्योरिटी नं., अथवा अन्य कोई यूनीक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि प्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही प्रेषक है ।

हम इसकी पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई ऊपर प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है ।

प्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक : स्थान :

मुहर

संलग्नक-8

[(भाग-I, खंड- V, पैरा 1(iii))]

एफसी-जीपीआर

(जब कभी विदेशी निवेशकों को कंपनी द्वारा शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए जाएं तो इस फॉर्म के संलग्नक वचन पत्र की मद सं. 4 में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, फाइल किया जाए।)

आयकर विभाग द्वारा निवेशिती कंपनी को आबंटित स्थायी खाता सं (पैन)	
शेयरों / डिबेंचरों को जारी करने का दिनांक	

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	नाम	
	पंजीकृत कार्यालय का पता	
	राज्य	
	कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण नं.	
	मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है (जो लागू न हो, उसे काट दें)	मौजूदा कंपनी/नई कंपनी
	मौजूदा कंपनी के मामले में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।	
	टेलीफोन	
	फैक्स	
	ई-मेल	

2.	मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का ब्योरा	
	एनआइसी कूट	
	परियोजना का स्थान और परियोजना जहां स्थित है, उस जिले का एनआइसी कूट	
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार अनुमत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रतिशत	
	उल्लेख करें कि क्या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्वत: अनुमोदित मार्ग अथवा अनुमोदन मार्ग के तहत है ? (जो न लागू हो , उसे काट दें।)	स्वत: अनुमोदित मार्ग / अनुमोदन मार्ग
3.	**विदेशी निवेशक/ सहयोगी के ब्योरे***	
	नाम पता देश निवेश करने वाली संस्था का गठन/ स्वरूप [उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से कौन है: 1.कोई व्यक्ति 2.कंपनी 3.विदेशी संस्थागत निवेशक 4.विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक 5.विदेशी न्यास 6.निजी ईक्विटी फंड 7.पेशन/ प्रोविडेंट फंड 8.सरकारी धन -निधि [29] 9.साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म 10.वित्तीय संस्था 11.अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति 12अन्य (कृपया उल्लेख करें)] संस्था के मामले में गठन की तारीख	

4.	**जारी किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे**			
(ए)	**निर्गम का स्वरूप और तारीख**			
		निर्गम का स्वरूप	**निर्गम की तारीख**	**शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या**

	01	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/एफपीओ		
	02	अधिमानी आबंटन/निजी नियोजन		
	03	अधिकार/राइट्स		
	04	बोनस		
	05	बाह्य वाणिज्यिक उधार का परिवर्तन		
	06	रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित)		
	07	विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर परिवर्तन		
	08	इएसओपी		
	09	शेयर स्वैप		
	10	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)		
		कुल		

(बी)	**जारी की गई प्रतिभूति का प्रकार**						
	संख्या	**प्रतिभूति का स्वरूप**	**संख्या**	**परिपक्वता**	**अंकित मूल्य**	**निर्गम मूल्य प्रति शेयर**	**आवक *राशि**
	01	ईक्विटी					
	02	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर					
	03	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमानी शेयर					
	04	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)					

i) यदि निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।

ii) * अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी के परिवर्तन पर अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात पर है तो परिवर्तन की तारीख को बकाया राशि को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाण पत्र।

(सी)	**प्रीमियम का ब्रेक-अप**	**राशि**
	कंट्रोल प्रीमियम	
	गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	
	अन्य@	
	कुल	
	@ कृपया प्रीमियम का प्रकार स्पष्ट करें	
(डी)	निम्नलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयर जारी करने से **कुल आवक** (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित)	

	(i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विप्रेषण (ii) _______ बैंक के पास अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में नामे (iii) अन्य (कृपया स्पष्ट करें) समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी की अनुसूची –I के पैरा 9 (1) ए (i) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्त (i) और (ii) रिपोर्ट करने की तारीख	

(ई)	**जारी किए गए शेयरों के उचित मूल्य का प्रकटीकरण ****			
	हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक शेयर का बाज़ार मूल्य है*			
	हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य है*			

***शेयर के निर्गम से पहले* **(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शायें)*

5.	**निर्गम के पश्चात शेयर धारिता का स्वरूप**							
			ईक्विटी			**अनिवार्यत: परिवर्तनीय अधिमान शेयर/ डिबेंचर**		
	निवेशक वर्ग		शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%	शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य)रु.	%
ए)	**अनिवासी**							
	01	**व्यक्ति**						
	02	**कंपनी**						
	03	**विदेशी संस्थागत निवेशक**						
	04	**विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक**						
	05	**विदेशी न्यास**						
	06	**निजी ईक्विटी फंड**						
	07	**पेंशन/ प्रोविडेंट फंड**						
	08	**सरकारी धन- निधि**						
	09	**साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म**						
	10	**वित्तीय संस्थान**						
	11	**अनिवासी भारतीय/ भारतीय**						

		मूल के व्यक्ति						
	12	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)						
		उप-जोड़						
बी)		निवासी						
कुल जोड़								

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा फाइल की जानेवाली घोषणा :
(जो लागू न हो उसे काट कर हस्ताक्षर प्रमाणित करें)

हम एतदद्वारा घोषित करते हैं कि :

1. हम समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में दर्शाए अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों की निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
2. निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत सेक्टोरेल सीमा/ सांविधिक सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् (निम्नलिखित में से लागू न हो उसे काट दें)

   ए) विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों को छोडकर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार है तथा भारत सरकार की समेकित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति संबंधी परिपत्र के पैरा 4.2 में निहित शर्तों का अनुपालन किया गया है।

   अथवा

   विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों को छोडकर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार नहीं है।
   "उसी क्षेत्र" के प्रयोजन के लिए 4 अंकों वाली एनआईसी 1987 कूट संख्या प्रासंगिक होगी।

   बी) हम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करने वाला औद्योगिक उपक्रम नहीं हैं ।

   अथवा

   हम लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं का निर्माण करने वाला औद्योगिक उपक्रम हैं तथा प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत तक निवेश करने की सीमा का अनुसरण किया है/ अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं।

सी) अधिकार (राइट्स) आधार पर अनिवासियों को जारी किए गए शेयर समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 मई 2000 को जारी अधिसूचना सं.20/2000-आरबी के अनुरूप है।

अथवा

जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।

अथवा

दो अथवा अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन तथा समामेलन या एक कंपनी के अनेक में पृथकीकरण या अन्य योजना जो भारत में किसी न्यायालय द्वारा विधिवत अनुमोदित हो, के तहत शेयर जारी किए गए हैं ।

अथवा

शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम के संबंध मे शर्तों को पूरा किया गया है।

3. शेयर एसआइए/एफआइपीबी के दिनांक . . . .. के अनुमोदन सं.-- के अनुसार जारी किए गए हैं ।

4. हम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9 (1) (बी) के अनुपालन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहे हैं।

(i) कंपनी-सचिव से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाणपत्र कि:

(ए) कंपनी अधिनियम 1956 की सभी अपेक्षाएं पूरी कर ली गयी हैं;

(बी) सरकारी अनुमोदन की सभी शर्तों , यदि कोई हों, उनका अनुपालन कर लिया गया है;

(सी) कंपनी इन विनियमों के तहत शेयर जारी करने की पात्र है और

(डी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल धन प्राप्ति के सबूत के तौर पर भारत में प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा जारी सभी मूल प्रमाणपत्र कंपनी के पास मौजूद हैं।

(ii) भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति को जारी शेयरों की कीमत नियत करने के तरीके का उल्लेख करते हुए सांविधिक लेखापरीक्षक / सेबी के पास पंजीकृत मर्चंट बैंकर श्रेणी-I/ सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र ।

5. शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने हेतु सभी प्रकार के प्रतिफलस्वरूप प्राप्त प्रेषणों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी यूआईनंबर ।

आर							

आर							

(आवेदक के हस्ताक्षर)* : ______________________________

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांकः

(* कंपनी के प्रबंध निदेशक/ निदेशक/ सचिव द्वारा हस्ताक्षरित)

निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव [30] द्वारा फाइल किया जानेवाला प्रमाणपत्र :

(3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी)(i) के अनुसार)

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की सभी अपेक्षाओ को पूरा किया गया है।

2. सरकारी अनुमोदन के शर्तों, यदि कोई हो तो, का अनुपालन किया गया है।

3. इन विनियमों के अधीन शेयर / परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।

4. कंपनी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौजूद हैं जो भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति का सबूत हैं।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)

(मुहर)

- * * * * * * * * * * * * *

केवल भारतीय रिजर्व बैंक के प्रयोगार्थ

एफसी-जीपीआर के लिए पंजीकरण नंबर:

प्रेषण की प्राप्ति के समय कंपनी को आबंटित यूआईएन

आर										

संलग्नक-9-I

(भाग-1, खंड-V पैरा 2)

फार्म एफसी-टीआरएस		
निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों के अंतरण के बारे में घोषणा		
	(प्राधिकृत व्यापारी शाखा को धन प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर चार प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।	
	निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं ; भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री के लिए	
	(i)	विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा बाद वाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज
	(ii)	भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी के शेयरधारिता का तरीका (पैटर्न)
	(iii)	सनदी लेखाकार द्वारा शेयरों का उचित मूल्य दर्शाते हुए प्रमाणपत्र।
	(iv)	अगर बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में की गयी हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति।
	(v)	क्रेता से इस बात का आश्वासन पत्र कि वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अधीन शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों के अधिगृहीत करने का पात्र है और वर्तमान सेक्टोरल सीमाओं और मूल्य निर्धारण संबंधी दिशानिदेशों का पालन किया गया है।
	(vi)	विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते धारकों से इस बात का आश्वासन पत्र कि सेबी द्वारा निर्धारित एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाता सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।
	भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज	
	(vii)	अगर विक्रेता अनिवासी भारतीय/ समुद्रपारीय निगमित निकाय हो तो प्रत्यावर्तनीय/ गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा धारित शेयरों के सबूत के तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां
	(viii)	आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से अनापत्ति / कर बेबाकी प्रमाणपत्र।
1	**कंपनी का नाम**	
	पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)	
	कार्यकलाप	
	एनआइसी कूट सं.	
2	**क्या स्वतःअनुमोदित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है?**	
	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के तहत सेक्टोरल सीमा	

3	**लेनदेन का स्वरूप** *(जो लागू न हो उसे काट दें)*	निवासी से अनिवासी को अंतरण अनिवासी से निवासी को अंतरण
4	**क्रेता का नाम**	
	निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप **स्पष्ट करें कि क्या,**	
	1. कोई व्यक्ति	
	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेशक	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक	
	5. विदेशी न्यास	
	6. निजी ईक्विटी फंड	
	7. पेंशन/ प्रोविडेंट फंड	
	8. सरकारी धन निधि $^{\pi}$	
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म	
	10. वित्तीय संस्था	
	11. अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति	
	12. अन्य	
	निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	क्रेता का नाम व पता (ई-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स, आदि शामिल करें)	
5.	**विक्रेता का नाम**	
	निवेशक संस्था का गठन/स्वरूप	
	उल्लेख किया जाए कि वह निम्नलिखित में से कौन है	
	1. व्यक्ति	
	2. कंपनी	
	3. विदेशी संस्थागत निवेशक	
	4. विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक	
	5. विदेशी न्यास	
	6. निजी ईक्विटी फंड	
	7. पेंशन/ प्रोविडेंट फंड	
	8. सरकारी धन निधि$^{\pi}$	
	9. साझेदारी/स्वामित्ववाली फर्म	
	10. वित्तीय संस्था	

	11. अनिवासीभारतीय/ भारतीय मूल का व्यक्ति	
	12. अन्य	
	संस्था के मामले में निगमित होने की तारीख तथा स्थान	
	विक्रेता का नाम व पता (इ-मेल, टेलीफोन नंबर, फैक्स, आदि शामिल करें)	
6.	**भारतीय रिजर्व बैंक/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पिछले अनुमोदन के ब्योरे**	
7.	**अंतरित किये जाने वाले शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों /अन्य (तेल क्षेत्र, आदि में सहभागिता/राइटस जैसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुपालित लिखत) के ब्यौरे**	

लेनदेन करने की तारीख	शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/डिबेंचरों की संख्या	अंकित मूल्य रु. में	अंतरण** के लिए तय की गई कीमत रु. में	वसूल की गई प्रतिफल की राशि रु. में

[Π] सरकारी धन निधि का अर्थ है सरकारी निवेश माध्यम, जिसका निधीयन विदेशी विनिमय परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता है और जो मौद्रिक प्राधिकरणों के शासकीय निधियों से अलग उन परिसंपत्तियों का प्रबंध करता है।

8	**कंपनी में विदेशी निवेश**		शेयरों की संख्या	प्रतिशत
		अंतरण से पहले		
		अंतरण के बाद		
9	**जहाँ शेयर / अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयर / डिबेंचर/अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं;**			
	स्टॉक एक्सचेंज का नाम			
	स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत			
	जहाँ शेयर /अनिवार्य तथा आदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयर /डिबेंचर स्टॉक एक्सचेंज में गैर-सूचीबद्ध हैं?			
	मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के अनुसार कीमत*			
	सनदी लेखाकार की मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत (*/**सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र जोड़ा जाए)			

अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणा **मैं/ हम एतद्वारा घोषित करता हूं/ करते हैं कि :**	
(i)	ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे/ हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सत्य और सही है
(ii)	मैं/हम फेरा/फेमा विनियमावली के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/

	अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयर/ डिबेंचर धारित करता था/ करते थे ।
(iii)	मैं/हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार कंपनी के अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों शेयर के अधिग्रहण के लिए पात्र हूं/ हैं। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां के लिए सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, में संलग्न कंपनी के अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ डिबेंचरों से संबंधित अंतरण नहीं है।
(iv)	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति और मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देशों के अधीन सेक्टोरल सीमाओं का पालन किया गया है।

घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत प्राधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर

दिनांक :

टिप्पणी: निवासी से अनिवासी को निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों /अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी शेयरों/ अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी डिबेंचरों/अन्य के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा अनिवासी से निवासी को अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमान शेयरों/ अनिवार्य तथा अधिदेशात्मक परिवर्तनीय अधिमानी डिबेंचरों / अन्य के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो ।

प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है।

लेनदेन के लिए प्राप्ति/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार है।

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक : प्राधिकृत व्यापारी

शाखा का नाम

प्राधिकृत व्यापारी कूट

संलग्नक 9-II

[भाग।, खंड V,पैरा 2]

अनिवासी निवेशक के संबंध में अपने ग्राहक को जानने संबंधी सूचना प्रस्तुत करने वाला फॉर्म

विप्रेषक का पंजीकृत नाम/निवेशक का नाम(यदि वह व्यक्ति है)	
पंजीकरण संख्या (यदि विप्रेषक व्यक्ति है तो यूनिक पहचान संख्या*)	
पंजीकरण पता(यदि विप्रेषक व्यक्ति है तो उसका स्थायी पता)	
विप्रेषक के बैंक का नाम	
विप्रेषक का बैंक खाता सं.	
विप्रेषक के साथ बैंकिंग ताल्लुकात की अवधि	

*पासपोर्ट नं.,सोशल सिक्योरिटी नं. अथवा अन्य कोई यूनिक नं. जो कि यह प्रमाणित करता हो कि प्रेषक के देश के नियमों के अनुसार वह सही प्रेषक है ।

हम इसकी पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय विप्रेषक बैंक द्वारा उपलब्ध करवायी गई ऊपर प्रस्तुत जानकारी सत्य और सही है ।

प्रेषण प्राप्त करने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक: स्थान:

मुहर

संलग्नक -10

[भाग-I,खंड-V, पैरा 5]

फॉर्म डीआर

[अनुसूची-I का पैराग्राफ 4(2) देखें]

जीडीआर/ एडीआर के निर्गम का प्रबंध करनेवाली भारतीय कंपनी द्वारा फाइल की जानेवाली विवरणी

अनुदेश : इस फार्म को पूरा भरकर भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए।

1. कंपनी का नाम

2. पंजीकृत कार्यालय का पता

3. पत्राचार के लिए पता

4. वर्तमान कारोबार (उस कार्यकलाप का एनआइसी कूट दें जिसमें कंपनी मुख्य रूप से कार्यरत है)

5. जीडीआर/एडीआर उगाहने के प्रयोजन के ब्योरे। यदि निधियां समुद्रपारीय निवेश के लिए उपयोग की गई हों, तो उसके ब्योरे

6. विदेश की डिपाज़िटरी का नाम और पता

7. अग्रणी प्रबंधक/ निवेश/ मर्चेंट बैंकर का नाम और पता

8. निर्गम के उप-प्रबंधकों के नाम और पते

9. भारतीय अभिरक्षकों के नाम और पते

10. विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के ब्योरे (अगर जीडीआर स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत जारी किए जाते हैं तो संबद्ध एनआइसी कूट कोट करें)

11. क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र सेक्टोरेल

सीमा लागू है? अगर हां, तो कृपया ब्योरे दें

12. ईक्विटी पूंजी के ब्योरे

	निर्गम से पहले	निर्गम के बाद
ए) प्राधिकृत पूंजी		
बी) निर्गमित तथा प्रदत्त पूंजी		
i) भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित		
ii) विदेशी संस्थागत निवेशकों/ अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ समुद्रपारीय निगमित निकायों को छोड़कर विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक धारित करनेवाले विदेशी निवेशकों की सूची तथा उनमें प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या निर्दिष्ट की जाए)		
iii) अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी कंपनी निकायों द्वारा धारित		
iv) विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित		
अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी		
सी) कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी का प्रतिशत		

13. क्या निर्गम निजी व्यवस्था के आधार पर था? अगर हां, तो निवेशकों तथा प्रत्येक को जारी एडीआर/ जीडीआर के ब्योरे दें

14. जारी जीडीआर/ एडीआर की संख्या

15. पर अंडरलाइंग शेयरों से जीडीआर/ एडीआर का अनुपात

16. <u>निर्गम से संबंधित खर्चे</u>

(ए) मर्चेंट बैंकरों/ अग्रणी प्रबंधक को अदा की गई/ देय शुल्क

(i) राशि (अमरीकी डॉलर, आदि में)

(ii) कुल निर्गम के प्रतिशत के तौर पर यह राशि

(बी) अन्य खर्चे

17. क्या निधियां विदेश में रखी गई हैं? अगर हां, तो बैंक का नाम और पता

18. सूचीबद्ध करने की व्यवस्था के ब्योरे

स्टॉक एक्स्चेंज का नाम

व्यापार (ट्रेडिंग) शुरू करने की तारीख

19. एडीआर/ जीडीआर निर्गम आरंभ करने की तारीख

20. उगाही गई राशि (अमरीकी डॉलर में)

21. प्रत्यावर्तित राशि (अमरीकी डॉलर में)

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है।

ह./-	ह./-
सनदी लेखाकार	कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

संलग्नक -11
[भाग-I,खंड-।, पैरा 29]

फॉर्म डीआर- त्रैमासिक

[अनुसूची-I का पैराग्राफ 4(3) देखें]

तिमाही विवरणी

(भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत की जाए)

1. कंपनी का नाम
2. पता
3. जीडीआर/एडीआर निर्गम प्रारंभ करने की तारीख
4. जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल सं.
5. उगाही गई कुल राशि
6. तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज
7. निर्गम के खर्चे और कमीशन आदि
8. प्रत्यावर्तित राशि
9. विदेश में रखी गई शेष - ब्योरे
   (i) बैंक जमा राशियां
   (ii) खजाना बिल
   (iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें)
10. अब तक बकाया जीडीआर/एडीआर की संख्या
11. तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर की कीमत
12. तिमाही के अंत में समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई जीडीआर/एडीआर की कीमत

प्रमाणित किया जाता है कि जीडीआर/एडीआर द्वारा उगाही गई निधियों को शेयर मार्केट अथवा स्थावर संपदा में निवेश नहीं किया गया हैं।

ह./-	ह./-
सनदी लेखाकार	कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

संलग्नक-12

परिशिष्ट

भारत में विदेशी निवेश/ अचल संपत्ति का अभिग्रहण / भारत में शाखा कार्यालय/ संपर्क और परियोजना कार्यालय खोलने तथा स्वामित्ववाली/ साझेदारी फर्मों में निवेश के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में समेकित महत्वपूर्ण परिपत्रों/ अधिसूचनाओं की सूची

क्रम सं.	अधिसूचना	दिनांक
1.	सं.फेमा 32/2000-आरबी	दिसंबर 26, 2000
2.	सं.फेमा 35/2001-आरबी	फरवरी 16, 2001
3.	सं.फेमा 41/2001-आरबी	मार्च 2, 2001
4.	सं.फेमा 45/2001-आरबी	सितंबर 20, 2001
5.	सं.फेमा 46/2001-आरबी	नवंबर 29, 2001
6.	सं.फेमा 50/2002-आरबी	फरवरी 20, 2002
7.	सं.फेमा 55/2002-आरबी	मार्च 7, 2002
8.	सं.फेमा 76/2002-आरबी	नवंबर 12, 2002
9.	सं.फेमा 85/2003-आरबी	जनवरी 17, 2003
10.	सं.फेमा 94/2003-आरबी	जून 18, 2003
11.	सं.फेमा 100/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
12.	सं.फेमा 101/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
13.	सं.फेमा 106/2003-आरबी	अक्तूबर 27, 2003
14.	सं.फेमा 108/2003-आरबी	जनवरी 1, 2004
15.	सं.फेमा 111/2004-आरबी	मार्च 6, 2004
16.	सं.फेमा 118/2004-आरबी	जून 29, 2004
17.	सं.फेमा 122/2004-आरबी	अगस्त 30, 2004
18.	सं.फेमा 125/2004-आरबी	नवंबर 27, 2004
19.	सं.फेमा 130/2005-आरबी	मार्च 17, 2005

20.	सं.फेमा 131/2005-आरबी	मार्च 17, 2005
21.	सं.फेमा 138/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
22.	सं.फेमा 136/2005-आरबी	जुलाई 19, 2005
23.	सं.फेमा 137/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
24.	सं.फेमा 138/2006-आरबी	जुलाई 22, 2005
25.	सं.फेमा 149/2006-आरबी	9 जून 2006
26.	सं.फेमा 153/2006-आरबी	31 मई 2007
27.	सं.फेमा 167/2007-आरबी	23 अक्तूबर 2007
28.	सं.फेमा 170/2007-आरबी	13 नवंबर 2007
29.	सं.फेमा 179/2008-आरबी	22 अगस्त 2008
30.	सं.फेमा 202/2009-आरबी	10 नवंबर 2009
31.	सं.फेमा 205/2010-आरबी	07 अप्रैल 2010
	परिपत्र	
क्रम सं.	**परिपत्र**	**दिनांक**
1.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 14	26 सितंबर , 2000
2.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	जनवरी 6, 2001
3.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	फरवरी 22, 2001
4.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	अप्रैल 28, 2001
5.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	नवंबर 29, 2001
6.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	फरवरी 13, 2002
7.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.29	मार्च 11, 2002
8.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	नवंबर 12, 2002
9.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.52	नवंबर 23, 2002
10.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	जनवरी 13, 2003
11.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.69	जनवरी 13, 2003
12.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.75	फरवरी 3, 2003
13.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.88	मार्च 27, 2003
14.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.101	मई 5, 2003
15.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	अगस्त 20, 2003
16.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	सितम्बर 1, 2003
17.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	सितम्बर 16, 2003

18.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	अक्तूबर 17, 2003
19.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	नवम्बर 14, 2003
20.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	दिसम्बर 3, 2003
21.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39	दिसम्बर 3, 2003
22.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	दिसम्बर 8, 2003
23.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	दिसम्बर 8, 2003
24.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	दिसंबर 17, 2003
25.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	दिसम्बर 20, 2003
26.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.63	फरवरी 3, 2004
27.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.67	फरवरी 6, 2004
28.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.89	अप्रैल 24, 2004
29.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	सितंबर 13, 2004
30.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	अक्तूबर 1, 2004
31.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	अक्तूबर 1, 2004
32	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	अक्तूबर 4, 2004
33.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.04	जुलाई 29, 2005
34.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.06	अगस्त 11, 2005
35.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.07	अगस्त 17, 2005
36.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.08	अगस्त 25, 2005
37.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	अगस्त 30, 2005
38.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	सितंबर 05, 2005
39.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.16	नवंबर 11, 2005
40.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.24	जनवरी 25, 2006
41.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.4	जुलाई 28, 2006
42.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	नवंबर 16, 2006
43.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	दिसंबर 22, 2006
44.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	फरवरी 8, 2007
45.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	अप्रैल 20, 2007
46.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.62	24 मई, 2007
47.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	31 मई , 2007
48.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	8 जून 2007
49.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.74	8 जून 2007

50.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.2	19 जुलाई 2007
51.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	14 दिसंबर 2007
52.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.22	19 दिसंबर 2007
53.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.23	31 दिसंबर 2007
54.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	28 अप्रैल 2008
55.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	28 अप्रैल 2008
56.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.44	30 मई 2008
57.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	17 अक्तूबर 2008
58.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.63	22 अप्रैल 2009
59.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.05	22 जुलाई 2009
60.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47	12 अप्रैल 2010
61.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49	04 मई 2010
62.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	14 सितंबर 2010
63.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	15 मार्च 2011
64.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	29 अप्रैल 2011
65.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.55	29 अप्रैल 2011
66.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.57	2 मई 2011
67.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.58	2 मई 2011
68.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.74	30 जून 2011
69.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.8	9 अगस्त 2011
70.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	15 सितंबर 2011
71.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.42	3 नवंबर 2011
72.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	4 नवंबर 2011
73.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.45	16 नवंबर 2011
74.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49	22 नवंबर 2011
75.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.55	9 दिसंबर 2011
76.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.56	9 दिसंबर 2011
77.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.66	13 जनवरी 2012
78.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.67	13 जनवरी 2012
79.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.89	1 मार्च 2012
80.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.93	19 मार्च 2012
81.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.94	19 मार्च 2012

82.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.120	8 मई 2012
83.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.121	8 मई 2012
84.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.127	15 मई 2012
85.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.133	20 जून 2012
86.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.135	25 जून 2012
87.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.137	28 जून 2012